ISSN-0971-8397

योजना

मार्च 2018 | विकास को समर्पित मासिक | ₹ 30

विशेषांक

केंद्रीय बजट 2018-19

आर्थिक प्रगति का कदम
हसमुख अढ़िया

अर्थव्यवस्था का पुनर्जीवन
जे डी अग्रवाल

लघु एवं कुटीर उद्योग: मजबूती का वाहक
अनिल भारद्वाज

अवसंरचना विकास: राष्ट्र का समेकन
जी रघुराम

विशेष आलेख
मूल्य संवर्धित उत्पादों को प्रोत्साहन
एस एस स्वामीनाथन

फोकस
स्वास्थ्य सेवाओं को प्रधानता
के श्रीनाथ रेड्डी

जरा हटके
संभावनाशील जिलों का कायाकल्प
एक विकास यात्रा
अमिताभ कांत

yojanahindi@gmail.com www.yojana.gov.in, www.publicationsdivision.nic.in http://www.facebook.com/yojanahindi

केंद्रीय बजट 2018-19 पर प्रधानमंत्री के विचार

बजट किसान, सामान्य जन, व्यवसाय और विकास के लिए अनुकूलः प्रधानमंत्री

1 फरवरी, 2018

बजट में कृषि से लेकर बुनियादी सुविधाओं तक के सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है: #NewIndiaBudget पर प्रधानमंत्री

बजट किसान, सामान्य जन, व्यवसाय और विकास के लिए अनुकूलः #NewIndiaBudget पर प्रधानमंत्री

बजट से 'ईज ऑफ लिविंग' होगी और बेहतर: #NewIndiaBudget पर प्रधानमंत्री

बजट से ग्रामीण भारत में आएंगे नए अवसर; इससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा: #NewIndiaBudget पर प्रधानमंत्री

उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन देने के लक्ष्य को 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ किया गयाः #NewIndiaBudget पर प्रधानमंत्री

आयुष्मान भारत विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम, गरीबों को इसका काफी लाभ मिलेगा: #NewIndiaBudget पर

बजट में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर विशेष ध्यानः #NewIndiaBudget पर प्रधानमंत्री

योजना

दरें: वार्षिक: ₹ 230 द्विवार्षिक: ₹ 430, त्रिवार्षिक: ₹ 610

• वर्ष:62 • अंक 03 • कुल पृष्ठ:76 • मार्च 2018 • फाल्गुन-चैत्र, शक संवत् 1939-40

प्रधान संपादक: दीपिका कच्छल

संपादक: ऋतेश पाठक

संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष (प्रधान संपादक): 24362971

संयुक्त निदेशक (उत्पादन): वी के मीणा

संपादक (प्रसार एवं विज्ञापन):
गोपाल के एन चौधरी

आवरण: गजानन पी धोपे

पत्रिका मंगवाने, सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें:

प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 48-53
भूतल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003
दूरभाष: 011-24367453
ईमेल: pdjucir@gmail.com

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए हमारे निम्नलिखित विक्रय केंद्रों पर भी संपर्क किया जा सकता है। साथ ही हमारी वेबसाइट तथा योजना हिन्दी के फेसबुक पेज पर भी संपर्क किया जा सकता है।

- योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।
- योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।
- प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।
- योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

इस अंक में

- संपादकीय 7
- आर्थिक प्रगति का कदम
  हसमुख अढ़िया 9
- केंद्रीय बजट 2018-19: एक विश्लेषण
  जे डी अग्रवाल 11
- विशेष आलेख
  मूल्य संवर्धित उत्पादों को प्रोत्साहन
  एम एस स्वामीनाथन 17
- जरा हटके
  संभावनाशील जिलों का कायाकल्प एक विकास यात्रा
  अमिताभ कांत 21
- लघु एवं कुटीर उद्योग: मजबूती का वाहक
  अनिल भारद्वाज 29
- फोकस
  स्वास्थ्य क्षेत्र में कई नई पहल
  के श्रीनाथ रेड्डी 33
- बजट की झलकियां 37
- बजट और अवसंरचना विकास
  जी रघुराम 41
- समन्वित परिवहन की दिशा में बढ़ते ठोस कदम
  अरविंद कुमार सिंह 45
- काला धन के खिलाफ पारदर्शी कर प्रशासन
  रमेश कुमार यादव
  रोहित देव झा 49
- महिला स्वावलंबन की दिशा में मील का पत्थर
  ऋतु सारस्वत 55
- छोटी बचत योजनाओं के लिए बड़ी पहल
  शिशिर सिन्हा 59
- क्या आप जानते हैं? 63
- बेहतरी का पर्याय बनेगी राष्ट्रीय स्वर्ण नीति
  सतीश सिंह 65
- युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास
  देवाशीष उपाध्याय 69

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

शहर	पता	पिनकोड	दूरभाष
नयी दिल्ली	सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ मीनार, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	50080	040-27535383
बंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	061-22683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2225455
अहमदाबाद	अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर	380007	079-26588669
गुवाहाटी	मकान सं. 4, पेंशन पारा रोड, गुवाहाटी	781003	030-2665090

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित

आपकी राय

कर्ज न लौटाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो

योजना का जनवरी 2018 'बैंकिंग सुधार विशेषांक' बैंकिंग पर समग्र जानकारी देता है। प्रारम्भ में निजी बैंकों का उदय हुआ जिनकी कमियों को दूर करने के लिए 1969 एवं 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसके दूरगामी प्रभाव हुए। बैंक सेवाएं खास से आम हो गईं। कालान्तर में सरकारी बैंकों में शिथिलता आने लगी, सेवा का स्तर गिरने लगा फलस्वरूप देश में निजी और विदेशी बैंकों को पैर पसारने का अवसर मिला। आज बैंकों के सामने अनुत्पादक एनपीए की बड़ी समस्या है जो देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा रही है। आज देश में मुट्ठी भर लोग ऐसे पैदा हो गये हैं जिनका उद्देश्य ही बैंकों से ऋण लेकर उसका दुरूपयोग करना, विलासिता में खर्च करना और उसे बैंकों को नहीं लौटाना हो गया है। देश में बैंकों का ऋण लौटाने के संबंध में नैतिक पतन हुआ है यह चिंता का विषय है। बैंक ऋणों का जो दुरूपयोग कर रहे हैं उनके लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के ऋण न चुकाने की प्रवृति पर अंकुश लगाया जा सके। व्यवसायिक/कृषि चक्रों के कारण संकट में फंसे ऋणियों के लिए उचित नियम बनाये जाये ताकि वे वास्तविक संकट से निजात पा सकें। दिवालिया कानून समय की मांग है। जो लोग बैंक, सरकार और आम आदमी के पैसे से खेल रहे हैं और उन्हें हानि पहुंचा रहे हैं उन्हें बाजार में बने रहने का अधिकार नहीं है। उनको बाजार से बाहर करने एवं कठोर दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि गलत इरादों से सार्वजनिक धन के दुरूपयोग को रोका जा सके। व्यापार चक्रों के कारण जो ईकाइयां संकट में हैं उनके उद्धार के लिए उचित नीतियां भी आवश्यक हैं। परम्परागत भारतीय बैंकिंग व्यवस्था बैंकिंग के विकास का रोचक वर्णन करती है। योजना का 'बैंकिंग सुधार' अंक विद्यार्थियों और आम जनता के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

– विश्वनाथ सिंहानिया
10/829, मालवीय नगर,
जयपुर-302017

लोक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाना होगा

यदि जन शिकायत निवारण को अधिक से अधिक गतिशील बनाया जाए तो देश में रामराज्य के आदर्श पूरी तरह से साकार होने लगेंगे। लोगों को सार्वजनिक जन सुविधा मुहैया होती रहें और वह इसका जिम्मा उठाने के लिए आगे आएं। जब भी देश में पार्षद और ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं तो हर नेता शासन पर लोक शिकायत के नाम पर आरोप लगाकर जनता को सुनाता है कहीं बिजली नहीं आ रही है कहीं पानी की किल्लत कहीं सड़क पर गड्डे कहीं पुल रेलिंग विहीन है। सीवर चौक की समस्या। इसी तरह हम सबको ऐसी अन्य समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है! आज जब हम हर घर में टायलेट सिस्टम बनाने की मांग रहे हैं तब देश के नागरिकों का एक बड़ा हिस्सा फुटपाथों पर सोता है वह टॉयलेट करने कहां जाए। शहरों में ही सीवर लीक होने से लोगों के पास बदबू सूंघने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। इस समस्या से निबटने के लिए निजी सफाईकर्मियों को हजारों रुपये देने पड़ जाते हैं बस उनके हाथ लगने की देर है और समस्या हल हो गयी। इस स्थिति से बचने के लिए लोक शिकायत निवारण तंत्र को प्रोत्साहन देना जरूरी हो जाता है। चाहे देश में कितनी खुशहाली आ जाय या विकसित देशों को प्रौद्योगिकी के मामलों में पिछाड़ दे। जब तक लोक शिकायत निवारण एक दिन में नहीं होगा तब तक देश के सुशासन का अहसास आखिरी आम आदमी तक नहीं पहुंचेगा।

सरकार प्रशासन की कमजोरी दूर करने के लिए 1994 में नागरिक घोषणा पत्र लागू किया पर समय के साथ इसमें धार की कमी आने लगी और लोक सेवक इस ओर लापरवाह हो गए। सूचना का अधिकार कानून लागू होते ही भारत में जबरदस्त क्रांतिकारी बदलाव का युग आ गया।

शहरों में जनकल्याण समितियां आम आदमी की सहभागिता का सुंदर उदाहरण है

यदि लोक शिकायत निवारण विभाग इनका सहयोग ले और इनके सहयोग से हर गांव शहर मोहल्लों में सेमिनार कर जनता को सुनने समझने का आमंत्रण दे तो देश में बहुत तेजी से लोक शिकायत निवारण के प्रति जागरूकता फैलेगी।

– ध्रुव प्रकाश सिंह
2/159, विश्वास खंड, गोमती नगर,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

लोक शिकायत समाधान से लोकतंत्र का सशक्तीकरण

योजना के फरवरी अंक में सरकार की लोक शिकायत समाधान प्रणाली को समझने का सुअवसर मिला। जनशिकायत निवारण को अच्छे प्रशासन वाले लोकतंत्र की बुनियाद कहा जाता है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों अर्थात् सरकार की जिम्मेवारी है कि वह भारत के सभी नागरिकों को पारदर्शी प्रशासनिक तंत्र मुहैया करवाए और इसी दिशा में सरकार द्वारा आरंभ की गई कुछ प्रणालियां- सीपीग्राम्स (केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली), प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नमेंट एवं टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) और mygov (नागरिकों को जोड़ने वाला मंच) सराहनीय है। इन्टरनेट आधारित ये वेब प्रौद्योगिकी निःसन्देह ही जन शिकायत समाधान के संबंध में मील का पत्थर साबित होंगे।

सीपीग्राम्स के तहत मिलने वाली राज्य सरकारों की शिकायतों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व दिल्ली सबसे आगे है, यहां पर सुशासन लाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है पर जन जागरूकता के माध्यम से इस चुनौती पर काबू पाया जा सकता है। सरकार द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रणाली (शी-बॉक्स) विकसित हुई है जो निःसन्देह एक प्रशंसनीय कदम है। जिससे महिलाएं कार्यस्थल पर स्वयं को सुरक्षित महसूस कर पाएगीं। इस प्रकार लोक शिकायतों के निवारण से जनता संतुष्ट होगी और जनता के संतुष्टीकरण से ही लोकतंत्र का भी सशक्तीकरण होगा, क्योंकि हम भारत के लोग ही लोकतंत्र के आधार है।

– पूजा बाथम
धनोली, आगरा, उत्तर प्रदेश

नव भारत की ओर

योजना का फरवरी 2018 का अंक एक जीवंत लोकतंत्र के लिहाज से अपरिहार्य है, भारत में शिकायत निपटान की नूतन प्रविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करता है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति, स्थायित्व तथा जीवंतता, वहां के नागरिकों की शासन के प्रति शिकायतों के प्रभावी निपटान पर निर्भर करती है। भारत में सुशासन और विकास पर जोर देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों में विकास कार्यों पर सटीक निगरानी रखने के लिए प्रगति संवाद जैसे नूतन व प्रभावी कदम लिए हैं। इसके साथ नागरिक घोषणा-पत्र, सेवा का अधिकार, उमंग एप, सभी प्रमुख मंत्रालयों के ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज, सीपीग्राम आदि प्रणाली, नागरिकों की शिकायतों के निपटान का आसान जरिया बन गयी हैं। इनके जरिये 2022 के लिए नव भारत का संकल्प भी पूर्ण किया जा सकता है। जरा हटके स्तंभ में परमेश्वरन अय्यर जी स्वच्छ भारत के व्यवहार परिवर्तन पर जोर देते हुए सारगर्भित लेख में सभी पहलुओं को समेटा है। निश्चित ही स्वच्छ भारत अभियान, आजादी के बाद लागू योजनाओं में सबसे तेजी से क्रियान्वित होने वाली योजना है। कुल 9 राज्य खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। भारत में 2014 के मुकाबले 2017 में स्वच्छता कवरेज 39 से 77 फीसदी तक पहुंच गया है। आने वाले वर्षों में इसका असर भारतीय नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य पर भी देखा जा सकेगा।

– आशीष कुमार
उन्नाव, उत्तर प्रदेश

अन्याय से मुक्ति में सहायक

योजना का फरवरी अंक कई तरह से महत्वपूर्ण है। इस अंक में लोक निवारण की दृष्टि से यह उपयोगी लेख है, जो पीड़ितों और शोषितों को इंसाफ दिलाने की एक पहल करने के लिए प्रेरित करता है। खासकर महिलाओं को विभिन्न तरह की समस्याओं और अत्याचारों से मुक्ति के लिये वी अमुदावल्ली का लेख बहुत कारगर है। महिलाओं के साथ अत्याचार चाहे घर में हो या सड़क पर, सभी से मुक्ति के लिए कानून बने हैं जिन्हें पूरी निष्ठा से लागू करने की जरूरत है।

इस अंक में गोविन्द कुमार झा और शिवाजी त्रिपाठी का आलेख *सुशासन और राज्यों में शिकायत निवारण प्रणाली* भी बहुत उपयोगी लेख है, जिसमें विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा लागू लोक शिकायत निवारण प्रणालियों का विस्तार से विवरण दिया गया है। किसी एक ही लेख में सभी राज्यों से संबंधित शिकायत निवारण प्रणालियों की जानकारी अन्यत्र कहीं दुर्लभ है।

– दोलन राय
औरंगाबाद, महाराष्ट्र

योजना
आगामी अंक

अप्रैल 2018

पूर्वोत्तर भारत

आपकी राय व सुझावों की प्रतीक्षा है...

CHANAKYA IAS ACADEMY

Also known as Chanakya Civil Services Academy

CHANAKYA IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow
SINCE-1993

A Unit of CHANAKYA ACADEMY FOR EDUCATION AND TRAINING PVT. LTD.

25 Years of Excellence, Extraordinary Results every year,
4000+ selections in IAS, IFS, IPS and other Civil Services so far...

OUR RESULT IN CIVIL SERVICES EXAMINATION 2016
5 in top 10 | 40 in top 100 | Total selections 435

Under the direction of
Success Guru AK MISHRA

IAS 2019

Upgraded Foundation Course™

A Complete solution for Prelims, Mains & Interview

BATCH DATES

20th February | 20th March | 20th April

General Studies/ CSAT

OPTIONAL SUBJECTS AVAILABLE*

Geography | Sociology | Public Administration
History | Political Science | Psychology | Mathematics

*Optional subjects may vary from centre to centre

Salient Features

- Special modules on administrative traits by Success Guru AK Mishra & retired civil servants
- Separate Classes in Hindi & English Medium
- Intensive Classes with online support
- Pattern proof teaching
- Regular test series
- Experienced faculty
- Hostel assistance

To reserve your seat Call: 1800-274-5005(Toll Free)

CENTRAL DELHI (Rajendra Nagar Branch): Level 5, Plot No. 3B, Rajendra Park, Pusa Road, Next to Rajendra Place Metro Station, Gate No. 4, Delhi-60, Ph: 8447314445
NORTH DELHI BRANCH: 1596, Ground Floor, Outram Lines, Kingsway Camp, Opp. Sewa Kutir Bus Stand, Near GTB Nagar Metro Station Gate No.2, Delhi-09, Ph: 9811671844/ 45
HO/ SOUTH DELHI BRANCH: 124, 2nd Floor, Satya Niketan, Opp. Venkateswara College, Near Dhaula Kuan, Delhi-21, Ph: 9971989980/ 81 | www.chanakyaiasacademy.com

Our Branches
Allahabad: 9721352333 | Ahmedabad: 7574824916 | Bhubaneswar: 9078878233 | Chandigarh: 8288005466 | Dhanbad: 9771463546
Faridabad: 8860403403 | Guwahati: 8811092481 | Hazaribagh: 9771869233 | Indore: 8818896686 | Jammu: 8715823063 | Jaipur: 9680423137
Kochi: 7561829999 | Mangaluru: 7022350035 | Patna: 8252248158 | Pune: 9067975862 | Ranchi: 9204950999 | Rohtak: 8930018881 | Srinagar: 9599224341

चेतावनी
छात्रों/अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा आगाह किया जाता है कि कुछ असम्बद्ध संस्थाएं ऐसे टेडमार्क/टेडनेम का इस्तेमाल कर रही हैं जो चाणक्य आईएएस एकेडमी/चाणक्य एकेडमी (1993 से सक्सेस गुरु एके मिश्रा के मार्गदर्शन में प्रोन्नत) के टेडमार्क/टेडनेम के समरूप/भ्रामक समान हैं। हम इसके द्वारा यह घोषणा करते हैं कि ये संस्थाएं हमसे सम्बद्ध नहीं हैं तथा ऐसी संस्थाओं के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई पहले से ही शुरू कर दी गयी है। सभी छात्रों को नामांकन कराने के पूर्व ऐसी एकेडमी/अध्ययन केन्द्र/संस्थान की प्रामाणिकता की पुष्टि कर लेनी चाहिए और अनुरोध किया जाता है कि समरूप/भ्रामक रूप से समान टेडमार्क/टेडनेम के तहत हो रही ऐसी किसी भी गतिविधि के बारे में 09650299662/3/4 पर फोन कर तथाinfo@chanakyaacademygroup.comपर ईमेल भेजकर हमें सूचित करें।

YH-738/2/2017

संपादकीय

जनता का बजट

आपका पैसा कहां गया, इस संबंध में अटकलबाजी के बजाय बजट यह बता रहा है कि आपका पैसा कहां जाना है। हम सभी घरेलू खर्च से जुड़े बजट तैयार करने की अहमियत के बारे में जानते हैं, जहां आपको जरूरत के हिसाब से आमदनी और खर्च के बारे में जागरूक रहना पड़ता है। हम मशहूर कहावत 'आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया' से भी वाकिफ हैं। ऐसे घर में जहां खर्च पर नियंत्रण नहीं है, आमदनी का मामला पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। बजट तैयार करने का मतलब यह है कि आप योजना बनाएं और बजट को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दें।

किसी भी देश का बजट नागरिकों की बेहतरी से तनिक भी कम अहम नहीं होता। देश के काबिल प्रशासक विभिन्न मदों से आय का आकलन करने के बाद उसके हिसाब से खर्च को समायोजित करते हैं। घरेलू बजट की तरह देश के बजट में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे के रखरखाव आदि के लिए आवंटन होते हैं। केंद्र सरकार का 2018-19 का बजट 2019 के आम चुनाव से पहले मौजूदा सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। इसमें सरकार ने अपने आवंटनों को लेकर संतुलन साधने की कोशिश की है, ताकि वह कार्यक्रम की योजना तैयार करे और कृषि, ग्रामीण विकास, अवसंरचना और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फंड आवंटित कर सके। एक ऐसे देश में जहां कृषि अब भी बड़ी आबादी की आजीविका का मुख्य साधन है, किसानों के हित को किसी भी सरकार के एजेंडे में ऊपर रखना होगा। सरकार ने कृषि के लिए अपने बजटीय आवंटन के तहत कृषि संबंधी सुधारों पर जोर दिया है।

कृषि आवंटनों में कई तरह की पहल के जरिये महत्वपूर्ण बदलाव को अंजाम देने की बात है। इनमें आलू, टमाटर, प्याज की कीमतों में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए ऑपरेशन ग्रीन, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में डेढ़ गुना बढ़ोतरी, 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों में अपग्रेड करने, किसानों को खेती के लिए कर्ज की सुविधा मुहैया करना आदि शामिल हैं।

किसानों के हित से जुड़े एक और क्षेत्र- ग्रामीण विकास को भी बजट में समुचित जगह दी गई है और ग्रामीण अवसंरचना और रोजगार के मौके तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 2022 तक *सब के लिए घर* का लक्ष्य पूरा करने के लिए 1 करोड़ से भी ज्यादा घर बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2 करोड़ अतिरिक्त शौचालय बनाए जाएंगे। महिला स्वयं सहायता संगठनों के लिए ऊंचे लक्ष्य, सौभाग्य के जरिये निम्न और मध्य वर्ग की चिंताओं से निपटे जाने की संभावना है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए पिछले साल के मुकाबले आवंटन दोगुना कर 1,400 करोड़ रुपये कर दिया गया है। साथ ही, मछली पालन और पशु पालन के लिए कोष तैयार करना व राष्ट्रीय बांस मिशन का पुनर्गठन किसानों की आय बढ़ाने और गावों से जुड़े क्षेत्र में उद्यमिता के लिए मौके तैयार करने पर सरकार के फोकस का हिस्सा हैं।

बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर काफी ध्यान दिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कही जा रही राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एनएचपीएस) में स्वास्थ्य को केंद्र में रखा गया है और 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देने का प्रावधान है। इसी तरह, *आयुष्मान भारत* कार्यक्रम के तहत 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए 1,200 करोड़ का फंड मुहैया कराने की बात है।

शिक्षा के मोर्चे पर बात करें, तो आदिवासी बच्चों को उनके अपने माहौल में बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोलने का ऐलान स्वागत योग्य कदम है। नई योजना *प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप* (पीएमआरएफ) के तहत बीटेक के 1,000 बेहतरीन छात्रों को शानदार फेलोशिप के साथ आईआईटी और आईआईएससी में पीएचडी करने का मौका दिया जाएगा।

बुजुर्गों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के मकसद से बजट में कई ऐलान किए गए हैं। मसलन बैंक और पोस्ट ऑफिसों में जमा की गई रकम से ब्याज के तौर होने वाली आय पर टैक्स छूट की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और मेडिकल खर्च के लिए कटौती की सीमा को 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। *प्रधानमंत्री वय वंदना योजना* की मियाद को बढ़ाकर मार्च 2020 तक कर दिया है। इसके तहत 15 लाख तक के निवेश पर 8 फीसदी का निश्चित रिटर्न देने की बात है। जबकि पहले यह सीमा 7.5 लाख रुपये थी।

एमएसएमई को विकास का इंजन बताते हुए बजट में लघु, छोटे और मझोले उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनके लिए कर्ज-पूंजी, ब्याज सब्सिडी और नवोन्मेष मुहैया कराने के मकसद से 3,794 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे युवाओं के लिए रोजगार तैयार करने और स्वरोजगार के मौके बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने देश के लोगों के लिए *जीवन जीने की सहूलियत* पर फोकस कर *व्यापार सुगमता* में सुधार और आगे बढ़ाया है। कुल मिलाकर, यह बजट अर्थव्यवस्था के अहम क्षेत्रों में समग्र विकास की दिशा में काम करते हुए लोगों की जिंदगी पर असर डाल रहा है। ❑

अभिव्यक्ति IAS क्लासेज

Also known as Abhivyakti Civil Services

UNDER THE GUIDANCE OF SUNIL SIR

संपादक | लेखक | डायरेक्टर *(Abhivyakti)*

हमारा विजन एवं मिशन

- 'नवाचार, रचनात्मक एवं UPSC पास कराने की कला सिखाने पर जोर
- कम से कम पढ़ाकर ज्यादा सिखाना लक्ष्य
- मुख्य परीक्षा मे सुनील सर की विशेषज्ञता
- नियमित उत्तर लेखन एक वर्षीय कार्यक्रम प्रारंभ कराने वाला एकमात्र संस्थान
- करेंट-अफेयर्स का पूरे वर्ष वीकेंड बैच (फाउंडेशन सामान्य-अध्ययन के एक अंग के रूप में करेंट अफेयर्स पढ़ाने वाला एकमात्र संस्थान।
- केस स्टडी पर विशेष जोर देकर प्रश्नपत्र-4 में अधिकतम अंक दिलाने की सोच
- निबंध (250 अंक equale to GS) को 2 माह एक विषय की तरह पढ़ाने वाला एकमात्र संस्थान।

अभिव्यक्ति पाक्षिक पत्रिका

कक्षा कार्यक्रम

सामान्य अध्ययन

- फाउंडेशन बैच
- मेंस स्पेशल फाउंडेशन बैच
- प्री. स्पेशल फाउंडेशन बैच
- 2018 मुख्य परीक्षा क्रैश कोर्स

नामांकन प्रारंभ

under the guidance of sunil sir
(सम्पादक एवं लेखक : अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज)

माड्यूल उपलब्ध

प्रश्नपत्र IV नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि,केस-स्टडी पर विशेष फोकस

निबंध : 45 लेक्चर का विशिष्ट रणनीतिक बैच

हिन्दी साहित्य

प्रश्न उत्तर लेखन शैली से हिंदी साहित्य पढ़ाने की शैली

नियमित उत्तर लेखन कक्षा कार्यक्रम

10 'जून' से न्यू बैच प्रारंभ

मुख्य आकर्षण

- प्रश्नपत्र I और II के सभी खण्ड के महत्वपूर्ण आये हुए तथा संभावित प्रश्नों का उत्तर लेखन कराया जायेगा क्योंकि उत्तर लेखन अभ्यास ही सफलता का माध्यम है।

करेंट अफेयर्स

वीकेंड बैच

प्रत्येक शनिवार 4 PM नया वैच प्रारंभ

हमारे टापर्स

Ajeet Kumar
CSE-2016-Rank-1094

Neetu
CSE-2016-Rank-409

Vijay Singh
CSE-2014-Rank-794

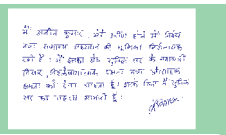

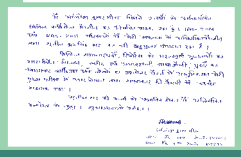

AJITESH KR. MEENA
(RAS-2012-4th Rank)
CSE-2014-1071

Nex You

and many more....

MIHIR PATEL
(CSE-2014)
AIR-27

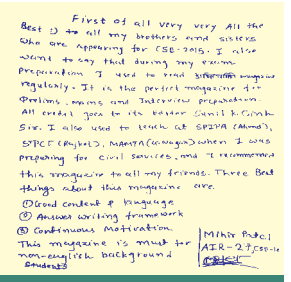

First of all very very All the Best :) to all my brothers and sisters who are appearing for CSE-2015. I also want to say that during my exam preparation I used to read अभिव्यक्ति magazine regularly. It is the perfect magazine for Prelims, mains and Interview preparation. All credit goes to its Editor Sunil K. Singh Sir. I also used to teach at SPIPA (Ahmd), SPCE (Rajkot), MAMTA (G.Nagar) when I was preparing for civil services, and I recommend this magazine to all my friends. Three Best things about this magazine are.
① Good content & language
② Answer writing framework
③ Continuous Motivation.
This magazine is must for non-english background students

Mihir Patel
AIR-27, CSE-14

अभिव्यक्ति IAS क्लासेज

M-3, Mezzanine Floor, A-37-38-39, Ansal Building, Near Safal Diary, Dr. Mukherjee Nagar

011-45870971, 9871385211, 9582750926

YH-750/5/2017

आर्थिक प्रगति का कदम

हसमुख अढ़िया

बजट में ग्रामीण ढांचे और ग्रामीण रोजगार तैयार करने को लेकर अधिकतम पैसा खर्च करने का प्रावधान है। ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन में बढ़ोतरी, स्वयं सहायता समूहों को फंड और बैंक लोन के जरिये मदद के साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अलावा पशुपालन के आवंटन में बढ़ोतरी से कृषि क्षेत्र को मदद मिलेगी और प्राथमिक कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्द्धन भी होगा। टमाटर, प्याज और आलू से जुड़ी फसलों की कीमत में असंतुलन को रोकने के लिए 'ऑपरेशन ग्रीन' नामक नई योजना का ऐलान किया गया है, जो 'ऑपरेशन फ्लड' की तरह काम करेगा

केंद्रीय बजट 2018-19 कई मायनों में अनूठा है। यह ऐसे वक्त में आया है, जब अर्थव्यवस्था पर पिछले दो साल में सरकार की तरफ से किए गए दो ढांचागत सुधारों (नोटबंदी और जीएसटी लागू होना) का सकारात्मक असर दिख रहा है। ऐसे वक्त में जब आर्थिक गतिविधियों के सभी सूचकांकों में बेहतरी नजर आ रही है, इस बजट का इरादा इसके लिए राह बनाना और आने वाले वर्षों में भारत की वृद्धि दर 8 फीसदी करने के लिए अनुकूल आर्थिक माहौल बनाना है।

इस बजट का फोकस कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ज्यादा पैसे खर्च करना है, ताकि किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद के अलावा इससे वस्तुओं और सेवाओं के लिए मांग तैयार हो सके। साथ ही इससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

बजट में ग्रामीण ढांचे और ग्रामीण रोजगार तैयार करने को लेकर अधिकतम पैसा खर्च करने का प्रावधान है। ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन में बढ़ोतरी की गई है, जिसके तहत स्वयं सहायता समूहों (खासतौर पर महिलाओं) को फंड और बैंक लोन के जरिये मदद की जा रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अलावा पशुपालन क्षेत्र के लिए आवंटन में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। इससे कृषि क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियां तैयार करने में मदद मिलेगी और प्राथमिक कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्द्धन भी होगा। तीन अहम सब्जियों- टमाटर, प्याज और आलू से जुड़ी फसलों की कीमत में असंतुलन को रोकने के लिए 'ऑपरेशन ग्रीन' नामक नई योजना का ऐलान किया गया है, जो 'ऑपरेशन फ्लड' की तरह काम करेगा। 'ऑपरेशन फ्लड' दूध क्षेत्र के लिए बेहद कारगर रहा था।

'ऑपरेशन ग्रीन' के तहत उत्पादन और खपत के केंद्रों को ठीक तरीके से जोड़ा जाएगा और इन उत्पादों को पहुंचाने और ले जाने के लिए जरूरी इंतजाम तैयार किए जाएंगे। साथ ही, जहां भी जरूरी होगा, इन फसलों के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की मदद से वेयरहाउस और प्रोसेसिंग की नई क्षमता तैयार की जाएगी।

इस बजट में यह भी ऐलान किया गया है कि 100 करोड़ तक के टर्नओवर वाली इस तरह की किसान उत्पादक कंपनियों को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। इससे कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में पेशेवर रवैये को प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सरकार के बजटीय प्रस्तावों से 321 करोड़ मानव दिवस का रोजगार तैयार होगा, कृषि विकास को बढ़ावा मिलने के अलावा 51 लाख नए ग्रामीण घर, 1.88 करोड़ शौचालय, 3.17 लाख ग्रामीण सड़कें और 1.75 करोड़ नए घरेलू बिजली के कनेक्शन बनेंगे।

केंद्रीय बजट 2018-19 का दूसरे सबसे अहम हिस्सा स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा की बाकी योजनाओं पर जोर देना है। शिक्षा पर फोकस के तहत

लेखक भारतीय प्रशासनिक सेवा में आईएएस अधिकारी हैं और वर्त्तमान में भारत सरकार में केंद्रीय वित्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वित्तीय सेवाओं के सचिव के रूप में, उन्होंने बैंकिंग सुधार की दिशा में कई नई रणनीतियां बनाई। राजस्व सचिव के रूप में उन्होंने आयकर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर में कई सारी करोन्मुख पहल किए। ईमेल: adhia@hotmail.com

बजट 2018-19

केंद्रीय बजट: प्रमुख आंकड़े

आंकड़े ₹ करोड़ में	2016-17 वास्तविक	2017-18 बजट अनुमान	2017-18 संशोधित अनुमान	2018-19 बजट अनुमान
राजस्व प्राप्तियां	13,74,203	15,15,771	15,05,428	17,25,738
पूंजी प्राप्तियां*	6,00,991	6,30,964	7,12,322	7,16,475
कुल प्राप्तियां	19,75,194	21,46,735	22,17,750	24,42,213
कुल व्यय	19,75,194	21,46,735	22,17,750	24,42,213
राजस्व घाटा	3,16,381	3,21,163	4,38,877	4,16,034
प्रभावी राजस्व घाटा	1,50,648	1,25,813	2,49,632	2,20,689
राजकोषीय घाटा	5,35,618	5,46,531	5,94,849	6,24,276
प्राथमिक घाटा	54,904	23,453	64,006	48,481

* बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत प्राप्तियों को छोड़कर

PIB/KBK

कुछ अतिरिक्त सीखने के लिए डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल के अलावा शिक्षा और शिक्षकों की गुणवत्ता बेहतर किया जाएगा।

जहां तक उच्च शिक्षा की बात है, तो अगले 4 साल में 1 लाख करोड़ के पूंजीगत खर्च के जरिये एम्स समेत तमाम उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थान तैयार करने की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी फंडिंग मुख्य तौर पर बजट के बाहर होगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में 'आरोग्य भारत' की महत्वाकांक्षी योजना के तहत हर बीपीएल परिवार के लिए बीमारियों के इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 5 लाख का बीमा कवर होगा। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के दायरे में 10 करोड़ परिवार होंगे (जिसका मतलब 50 करोड़ लोग होंगे) और उन्हें एक भी पैसा खर्च किए बिना सूची में शामिल किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख रुपये सालाना तक के खर्च वाले ऑपरेशन या सर्जरी का लाभ दिया जाएगा। यह कार्यक्रम गरीब लोगों को इस बात का भी आश्वासन देगा कि उनके परिवार में कैंसर, हृदय की बीमारी या किडनी फेल होने जैसी गंभीर बीमारी का पता लगने पर सरकार उनकी स्वास्थ्य जरूरतों का खयाल रखेगी।

केंद्रीय बजट 2018-19 में लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों की मदद के लिए भी कई कार्यक्रमों का ऐलान किया गया है, जो रोजगार तैयार करने के मुख्य साधन हैं। ऐलान के मुताबिक नव सृजित रोजगार के मामले में नियोक्ता द्वारा वेतन के 12 फीसदी योगदान का भार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह नए रोजगार के वेतन खर्च की 30 फीसदी लागत पर इनकम टैक्स छूट की इजाजत दिए जाने के अतिरिक्त होगा। टेक्सटाइल और चमड़ा क्षेत्र को बजट में और बढ़ावा दिया गया है। ढांचा विकास के मामले में सरकार ने मौजूदा और नए रोड, रेल और शहरी अवसंरचना परियोजनाओं को फंड देने के लिए महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया है। इसके तहत इसमें अतिरिक्त बजटीय संसाधनों और उधारी को जोड़ा जाएगा। अगले साल अवसंरचना पर खर्च की जाने वाली कुल राशि 5.97 लाख करोड़ होगी, जबकि 2017-18 में अनुमानित खर्च 4.94 लाख करोड़ है।

केंद्रीय बजट 2018-19 में लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों की मदद के लिए भी कई कार्यक्रमों का ऐलान किया गया है, जो रोजगार तैयार करने के मुख्य साधन हैं। ऐलान के मुताबिक नव सृजित रोजगार के मामले में नियोक्ता द्वारा वेतन के 12 फीसदी योगदान का भार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह नए रोजगार के वेतन खर्च की 30 फीसदी लागत पर इनकम टैक्स छूट की इजाजत दिए जाने के अतिरिक्त होगा। टेक्सटाइल और चमड़ा क्षेत्र को बजट में और बढ़ावा दिया गया है। ढांचा विकास के मामले में सरकार ने मौजूदा और नए रोड, रेल और शहरी अवसंरचना परियोजनाओं को फंड देने के लिए महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया है।

जीएसटी लागू होने के कारण तत्कालिक तौर पर मची उथल-पुथल और अप्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर राजस्व की अनिश्चितता के बावजूद केंद्रीय बजट ने राजकोषीय कंसॉलिडेशन और इसके संतुलन के लिए दूरदर्शी रोडमैप पेश किया है। 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटे के 3.2 फीसदी के आंकड़े को संशोधित कर 3.5 फीसदी कर दिया गया है और अगले साल के लिए यह आंकड़ा 3.3 फीसदी रखा गया है। अगले दो सालों में (अगर संभव हुआ, तो सिर्फ एक साल में) इसे 3 फीसदी के स्तर पर ले जाने की योजना है। नोटबंदी और जीएसटी के अच्छे प्रभाव के कारण हमें अगले साल के लिए राजस्व के सीमित लक्ष्य के मुकाबले इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है, तो सरकार के पास कार्यक्रमों की फंडिंग के लिए और पैसा उपलब्ध होगा। कुल मिलाकर, यह बजट विकास के लिए है। यह बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने और नए रोजगार तैयार करने वाला है। ❑

केंद्रीय बजट 2018-19 : एक विश्लेषण

जे डी अग्रवाल

भारत की अर्थव्यवस्था अब भी कृषि प्रधान है जहां लगभग 49 प्रतिशत आबादी कृषि पर प्रत्यक्षत: निर्भर है। भारत असल में अपने गांवों में बसता है। विगत में सरकारों ने कृषि व ग्रामीण विकास पर ज़ोर देने का प्रयास किया है फिर भी कृषि पर निर्भर व गांवों में बसने वाले लोग अब भी निर्धनता, सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं और उपयुक्त स्वास्थ्य व शैक्षिक सुविधाओं के साथ ग्रामीण व सामाजिक आधारभूत संरचना के संबंध में विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है

इस साल के बजट का विश्लेषण देश की मौजूदा आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों के आलोक में किया जाएगा। सरकार ने विगत चार वर्षों में कई प्रमुख संरचनागत बदलाव किए हैं जिनके परिणामस्वरूप 2017-18 में जीडीपी में 6.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अनुमान है कि यह 2018-19 में 7.5 प्रतिशत बढ़ेगा। नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण तथा 1 जुलाई 2017 को संशोधित वस्तु व सेवा कर (जीएसटी), नए दिवालिया कानून की शुरुआत, आधार कार्ड का कार्यान्वयन, एफडीआई का उदारीकरण, दबावयुक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करने के लिए रु. 88,000 करोड़ के प्रमुख पुनर्पूंजीकरण पैकेज के कार्यान्वयन से उत्तरार्द्ध में अर्थव्यवस्था में विकास देखा गया।

7.2 प्रतिशत की आर्थिक संवृद्धि, स्थिर मुद्रास्फीति (6 वर्षों में सबसे कम) व मौद्रिक समेकन, 2017-18 के आर्थिक परिदृश्य में सूक्ष्म आर्थिक स्थिरता व 14.1 प्रतिशत की संवृद्धि दर को दर्शाता 409.4 बिलियन डॉलर्स की मजबूत विदेशी विनिमय आरक्षिती, 1 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश से प्रभावी है। सब्सिडीज़ में रु. 65000 करोड़ की बचत डीबीटी के लिए आधार को मूल बनाया है। इनमें से कुछ सूचकांक भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिरोध क्षमता को दर्शाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था यक़ीनन विश्व भर में बेहतरीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मुझे यह कहते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है कि विमुद्रीकरण तथा जीएसटी आदि जैसे संरचनागत बदलावों से हुई बाधाओं से संवृद्धि तथा अर्थव्यवस्था के अन्य सूक्ष्म आर्थिक मानदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उन बदलावों से हुए असंतुलन को काफी हद तक दूर कर लिया गया है।

हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व पानी की सुविधा उपलब्ध कराकर महिला सशक्तीकरण, किसानों की आय को बढ़ाने, कृषि संबंधी उत्पादन को बढ़ाने, कृषि संबंधी प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करने, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, रोज़गार सृजन व निवेश व निर्यात को बढ़ावा देने व गरीबी उन्मूलन संबंधी प्रधानमंत्री की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में 2016-17 के दौरान 275.7 मिलियन टन की अच्छे खाद्यान्न व 300 मिलियन टन के फल उत्पादन के बावजूद 2017-18 में अर्थव्यवस्था कृषि की निम्न संवृद्धि 2.1 प्रतिशत जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। एनपीए की बड़ी राशि व राज्यचालित बैंकों में पूंजी लगाने की समस्या दूसरी चुनौती है।

मौजूदा बजट गत चार वर्षों के दौरान हुए संरचनागत बदलावों व उपलब्धियों के परिपार्श्व में है और अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के मद्देनज़र यह कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार व एमएसएमई तथा आधारभूत संरचना क्षेत्रों को मजबूत करने के प्रधानमंत्री के मिशन से निर्देशित है।

आर्थिक संवृद्धि व मौद्रिक समेकन

इस साल का बजट भारत को 2.5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के रूप में चिह्नित करता है। वित्त मंत्रालय ने 8 प्रतिशत संवृद्धि का लक्ष्य सही ही निर्धारित किया है और

लेखक वित्तीय मामलों के प्रतिष्ठित प्रोफ़ेसर, भारतीय वित्त संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष व निदेशक और फिनान्स इंडिया के मुख्य संपादक हैं। इन्होंने कई पुस्तकें और आलेख लिखे हैं और रेडियो/टीवी टॉक शो/साक्षात्कार में भाग लिया है। ईमेल: jda@iif.edu

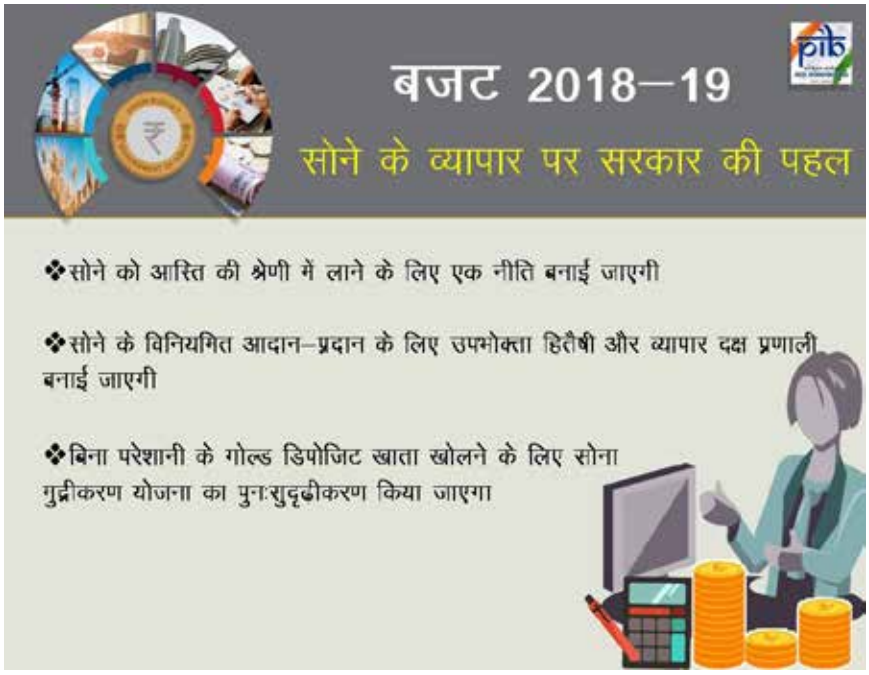

2018-19 के दौरान संवृद्धि दर का 7.2 प्रतिशत से 7.4 प्रतिशत होना अनुमानित है। भारत 2018-19 में विश्व की अर्थव्यवस्था में योग देने वाले तेज़ी से उभरने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। उन्होंने ठीक ही *मेक इन इंडिया* मिशन का लक्ष्य रखते हुए कृषि व औद्योगिक क्षेत्र में वांछनीय संवृद्धि के परिणाम वाले प्रावधान बनाए हैं।

वित्त मंत्री राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.2 प्रतिशत पर रोके रखने को लेकर काफी सचेत हैं। 2010 में राजकोषीय घाटे को 6.4 प्रतिशत से कम कर अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत स्तर पर लाया गया। राजकोषीय घाटे को रोके रखने के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप गत वर्ष भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार हुआ।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर जीवनस्तर व समाज कल्याण योजनाओं के सृजन हेतु रु. 14.34 लाख का महत्वपूर्ण आवंटन काफी प्रगतिगामी है और *गरीबी हटाओ* मिशन को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। किसानों, निर्धनों व समाज के अन्य ज़रूरतमंद तबकों तक संरचनागत बदलावों संवृद्धि के लाभों को पहुंचाने व वंचित तबके के उत्थान हेतु बनाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के प्रस्ताव सराहनीय हैं। इस साल के बजट में ये सारे लाभ शामिल हैं।

कृषि व ग्रामीण अर्थ व्यवस्था

भारत की अर्थव्यवस्था अब भी कृषि प्रधान है, जहां लगभग 49 प्रतिशत आबादी कृषि पर प्रत्यक्षत: निर्भर है। भारत असल में अपने गांवों में बसता है। विगत में सरकारों ने कृषि व ग्रामीण विकास पर ज़ोर देने का प्रयास किया है फिर भी कृषि पर निर्भर व गांवों में बसने वाले लोग अब भी निर्धनता, सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं और उपयुक्त स्वास्थ्य व शैक्षिक सुविधाओं के साथ ग्रामीण व सामाजिक आधारभूत संरचना के संबंध में विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। वित्त मंत्री ने कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सही ही ध्यान दिया है।

2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की प्रधानमंत्री की इच्छा- जो एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है- को पूरा करने की दिशा में वित्त मंत्री ने कम लागत पर अधिक पर ज़ोर दिया है। इसके लिए ज़रूरी है कि किसानों को उनके उत्पाद का सही दाम मिले। बाजारों तक पहुंच को मजबूत किए जाने की भी ज़रूरत है।

उक्त के मद्देनज़र, वित्त मंत्री ने प्रस्तावित किया है कि खरीफ फसल के लिए न्यूनतम क्रय मूल्य को सभी 23 फसलों पर उत्पाद लागत का 1.5 गुना नियत किया जाए। उन्होंने कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए जाने वाले ऑपरेशन ग्रीन हेतु रु. 500 करोड़ के आवंटन के अलावा कृषि बाज़ार व इंफ्रा फंड हेतु रु. 2000 करोड़ आवंटित किया है।

कृषि ऋण किसानों को उनके कृषि संबंधी कार्यों व उत्पादकता को बढ़ाने में मददगार है क्योंकि अधिकांश किसान निर्धन व सीमांत हैं। कृषि ऋण के लक्ष्य को 8.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 11 लाख करोड़ करने से किसानों खासकर निर्धन व सीमांत किसानों को काफी सहूलियत होगी। हालांकि कोशिश की जानी चाहिए कि लक्ष्य किसानों को ही ऋण देने का रखा जाए। उक्त प्रस्तावों के क्रम में, वित्त मंत्री ने संबद्ध क्षेत्रों मसलन मत्स्य पालन व पशुपालन हेतु किसान क्रेडिट सुविधाएं प्रदान की हैं। मत्स्यपालन व मत्स्यपालन विकास निधि हेतु रु. 10,000/- करोड़ और पशुपालन निधि हेतु रु. 10,000/- करोड़ का आवंटन काफी विचारपूर्ण है। इन निधियों के उपयोग से इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को मदद मिलेगी और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

86 प्रतिशत से अधिक लघु व सीमांत किसानों के हितों का ध्यान रखने व 1290 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 42 मेगा फूड पार्क की स्थापना हेतु मौजूदा 22000 ग्रामीण हाट को ग्रामीण कृषि बाज़ार में अपग्रेड करने की वित्त मंत्रालय की घोषणा से कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। फसलोपरांत कर प्रोत्साहन और फार्मिंग प्रोड्यूसिंग कंपनियों के लिए 100 प्रतिशत रीबेट से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी और कृषि उपज के 100 बिलियन डॉलर निर्यात की संभावना के लक्ष्य को पूरा करने के प्रयासों से नियत समय में किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। किसानों को उनके खेत में सिंचाई हेतु सौर वाटर पंप लगाने के लिए समर्थ बनाने का बजट प्रावधान सराहनीय है। मत्स्यपालन व पशुपालन करने वाले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए बजट प्रस्ताव से उन्हें उनके कार्यशील पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करने व उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था

वित्त मंत्री ने विभिन्न योजनाओं को आवंटन के ज़रिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में

गरीबी के उन्मूलन हेतु गंभीर प्रयास किए हैं। यह बजट का मानवीय पक्ष है। वित्त मंत्री ने निर्धन महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शंस देते हुए और सौभाग्य योजना के तहत रु. 16000 करोड़ के आवंटन से 4 करोड़ निर्धन परिवारों को नि:शुल्क इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देते हुए निर्धन व निम्न मध्यवर्गीय परिवारों का ख्याल रखा है। इन सबसे ईंधन के इस्तेमाल में कटौती होगी, और वनों की कटाई में कमी आएगी और महिलाओं की परेशानियां भी कम होंगी।

2022 तक सभी के लिए घर के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ से भी अधिक घर और स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए 6 करोड़ शौचालयों के अलावा 2 करोड़ और शौचालयों का निर्माण किया जाएगा जो स्वागत योग्य कदम है। राष्ट्रीय आजीविका के लिए 2018-19 के लिए 5750 करोड़ तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए रु. 9975 करोड़ का आवंटन भी प्रशंसनीय है। ये योजनाएं भारतीय महिलाओं को सम्मान दिलाने में मददगार होंगी।

हालांकि ऐसा समझा जा सकता है कि क्या ऐसा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि प्रभावी कार्यान्वयन की कमी हो सकती है। ज़मीनी स्तर पर भ्रष्टाचार से सरकारी योजनाओं का लाभ लक्ष्य समूह तक पहुंचने की दिशा में प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा

शिक्षा व स्वास्थ्य सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए काफी आवश्यक है। शिक्षा जहां राष्ट्र की संपदा में योग देने के लिए मानव संसाधन का उपयोग करने और बेहतर जीवन के लिए आय सृजन में समर्थ बनाती है वहीं स्वास्थ्य ऐसे मानव संसाधन को बनाए रखने में मदद करता है। यह संसार को प्रकृति का सबसे नायाब तोहफा है। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में आवंटन अन्य ब्रिक देशों की तुलना में कम है। उदाहरण के लिए, चीन जीडीपी का 3.2 प्रतिशत खर्च करता है जबकि भारत 1.4 प्रतिशत करता है।

शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना के लिए वित्त मंत्री द्वारा किए गए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान, प्रायोजना व वास्तु शिल्प के लिए दो नए स्कूल की स्थापना, 2 नए मेडिकल कॉलेजों के साथ हर तीसरे संसदीय क्षेत्र के लिए एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा और अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने से मेडिकल शिक्षा व चिकित्सा सुविधाओं को देशवासियों के लिए उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार, 2020 तक 50 लाख युवाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना प्रशंसनीय है जिससे मध्यम व निम्न मध्यम वर्ग के परिवार के योग्य युवाओं को शीर्ष संस्थाओं में मेडिकल शिक्षा समेत उच्च शिक्षा प्राप्त हो सकेगी।

आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 1,200 करोड़ रुपये के आवंटन से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए घर के निकट 1.5 लाख नए केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान उल्लेखनीय है। इसी तरह इस बजट में टीबी पोषण सहयोग के लिए बड़ी राशि का आवंटन स्वागत योग्य है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण के लिए सरकार द्वारा संपोषित हेल्थ केयर कार्यक्रम जिससे 10 करोड़ गरीब व ज़रूरतमंद परिवारों के लगभग 50 करोड़ लाभार्थी को कवर किया जाएगा और हर परिवार को प्रति वर्ष द्वितीयक व तृतीयक अस्पताल सेवाओं के लिए 5 लाख रुपये की सुविधा प्रदान करना एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे बीमा के कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और देश में रोजगार सृजन होगा।

स्वास्थ्य सेवाओं, मेडिकल कॉलेजों व सरकार संपोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों के लिए 1.5 लाख केंद्रों का गठन रोजगार सृजन में मददगार होगा और राष्ट्र के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेगा। इससे विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को बड़े शहरों में जाने व समस्या का सामना करने के बजाय अपने शहर के निकट ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

सूक्ष्म बीमा व पेंशन योजना के तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सभी 16 करोड़ खातों को शामिल करने का प्रावधान काफी सही है। सामाजिक समावेशन योजनाओं के तहत अ.जा कल्याण हेतु रु.52719 करोड़ तथा अ.ज.जा. कल्याण हेतु रु. 39319 करोड़ हेतु प्रावधान अ.जा व अ.ज.जा. के लोगों को मदद करेगा। 50 प्रतिशत से अधिक की अ.ज.जा आबादी वाले प्रत्येक खंड में नवोदय विद्यालय के साथ-साथ एकलव्य स्कूल होंगे।

नए कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए अगले तीन वर्षों के लिए सभी क्षेत्रों में ईपीएफ में वेतन का 12 प्रतिशत जोड़ने का प्रावधान किया गया है और महिलाओं के लिए अगले तीन वर्षों के लिए ईपीएफ योगदान को घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है।

आधारभूत संरचना व उद्योग

आधारभूत संरचना के अर्थव्यवस्था का संवृद्धि ड्राइवर होने पर जोर देते हुए वित्त मंत्री आधारभूत संरचना में निवेश के लिए भी काफी चिंतित हैं। उन्होंने 2018-19 के लिए आधारभूत संरचना व सड़क, हवाई अड्डों, रेलवे, पत्तन व इनलैंड वातार्वेज़ के नेटवर्क से देश को जोड़ने के लिए बजट आवंटन को बढ़ाकर रु. 5.97 लाख करोड़ कर दिया है। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना व कौशल विकास, प्रौद्योगिकी विकास, आकर्षक निजी निवेश, ब्रांडिंग व मार्केटिंग से संबंधित समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए 10 प्रमुख पर्यटन केंद्रों को प्रतिष्ठित बनाने के लिए बज़ट प्रस्ताव की घोषणा स्वागत योग्य है जिससे रोजगार का सृजन होगा व संवृद्धि होगी।

रेलवे, विमानन व अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण में बड़ी राशि आवंटित की गई है। मानवहीन रेलवे क्रॉसिंग को हटाने, एस्केलेटर्स के निर्माण, वाईफाई व सीसीटीवी कैमरा प्रदान करने, के लिए रु. 1.48 करोड़ की सीमा राखी गई है। मुम्बई रेल नेटवर्क के लिए रु. 11000 करोड़ व बेंगलुरु मेट्रो के लिए रु. 17000 करोड़ का आवंटन किया गया है ताकि इन महानगरों की ज़रूरतों का ख्याल रखा जा सके।

इसके अलावा गांवों में ब्रॉड बैंड की सुविधा पहुंचाने की दिशा में पांच करोड़ ग्रामीणों को नेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पांच लाख वाई फाई हॉट स्पॉट के गठन का प्रस्ताव है और टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर के सृजन व संवर्धन हेतु 2018-19 में रु. 10000 करोड़ के आवंटन से सरकार के *डिजिटल इंडिया* कार्यक्रम में मदद मिलेगी।

वित्त मंत्री एमएसएमई को लेकर काफी चिंतित हैं जो कंपनियों का 99 प्रतिशत है और उन्हें ऋण सहयोग, पूंजी व ब्याज सब्सिडी तथा नवोन्मेषों के लिए रु. 3794 करोड़ प्रदान किया है। संयत्र व मशीनरी/उपकरण में निवेश से वार्षिक रु 50 करोड़ से टर्न ओवर 250 करोड़ में वर्गीकरण के आधार पर एमएसएमई बदलाव और कर दर को 25 प्रतिशत तक कम करने से कारोबार करने में सहूलियत होगी और इससे जीएसटी के इर्द-गिर्द नई कर प्रणाली तैयार करने में सहायता मिलेगी। वित्त मंत्री ने एमएसएमई के लिए मुद्रा ऋण के लिए रु. 3 लाख करोड़ का प्रस्ताव भी दिया है। 2018-19 में हथकरघा क्षेत्र के लिए 7148 करोड़ रुपये के *आउट ले* से रोजगार सृजन व संवृद्धि को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

रोजगार

शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की दर काफी अधिक है जिससे काफी निराशा व्याप्त है, जिसे तत्काल ठीक किए जाने की ज़रूरत है। इस साल बजट 70 लाख नौकरियों के प्रावधान व आधारभूत संरचना, सड़क, रेलवे, हवाई अड्डा व हेलिपैड, ग्रामीण आधारभूत संरचना, रोज़गार बढ़ाने व लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के ज़रिए रोज़गार सृजन पर काफी ज़ोर दिया गया है। रोजगार सृजन हेतु बजट में लिए गए कदम की सराहना करते हुए सरकार देश की बेरोज़गारी की समस्या से जूझने के लिए भारतीय वित्त संस्थान में पूर्ण अध्ययनों में से एक व भारतीय वित्त में प्रकाशित अनुसार राष्ट्रीय श्रम एकसचेंज के गठन का विचार कर सकती है।

यह सराहनीय है कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य व आधारभूत संरचना में सामाजिक कल्याण योजनाओं को किए गए बड़े आवंटनों व रु. 80,000/- करोड़ के विनिवेश के सामान्य लक्ष्य के बावजूद वे मौद्रिक घाटे को 3.3 प्रतिशत पर रखने व बिना किसी अतिरिक्त कर बोझ के जीडीपी के संवृद्धि दर के 7.2 प्रतिशत से 7.4 प्रतिशत होने के लक्ष्य को बनाए रखने में सफल हुए हैं।

कर प्रस्ताव

यह हमेशा सही रहता है कि स्थिरता को बनाए रखने के लिए कर नीति में न्यूनतम परिवर्तन हो। तदनुसार, उन्होंने कर दर, व्यक्तिगत व कॉर्पोरेट दोनों को अपरिवर्तित रखा है। वेतनभोगियों को राहत देने के लिए उन्होंने आहरित यात्रा भत्ता के रूप में 40,000/- रुपये की मानक कटौती शुरू की है। वे वृद्धों के प्रति काफी उदार हैं और उन्होंने बैंकों व डाक घर में वृद्धों की जमाओं पर वृद्ध जन ब्याज आय पर राहत दी है तथा 194ए में रु. 10,000 की सीमा को बढ़ाकर रु. 50,000 कर दिया है और सेक्शन 80 डी के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम व चिकित्सा व्यय हेतु कटौती सीमा को 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है जो मध्य वर्ग के लिए लाभकर है।

उन्होंने इक्विटी के आधार पर 10 प्रतिशत के सामान्य दर पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ दर की शुरुआत की है क्योंकि कर से छूट वाले इस आस्ति वर्ग से रु. 3.6 लाख करोड़ की आय हेतु कोई स्पष्टीकरण नहीं है। एलटीसीजी विषयक कर 20 प्रतिशत रहा है जैसा अक्तूबर 2004 से पहले था। बजट में यह भी प्रस्तावित है कि इक्विटी म्युचुअल फंड द्वारा संवितरित सभी लाभांश को10 प्रतिशत का भुगतान करना है। इससे म्युचुअल फंड हाउसेस द्वारा उनके

सूक्ष्म बीमा व पेंशन योजना के तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सभी 16 करोड़ खातों को शामिल करने का प्रावधान काफी सही है। सामाजिक समावेशन योजनाओं के तहत अ.जा कल्याण हेतु रु.52719 करोड़ तथा अ.ज.जा. कल्याण हेतु रु. 39319 करोड़ हेतु प्रावधान अ.जा व अ.ज.जा. के लोगों को मदद करेगा।

निवेशकों को दी जाने वाली निवल राशि में कमी होगी। एलटीसीजी बाजार का प्रतिकूल प्रभाव अनावश्यक है। उन्होंने व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए राजस्व मीमांसा हेतु 1 प्रतिशत का शिक्षा उपकर प्रस्तावित किया है।

इसे एक आदर्श बजट बनाने के लिए न्यूनतम छूट सीमा को रु. 3 लाख तक बढ़ाते हुए रु. 15000 करोड़ के राजस्व आय का नुकसान सहा जा सकता है। इसे एलटीसीजी विषयक कर को 20 प्रतिशत तक बढ़ाकर किया जा सकता है।

संवृद्धि व रोज़गार की दिशा में उन्होंने 250 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले एमएसएमई के लिए कॉर्पोरेट कर को 25 प्रतिशत घटा दिया गया है। निजी कराधान में राहत वाले इस प्रस्ताव से रु. 5995 करोड़ का राजस्व नुकसान हो सकता है।

हालांकि *मेक इन इंडिया* को प्रमोट करने व राजस्व मीमांसा के लिए उन्होंने पर्फ्यूम्स व प्रसाधन संबंधी वस्तुओं (10 प्रतिशत), ऑटोमोबाइल्स व ऑटोमोबाइल पार्ट्स (5 प्रतिशत), फुटवियर (10 प्रतिशत), आभूषण (5 प्रतिशत), इलेक्ट्रॉनिक्स/हार्डवेयर (5 प्रतिशत), फर्नीचर (10 प्रतिशत), घड़ी व दीवार घड़ी (10 प्रतिशत), खिलौने व गेम्स (10 प्रतिशत), टेक्सटाइल्स (10 प्रतिशत), खाद्य तेल (15-17.5 प्रतिशत) आदि जैसे विभिन्न मदों पर सीमा शुल्क को 2.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही पूंजीगत माल व इलेक्ट्रॉनिक्स (5 प्रतिशत), चिकित्सा उपकरण (2.5 प्रतिशत), जैसे मदों में सीमा शुल्क घटाया है। परिणामस्वरूप जिन वस्तुओं में सीमा शुल्क बढ़ाया गया है, उनकी कीमत बढ़ गई है जबकि कुछ वस्तु सस्ते हुए हैं।

निष्कर्ष

समग्र रूप से यह बजट बाज़ार प्रेरित आर्थिक व्यवस्था से समाज कल्याण उन्मुख व्यवस्था की ओर एक स्वागत योग्य शिफ्ट है, जहां सरकार देश की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं व आकांक्षाओं का ख्याल रखती है।

केंद्रीय बजट 2018-19 जनता के हित में है, प्रगतिगामी है, संतुलित व लीक से हटकर है तथा इससे उम्मीद है कि यह जनता की आकांक्षाओं का ध्यान रखेगी। यह कृषि, ग्रामीण विकास,शिक्षा, रोज़गार व निवेश पर विशेष ध्यान देते हुए संवृद्धि उन्मुख सिद्ध होगी। वहनीय आवास को बढ़ावा देने, रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने, संवृद्धि की गति को तेज करने और बाधाओं को दूर करते हुए कारोबार को सरल बनाने के लिए वित्त मंत्री द्वारा उपयुक्त प्रयास किए गए हैं। सरकार द्वारा खर्च की जा रही बड़ी राशि से कृषि व उद्योग की धीमी संवृद्धि में तेज़ी आएगी।

किसानों की आय को बढ़ाने के लिए संरचनागत बदलावों व कृषि क्षेत्र में पूरा बदलाव करने की ज़रूरत है। हालांकि यह बजट प्रस्तावों का हिस्सा नहीं है। इसी प्रकार, सभी स्तरों पर शिक्षा के विधिक तथा न्यायिक बदलावों में भी संरचनागत बदलावों की ज़रूरत है। मौजूदा व्यवस्था अर्थव्यवस्था व लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप नहीं है। नीति आयोग को नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है। ऐड-ऑन दृष्टिकोण मौजूदा व्यवस्था के साथ फाइन ट्यूनिंग से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे। केंद्रीय बजट 2018-19 "गरीबी हटाओ, किसान बचाओ" बजट है। ❑

BHAVISHYA AKADEMY
Progress towards triumph
भारतीय
अर्थव्यवस्था
(सामान्य अध्ययन)
by
RISHI JAIN

15 DAYS CRASH COURSE ONLY
15th MARCH
IAS PT-2018
Morning : 9am
Evening : 3pm
IAS PT 2017, IAS MAINS 2017 के सभी प्रश्न सीधे-सीधे क्लास नोट्स से पूछे गए हैं।
ONLINE CLASSES LAUNCHING SOON
Youtube channel:www.youtube.com/BhavishyaAcademy
Website: www.bhavishyaacademy.com Email: bhavishya.academy1@gmail.com
Facebook Page : bhavishyaacademyoffice Twitter : @Bhavishyacademy
104, First Floor, A-31-34, Jaina House, Comm. Comp.
Above Aryan Gas Agency, Dr. Mukherjee Nagar
7289923254
9999532466
YH-797/2017

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को समर्पित मासिक पत्रिका

- ☑ समसामयिक मुद्दों पर आधारित महत्त्वपूर्ण लेख।
- ☑ मुख्य परीक्षा के लिये सामान्य अध्ययन पर महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर।
- ☑ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पर केंद्रित सामान्य अध्ययन के विभिन्न खंडों के रिवीज़न हेतु 'टू द पॉइंट' सामग्री।
- ☑ प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं (साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ, इकॉनमिक एंड पोलिटिकल वीकली, द हिंदू आदि) के महत्त्वपूर्ण लेखों का सारांश।
- ☑ प्रारंभिक परीक्षा पर केंद्रित टारगेट प्रिलिम्स खंड।
- ☑ टॉपर्स इंटरव्यू।
- ☑ इंटरव्यू की तैयारी के लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री।

पत्रिका का सैम्पल निःशुल्क पढ़ने के लिये हमारी वेबसाइट:
www.drishtiias.com पर विज़िट करें।

To Subscribe, Call - 8130392351, 8130392359
For business/advertising enquiry, Call - 8130392355
Web : www.drishtiias.com, Email : info@drishtipublications.com

YH-643/11/2017

मूल्य संवर्धित उत्पादों को प्रोत्साहन

एम एस स्वामीनाथन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 जन वितरण प्रणाली में मोटे अनाजों और बाकी फसलों को शामिल करने का प्रावधान मुहैया कराता है। मीडिया की एक हालिया रिपोर्ट में संकेत दिए गए हैं कि कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों में रबी और मोटे अनाज की बुआई के रकबे में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरह की फसलों में दिलचस्पी बहाल करने में वाजिब कीमत और बड़े पैमाने पर खरीद अहम हैं। कर्नाटक सरकार ने 1 लाख टन रागी 2000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा है। अगर इसकी खरीद और खपत में तेजी आती है, तो किसान इसका और उत्पादन करेंगे

भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है, जिसने संसदीय कानून के जरिये हर जरूरतमंद घर के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। वैसे यह इंतजाम घरेलू इकाइयों के लिए पक्का किया गया है, लेकिन भूख से निपटने के लिए सामाजिक सहयोग की जरूरत है।

देश में भूख और कुपोषण व्यापक स्तर पर फैला हुआ है। नतीजतन, हमारे बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को अपने शारीरिक और मानसिक विकास की जैविक संभावनाओं को विकसित करने का पर्याप्त मौका नहीं मिल पाता है। इस बजट और इसके आगे के घटनाक्रम के आधार पर मैं वैसे उन कुछ क्षेत्रों में काम करने की सिफारिश करता हूं, जहां वित्तीय और वैज्ञानिक दोनों तौर पर अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है।

कीमतों में अस्थिरता

हमारे किसान बड़े पैमाने पर कीमतों में अस्थिरता को झेलते हैं, जिससे उनकी आमदनी और स्थिरता पर असर पड़ता है। खासतौर पर आलू, टमाटर और प्याज जैसी सब्जियों की कीमतों के मामले में ऐसा होता है। कीमतों में उतार-चढ़ाव का मामला सतत समस्या रही है। हमें सिर्फ उपभोक्ताओं को शांत करने के लिए तदर्थ कदमों के बजाय स्थायी समाधान ढूंढ़ना चाहिए। एक व्यावहारिक तरीका शहरी बागवानी को बढ़ावा देना है। शहरों के भीतर और आसपास के इलाकों में जमीन का पर्याप्त रकबा उपलब्ध है और इनका इस्तेमाल चारों ओर बागवानी आंदोलन को बढ़ावा देकर किया जा सकता है। इसमें छतों पर बागवानी और खाली पड़ी जमीनों पर टमाटर, प्याज, मिर्च और खाने-पाने से जुड़े जरूरी पौधे शामिल कर सकते हैं। इससे दोहरा फायदा होगा-एक तो कीमतों में स्थिरता आएगी और दूसरे टिकाऊ पोषण सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

तटीय इलाकों की समृद्धि के लिए खेती

भारत में तकरीबन 8,000 किलोमीटर में तटीय इलाके फैले हुए हैं और समुद्री पानी वाली खेती के बड़े मौके हैं। यह खेती फिलहाल मुख्य रूप से केरल के कुट्टनाद इलाके में की जाती है। दोनों फसलों और मछली पालन दोनों को समुद्री पानी वाले एग्रोफॉरेस्ट सिस्टम में शामिल किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर 97 फीसदी पानी समुद्री जल है और भारत को यह दिखाने में अगुवा बनना चाहिए कि किस तरह से कई फसलों की खेती में समुद्री पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे तटीय खेती के किसानों की आय बढ़ेगी और इसे सुनामी जैसे आपदाओं का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकेगा। समुद्री पानी से जुड़ी खेती और समुद्री स्तर के नीचे वाली खेती के लिए तकनीक एम एस स्वामीनाथन शोध फाउंडेशन के पास उपलब्ध है। यह फाउंडेशन इस क्षेत्र में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के काम को अंजाम देगा। इस

लेखक एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष हैं। इन्हें *आर्थिक पारस्थितिकी का जनक* कहा जाता है। ये यूएन साइंस एडवाइज़री समिति के अध्यक्ष, एफएओ काउंसिल के स्वतंत्र अध्यक्ष, किसान विषयक राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष व अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था, फिलिपिन्स के महानिदेशक जैसे कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समितियों में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। इन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए रैमन मैग्सेसे, 1987 में पहला विश्व खान पान पुरस्कार, यूनेस्को का महात्मा गांधी पुरस्कार सरीखे कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। इन्हें पद्मश्री (1967), पद्मभूषण (1972) व पद्म विभूषण (1989) से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रो. स्वामीनाथन रॉयल सोसायटी ऑफ़ लन्दन और यूएस नेशनल एकैडमी ऑफ़ साइन्सेज़ समेत भारत व विश्व के कई सारे प्रमुख वैज्ञानिक अकादमियों के सदस्य हैं। ईमेल: swami@mssrf.res.in

कार्यक्रम में मैनग्रोव के संरक्षण और नमक बर्दाश्त करने वाली बाकी प्रजातियों का संरक्षण शामिल है। इस मकसद के लिए हैलफाइट का जैविक बगीचा तैयार किया गया है।

मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष

भारत सरकार ने 2018 को मोटे अनाज का राष्ट्रीय साल घोषित किया है। समई, थिनाई, केजवरागू, कंबू और कुछ अन्य मोटे अनाजों की खेती में तमिलनाडु अगुवा राज्य है। कोल्ली की पहाड़ियों में इस तरह के मोटे अनाजों के लिए पर्याप्त जर्मप्लाज्म हैं। लिहाजा, मोटे अनाजों के संरक्षण के लिए जैव घाटी को तैयार करना उपयोगी होगा। यह न सिर्फ कोल्ली की पहाड़ियों को कवर करेगी बल्कि इससे नमक्कल, सलेम आदि इलाके इसके दायरे में आएंगे। यहां फिर से तमिलनाडु मोटे अनाजों के पोषक और पारिस्थिक मूल्यों के प्रदर्शन में अगुवा बनेगा। इस तरह के कार्यक्रम में कई तरह के छोटे खाद्य उद्योग भी होने चाहिए, जो नाश्ते से जुड़े प्रसंस्करित मोटे अनाजों की व्यापक किस्मों पर आधारित हैं।

कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तीकरण

मैं एक बिल की कॉपी के बारे में बता रहा हूं, जिसे मैंने कृषि में महिलाओं के प्रौद्योगिकी सशक्तीकरण के मकसद से पेश किया था। खेती में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए इसके कुछ फीचर्स तमिलनाडु कानून में शामिल किए जा सकते हैं। तमिलनाडु फिर से खेती में लैंगिक समानता बढ़ाने में अगुवा राज्य हो जाएगा।

पशुपालन और मछली पालन

किसान क्रेडिट कार्ड न सिर्फ फसलों की खेती से जुड़े लोगों को बल्कि मछली पालन, पोल्ट्री और समुद्री खेती को बढ़ावा देने के लिए भी मुहैया कराए जाने चाहिए। बकरी-भेड़ पालन और पोल्ट्री उत्पादों जैसे कामों से किसानों की अतिरिक्त आमदनी में पर्याप्त बढ़ोतरी हो सकती है। इससे ऐसे सीजन में मछुआरा परिवारों की आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है, जब पुनरुत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मछली पकड़ने पर रोक है।

चावल जैव पार्क

यह पार्क किसानों को यह दिखाएगा कि बायोमास उपयोग के जरिये किस तरह से उनकी आमदनी में बढ़ोतरी की जाए। लिहाजा, चावल के पुआल, भुस्सी और दानों से मूल्य संवर्द्धित उत्पाद तैयार किए जाएंगे। दालों के मामले में भी इस तरह के जैवपार्क तैयार किए जा सकते हैं। इससे किसानों को बायोमास के हर हिस्से से आमदनी और रोजगार हासिल करने में मदद मिलेगी।

नेशनल ज्यॉग्राफिक मैगजीन (फरवरी 2018) के हालिया अंक में एक सवाल उठा है- 'चीन को कौन खिलाएगा।' हमें यह भी सवाल पूछना है, 'भारत को कौन खिलाएगा'। दरअसल, हमें कम से कम जमीन से ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करना है। मौजूदा बजट ने इस असमानता को दूर करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढालना

कम से कम हर प्रखंड स्तर पर पर्यावरण जोखिम प्रबंधन से जुड़े शोध और विकास के केंद्र तैयार करना जरूरी है। इस तरह के केंद्रों को प्रशिक्षत पर्यावरण जोखिम प्रबंधकों द्वारा मदद दी जानी चाहिए और इसमें हर पंचायत से एक महिला और एक पुरुष होने चाहिए। पर्यावरण में बदलाव बड़ी आपदा का सबब बन सकता है और इसके शमन व इसके हिसाब से परिस्थिति तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। एमएसएसआरएफ के साथ प्रशिक्षण मैन्युअल उपलब्ध है, जो प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण अभियान को अंजाम दे सकता है।

कृषि स्कूलों की स्थापना

किसानों के बेहतरीन खेतों में मौजूद कृषि स्कूलों के जरिये एक किसान से दूसरे किसान के सीखने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसी तरह जमीन से जमीन का अभियान खेती में कौशल से जुड़े काम के फैलाव की प्रक्रिया को तेज कर सकता है।

पेरी (चौतरफा) शहरी बागवानी क्रांति

भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है और शहरी इलाकों में खाद्य मुद्रास्फीति की समस्या मुख्य तौर पर मांग-आपूर्ति में अंतर से बढ़ रही है। शहरी इलाकों में सब्जियों और फलों की कीमतों को स्थिर करने का एक तरीका जरूरी प्रौद्योगिकी और मार्केटिंग सहयोग मुहैया कराकर पेरी (चौतरफा)-शहरी बागवानी को बढ़ावा दिया जाए। मिसाल के तौर पर इजराइल की तर्ज पर उत्पादन के विकेंद्रीकरण को कोऑपरेटिव मार्केटिंग के जरिये अंजाम दिया जा सकता है। शहरी और पेरी-शहरी 'बागवानी क्रांति' उपभोक्ता के लिए और स्थिर कीमतों का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। साथ ही, हमें खाद्य सामग्री की गुणवत्ता ऊंची रखने और इसे कीटनाशकों के अवशेषों से मुक्त रखना भी सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसे में हम ऊंची गुणवत्ता वाली और सुरक्षित खाद्य सामग्री के साथ सप्लाई की स्थिरता सुनिश्चित कर सकते

हैं। तमिलनाडु तेजी से शहरीकृत हो रहा है। शहरी आबादी खासतौर पर फल और सब्जियों की मांग करती है। लिहाजा, पेरी-शहरी कृषि कार्यक्रम प्रासंगिक है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 जन वितरण प्रणाली में मोटे अनाजों और बाकी फसलों को शामिल करने का प्रावधान मुहैया कराता है। मीडिया की एक हालिया रिपोर्ट में संकेत दिए गए हैं कि कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों में रबी और मोटे अनाज की बुआई के रकबे में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है।

इस तरह की फसलों में दिलचस्पी बहाल करने में वाजिब कीमत और बड़े पैमाने पर खरीद अहम हैं। कर्नाटक सरकार ने 1 लाख टन रागी 2000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा है। अगर इसकी खरीद और खपत में तेजी आती है, तो किसान इसका और उत्पादन करेंगे। 1992 से एमएसएसआरएफ तमिलनाडु की कोल्ली की पहाड़ियों और ओडिशा के कोरापुट में व्यावसायीकरण के और मौकों के जरिये छिटपुट मोटे अनाजों की बड़ी रेंज को बढ़ावा दे रही है। खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत रागी, ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाजों को खाद्य बास्केट में शामिल किया गया है। अब यह पूरी तरह से जाना जाता है कि इस तरह के मोटे अनाज न सिर्फ पोषणकारी होते हैं, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी चुस्त हैं और वे बारिश के बंटवारे के लिहाज से ज्यादा लचीले हैं। सूखी खेती वाले इलाकों

हमें यह पक्का करने की जरूरत है कि खाद्य सुरक्षा कानून और स्कूल भोजन कार्यक्रम दोनों के तहत पोषणकारी मोटे अनाजों का पर्याप्त उपयोग हो सके। साथ ही, सरकार को इस तरह के फसलों को 'खराब दाना' करार देने का चलन बदलना चाहिए। इन फसलों को 'पर्यावरण के लिहाज से स्मार्ट पोषणकारी अनाज' कहा जाना चाहिए। हमें संयुक्त राष्ट्र में यह भी प्रस्ताव करना चाहिए कि इस दशक के एक साल को कम उपयोग वाला और जैव-सुदृढ़ फसलों का साल घोषित किया जाए।

में बड़े पैमाने पर इन पोषक और पर्यावरण के लिहाज से लचीले फसलों की बड़े पैमाने पर खेती सुनिश्चित करने के लिए हमें बड़ा बाजार भी पक्का करना पड़ेगा। सौभाग्य से रागी, बाजरा, ज्वार और कई अन्य मोटे अनाजों पर आधारित कई खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों का वजूद सामने आ रहा है। हमें यह पक्का करने की जरूरत है कि खाद्य सुरक्षा कानून और स्कूल भोजन कार्यक्रम दोनों के तहत पोषणकारी मोटे अनाजों का पर्याप्त उपयोग हो सके। साथ ही, सरकार को इस तरह के फसलों को 'खराब दाना' करार देने का चलन बदलना चाहिए। इन फसलों को 'पर्यावरण के लिहाज से स्मार्ट पोषणकारी अनाज' कहा जाना चाहिए। हमें संयुक्त राष्ट्र में यह भी प्रस्ताव करना चाहिए कि इस दशक के एक साल को कम उपयोग वाला और जैव-सुदृढ़ फसलों का साल घोषित किया जाए। अगला साल दालों का अंतरराष्ट्रीय साल है और दालें पर्यावरण के लिहाज से स्मार्ट और प्रोटीन से भरपूर होती हैं। इस तरह की फसलों की खेती और खपत के लिए उपयुक्त नीतिगत समर्थन के जरिये कुपोषित महिलाओं और बच्चों की सबसे ज्यादा संख्या वाले देश के तौर पर हमारी पहचान को खत्म करना मुमकिन होगा।

एक और तत्काल जरूरत इन 'अनाथ फसलों' के शोध पर बड़े निवेश की जरूरत है, ताकि उपज की संभावना में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सके। ऊंची उपज और सुनिश्चित मार्केटिंग से छोटे किसानों के लिए इन फसलों का आकर्षण बढ़ेगा।

चिंता की एक बात कट चुके फसलों की कटाई के बाद प्रबंधन की है। फिलहाल, उत्पादन और कटाई के बाद तकनीकों के बीच असमानता है, जिससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को नुकसान होता है। इसको ध्यान में रखते हुए खाद्य प्रसंस्करित उद्योगों की सख्त जरूरत है। खुशकिस्मती से 2018-19 के बजट में खाद्य सुरक्षा और खाद्य प्रसंस्करण के लिए अहम सहयोग मुहैया कराया गया है। कटाई के बाद की तकनीक में बड़े निवेश को बढ़ावा देने के लिए मूल्य संवर्द्धित उत्पादों को तैयार करना होगा। कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन की जरूरत है। अगर पंजाब और हरियाणा इलाके में कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध होते तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में हालिया आलू संकट को टाला जा सकता था। मुझे उम्मीद है कि जल्दी खराब होने वाले कमोडिटीज के संरक्षण में किसानों की सहभागिता और प्रौद्योगिकी व सरकारी नीति इस असमानता को दूर करेगी।

नेशनल ज्यॉग्राफिक मैगजीन (फरवरी 2018) के हालिया अंक में एक सवाल उठा है- 'चीन को कौन खिलाएगा।' हमें यह भी सवाल पूछना है, 'भारत को कौन खिलाएगा'। दरअसल, हमें कम से कम जमीन से ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करना है। मौजूदा बजट ने इस असमानता को दूर करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। ❑

You Deserve the Best...

I A S — GS World — P C S
Committed to Excellence
ISO 9001 Certified

IAS-2016 में चयनित GS World के छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं...

Ganga Singh (Roll No. 0078265)
Rank 33rd

Hemant Sati (Roll No. 0441143)
Rank 88th

Dhawal Jaiswal (Roll No. 0807519)
Rank 445th

Ashutosh Kr. Rai (Roll No. 0576755)
Rank 500th

And Many More...

Niraj Singh (M.D.) | दिल्ली केन्द्र | Divyasen Singh (Co-ordinator)

सामान्य अध्ययन
Foundation Batch
Open Seminar 12 MARCH 12:05 pm

इलाहाबाद केन्द्र

सामान्य अध्ययन
Foundation Batch
हिन्दी & English Medium
20 MARCH 5:00 pm

लखनऊ केन्द्र

सामान्य अध्ययन
Complete Prepration For IAS/PCS
Open Seminar 11 MARCH 9:00 am/6:00 pm
हिन्दी & English Medium

जयपुर केन्द्र

Complete Preparation for RAS
New Foundation Batch
20 MARCH 8:00 am/5:00 pm

IAS INTEGRATED MAINS TEST SERIES-2018

Complete 52 Tests only 15000/- | At all GS World Center

NCERT Mains Test Series — Total Test - 10
Magazine & TV Debate Test Series — Total Test - 20
IAS-2018 Specific Mains Test Series — Total Test - 12
ESSAY Test Series — Total Test - 10

DELHI CENTRE
629, Ground Floor, Main Road
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi- 09
Ph.:7042772062/63, 9868365322

ALLAHABAD CENTRE
GS World House, Stainly Road,
Near Traffic Choraha, Allahabad
Ph.: 0532-2266079, 8726027579

LUCKNOW CENTRE
A-7, Sector-J , Puraniya Chauraha
Aliganj, Lucknow
Ph. : 0522-4003197, 8756450894

JAIPUR CENTRE
Hindaun Heights 57, Shri Gopal Ngr,
Near Mahesh Ngr Police Station,
Jaipur Ph. : 9610577789, 9680023570

http://www.gsworldias.com || http://facebook.com/gsworld1 || 9654349902

YH-792/2017

संभावनाशील जिलों का कायाकल्प : एक विकास यात्रा

अमिताभ कांत

भारत सरकार ने हाल में 'संभावनाशील जिलों के कायाकल्प' योजना की शुरुआत की है। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह के मौके पर 9 अगस्त 2017 को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जिला समाहर्ताओं के साथ संवाद किया और कहा कि ''जब 100 सबसे पिछड़े जिलों में सामाजिक आर्थिक हालात सुधरेंगे, तो इससे देश के सकल विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा।'' इस अभियान की मुख्य बातों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की एकसूत्रता, केंद्र, राज्य स्तर के प्रभारी अधिकारियों और डीएम, राज्य के साथ मिल-जुलकर काम करना, योजनाओं के समायोजन, रियल टाइम आंकड़े, जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा और जन आंदोलनों से प्रेरणा आदि शामिल हैं

भारत सुदृढ़ विकास के रास्ते पर है। विश्व बैंक, मूडीज इनवेस्टर सर्विस आदि अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने अनुमान जताया है कि भारत फिर से सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगा। व्यापार सुगमता (ईज ऑफ डुइंग बिजनेस) से जुड़ी विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में इस संबंध में 42 श्रेणियों में अहम उछाल देखने को मिला है। भारत एकमात्र ऐसा देश है, जिसने इस मामले में इस कदर उछाल हासिल किया है।

देश की आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं से जुड़े रुझान जहां सकारात्मक हैं, वहीं हमारा सामाजिक क्षेत्र विकास की कुछ चुनौतियों से जूझ रहा है। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक, 2016 में भारत 188 देशों की सूची में 131वें पायदान पर है। इसी तरह, विश्व भूख सूचकांक में 119 देशों की सूची में यह 100वें स्थान पर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (एनएफएचएस) की हालिया रिपोर्ट में पता चला है कि हर दो में से एक महिला खून की कमी जैसी बीमारी से पीड़ित हैं; हर तीन में से एक बच्चा अल्पविकसित है; प्रत्येक चार में से एक बच्चा कुपोषित है और हर पांच में से एक बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ती है।

विभिन्न सर्वेक्षणों के नतीजे भी चुनौतीपूर्ण तस्वीर पेश करते हैं। हालांकि, अगर आंकड़ों की तह में जाएं, तो तस्वीर अलग जान पड़ती है और इन सूचकांकों के लिहाज से हालात उतने डरावने नहीं हैं, जितने राष्ट्रीय स्तर पर नजर आते हैं।

मिसाल के तौर अविकसित बच्चों का प्रतिशत केरल में 19.7 फीसदी और बिहार में 48.3 फीसदी है, सामान्य से कम वजन वाले बच्चे मिजोरम में 11.9 फीसदी और झारखंड में 47.8 फीसदी हैं। इसके अलावा, नवजात मृत्यु दर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10 (प्रति एक हजार) और उत्तर प्रदेश में 64 है। प्रसूति मृत्यु दर केरल में हर एक लाख बच्चे पर 61 है, जबकि असम में यह आंकड़ा 300 है। तमिलनाडु में पांचवी क्लास का एनएएस स्कोर 56 फीसदी और छत्तीसगढ़ में 32 फीसदी है। इसी तरह, पढ़कर समझने के मामले में तमिलनाडु का आंकड़ा 54 फीसदी और बिहार का 29 फीसदी रहा। कुल मिलाकर, देश भर के 200 जिले राष्ट्रीय औसत को खराब करते हैं।

आने वाले वक्त में जिला स्तर पर रियल टाइम निगरानी तंत्र के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं पर मिशनरी अंदाज में तेजी से अमल से इन महत्वाकांक्षी जिलों में अहम बदलाव होने की उम्मीद है और अगले 3-5 साल में देश बेहतर आंकड़े का लक्ष्य हासिल कर सकेगा।

देश के विभिन्न हिस्सों में आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर विकास के सूचकांकों में फैली भारी असमानता लंबे समय यानी 1960 के दशक से ही नीति निर्माताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचती रही है। इस सिलसिले में पहले जिन जिलों की पहचान की गई थी, उनमें मुख्य तौर पर अविभाजित बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जिले शामिल

लेखक वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। वे केरल कैडर के 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। *ब्रैंडिंग इंडिया: एन इनक्रेडिबल स्टोरी* के लेखक हैं और *मेक-इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया* व *गॉड्स ऑन कंट्री* जैसे पहलों के प्रणेता रह चुके हैं। इन्होंने टैक्सी ड्राइवर गाइड्स, इमिग्रेशन अधिकारी को प्रशिक्षित करने के लिए पर्यटन विकास प्रक्रिया में हितधारक बनाने के लिए *अतिथि देवो भव* अभियान की रूपरेखा तैयार की और इसे कार्यान्वयित किया। ईमेल: amitabh.kant@nic.in

तालिका 1: संभावनाशील 115 जिलों की सूची

राज्य	नीति आयोग के देखरेख वाले जिले	मंत्रालय कोटे वाले जिले	गृह मंत्रालय की अगुवाई वाले जिले	कुल
आंध्र प्रदेश		1. विजयनगरम	विशाखापत्तनम	3
आंध्र प्रदेश		2. कड़पा		
अरुणाचल प्रदेश		1. नमसाई		1
असम	1. दरं	1. उदलगुड़ी		7
असम	2. धुब्री	2. हैलाकंदी		
असम	3. बारपेटा			
असम	4. गोलपारा			
असम	5. बक्सा			
बिहार	1. कटिहार	1. खगड़िया	1. औरंगाबाद	13
बिहार	2. बेगूसराय	2. पूर्णिया	2. बांका	
बिहार	3. शेखपुरा		3. गया	
बिहार	4. अररिया		4. जमुई	
बिहार	5. सीतामढ़ी		5. मुजफ्फरपुर	
बिहार			6. नवादा	
छत्तीसगढ़		1. कोरबा	1. बस्तर	10
छत्तीसगढ़		2. महासमुंद	2. बीजापुर	
छत्तीसगढ़			3. दंतेवाड़ा	
छत्तीसगढ़			4. कांकेर	
छत्तीसगढ़			5. कोंडागांव	
छत्तीसगढ़			6. नारायणपुर	
छत्तीसगढ़			7. राजनांदगांव	
छत्तीसगढ़			8. सुकमा	
गुजरात		1.नर्मदा		2
गुजरात		2. दाहोद		
हरियाणा		1.मेवात		1
हिमाचल प्रदेश		1.चंबा		1
जम्मू-कश्मीर		1.कुपवाड़ा		
जम्मू-कश्मीर		2. बारामूला		
झारखंड	1. साहेबगंज	1. गोड्डा	1. लातेहार	19
झारखंड	2. पाकुड़		2. लोहरदग्गा	
झारखंड			3. पलामू	
झारखंड			4. पूर्वी सिंहभूम	
झारखंड			5. रामगढ़	
झारखंड			6. रांची	
झारखंड			7. सिमडेगा	
झारखंड			8. प. सिंहभूम	
झारखंड			9. बोकारो	
झारखंड			10. चतरा	
झारखंड			11. दुमका	
झारखंड			12. गढ़वा	
झारखंड			13. गिरिडीह	
झारखंड			14. गुमला	
झारखंड			15. हजारीबाग	
झारखंड			16. खूंटी	
कर्नाटक		1. यादगिर		2
कर्नाटक		2. राइचूर		
केरल		1. वयनाड		1
मध्य प्रदेश	1. दामोह	1. छतरपुर		8
मध्य प्रदेश	2. सिंगरौली	2. राजगढ़		
मध्य प्रदेश	3. बरवानी	3. गुना		
मध्य प्रदेश	4. विदिशा			
मध्य प्रदेश	5. खंडवा			
महाराष्ट्र	1. ननदरबार	1. वाशिम	1. गढ़चिरौली	4
महाराष्ट्र		2. उस्मानाबाद		
मणिपुर		1. चंदेल		1
मेघालय		1. रिभोई		1
मिजोरम		1. ममित		1
नागालैंड		1. कैफाइर		1
ओडिशा	1. रायगढ़			
	1. कंधमाल	1. कोरापूट		8
ओडिशा	2. कालाहांडी	2. गजपति	2. मलकानगिरी	
ओडिशा		3. ढेकानाल		
ओडिशा		4. बालनगीर		
पंजाब		1. फिरोजपुर		
पंजाब		2. मोगा		
राजस्थान	1. बारां	1. धौलपुर		5
राजस्थान	2. जैसलमेर	2. करौली		
राजस्थान		3. सिरोही		
सिक्किम		1. प. सिक्किम		1
तमिलनाडु		1. रामनाथपुरम		2
तमिलनाडु		2. विरुद्धानगर		
तेलंगाना		1. भूपलपल्ली	1. खम्मम	3
तेलंगाना		2. आसिफाबाद		
त्रिपुरा		1. धलाई		1
उत्तर प्रदेश	1. चित्रकूट	1. चंदौली		8
उत्तर प्रदेश	2. बलरामपुर	2. सिद्धार्थनगर		
उत्तर प्रदेश	3. बहराइच	3. फतेहपुर		
उत्तर प्रदेश	4. सोनभद्र			
उत्तर प्रदेश	5. श्रावस्ती			
उत्तराखंड		1. हरिद्वार		2
उत्तराखंड		2. उधमसिंहनगर		
पश्चिम बंगाल	1. मुर्शिदाबाद	1. नदिया		5
पश्चिम बंगाल	2. मालदा	2. द. दिनाजपुर		
पश्चिम बंगाल	3. बीरभूम			
कुल	**30**	**50**	**35**	**115**

तालिका 2: संभावनाशील जिलों में शिक्षा संबंधी सूचकांक

क्र	सूचकांक	शिक्षा सूचकांक में भारांक	कंपोजिट इंडेक्स में कुल हिस्सेदारी	स्रोत/अवधि (सभी सूचकांकों की सर्वे के जरिये पुष्टि करनी होगी)
1	एनईआर (ए) प्रारंभिक स्तर	14	4.2	मानव संसाधन विकास मंत्रालय-यूडीआईएसई/ सालाना
	(बी) माध्यमिक स्तर	6	1.8	मानव संसाधन विकास मंत्रालय-यूडीआईएसई/ सालाना
2	शौचालय की सुविधा: प्रतिशत स्कूल लड़कियों के लिए शौचालय के साथ	5	1.5	सर्वे/सालाना
3	सीखने का स्तर (सभी, लड़के, लड़कियां, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक) (ए) कक्षा 3 में गणित का प्रदर्शन (बी) कक्षा 3 में भाषा का प्रदर्शन (सी) कक्षा 5 में गणित का प्रदर्शन (डी) कक्षा 5 में भाषा का प्रदर्शन (ई) कक्षा 8 में गणित का प्रदर्शन (एफ) कक्षा 8 में भाषा का प्रदर्शन	50	15	आकस्मिक सैंपल के जरिये चुने गए स्कूलों में थर्ड पार्टी द्वारा मासिक आधार पर टेस्ट
4	महिला साक्षरता दर (15+ आयु वर्ग)	8	2.4	सर्वे/तिमाही
5	पीने के पानी (चालू) की सुविधा वाले स्कूलों का प्रतिशत	4	1.2	संबंधित अधिकारी-डीसी/मासिक् सर्वे/तिमाही
6	माध्यमिक स्तर पर चालू अवस्था में बिजली की सुविधा वाले स्कूलों का प्रतिशत	1	0.3	संबंधित अधिकारी-डीसी/मासिक् सर्वे/तिमाही
7	आरटीई के तहत तय शिक्षक-छात्र अनुपात का पालन करने वाले प्राथमिक स्कूलों का प्रतिशत	8	2.4	संबंधित अफसर-डीसी/मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मासिक पुष्टि करनी होगी
8	अकादमिक सत्र शुरू होने के 3 महीने के भीतर बच्चों को पाठ्य पुस्तक मुहैया कराने वाले स्कूलों का प्रतिशत	4	1.2	मानव संसाधन विकास मंत्रालय/सालाना
	कुल	**100 प्रतिशत**	**30 प्रतिशत**	

आरेख 1: महत्वाकांक्षी जिलों में विकास के आकलन के लिए सूचकांक
(नीति आयोग)

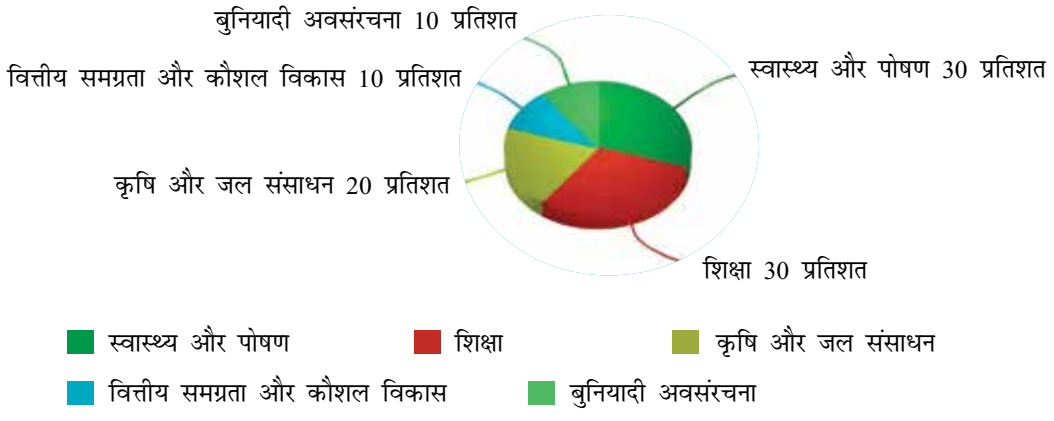

तालिका 3: संभावनाशील जिलों में स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सूचकांक

क्र.	सूचकांक	स्वास्थ्य और पोषण सूचकांक में भारांक	कुल कंपोजिट सूचकांक में हिस्सेदारी	स्रोत/अवधि (सभी सूचकांकों की सर्वे के जरिये पुष्टि करनी होगी)
1	प्रसव पूर्व देखभाल के लिए रजिस्टर्ड कुल गर्भवती महिलाओं में प्रसव से पहले 4 या ज्यादा बार चेक अप की सुविधा हासिल करने वाली महिलाओं का प्रतिशत	8	2.4	हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 2016-17/मासिक
2	आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत नियमित तौर पर अतिरिक्त पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत	3	0.9	जिला कलक्टर (डीसी)धमासिक
3	प्रसव पूर्व देखभाल के लिए रजिस्टर्ड कुल महिलाओं की संख्या में सख्त एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत	9	2.7	एचएमआईएस/मासिक
4	कुल डिलीवरी में संस्थागत डिलीवरी का प्रतिशत	7	2.1	एचएमआईएस/मासिक
5	कुल डिलीवरी में बच्चा पैदा करने में भूमिका निभाने वाली प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी के जरिये घर में हुई डिलीवरी का प्रतिशत	3		एचएमआईएस/मासिक
6	जन्म के एक घंटा के भीतर स्तनपान कराए जाने वाले नवजातों का प्रतिशत	10	3.0	एचएमआईएस/मासिक
7	5 साल से कम के कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत	7	2.1	सर्वे
8	5 साल से कम के अविकिसित बच्चों का प्रतिशत	8	2.4	सर्वे
9	सख्त कुपोषण	5	1.5	सर्वे
10	पर्याप्त भोजन (स्तनपान् पूरक आहार) हासिल करने वाले 6-23 महीने के नवजातों का प्रतिशत	5	1.5	सर्वे
11	पूरी तरह से टीका लगाए जाने वाले (9-11 महीना) बच्चों का प्रतिशत (बीसीजी़डीपीटी3ओपीवी3मीजल्स1)	10	3.0	एचएमआईएस/मासिक
12	प्रति 1,00,00 आबादी पर टीबी के पाए गए मामले	5	1.5	डीसी/आरएनटीसीपी एमआईएस/मासिक
13	स्वास्थ्य अवसंरचना सूचकांक	20	6.0	
13ए	हेल्थ और वेलनेस सेंटर (एचडब्ल्यूसी) में बदले गए उपकेंद्रों/ पीएचसी का अनुपात	6	1.8	डीसी
13बी	भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तरों के अनुकूल मौजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का अनुपात	5	1.5	एचएमआईएस/मासिक
13सी	हर 5 लाख की आबादी पर 1 (पहाड़ी इलाकों में 30,000 पर 1) के नियम को लेकर काम कर रहे एफआरयू (फर्स्ट रेफरल यूनिट्स) का अनुपात	3	0.9	एचएमआईएस/मासिक
13डी	आईपीएचएस नियमों के मुताबिक जिला अस्पतालों में उपलब्ध स्पेशल सेवाओं का अनुपात	2	0.6	एचएमआईएस/मासिक
13ई	पिछले एक महीने में आंगनवाड़ी केंद्रों/यूपीएचसी द्वारा कम से कम एक बार ग्रामीण स्वास्थ्य सफाई और पोषण दिवस/शहरी स्वास्थ्य सफाई और पोषण दिवस मनाए जाने का प्रतिशत	2	0.6	एचएमआईएस/मासिक
13एफ	अपनी बिल्डिंग वाली आंगनवाड़ी की हिस्सेदारी	2	0.6	संबंधित अधिकारी- डीसी/मसिक
	कुल	**100 प्रतिशत**	**30 प्रतिशत**	

* राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2015-16

हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 2016-17

$ सर्वश्रेष्ठ जिले का संकेत करने के लिए अनीमिया से संबंधित आंकड़े काल्पनिक रूप से लिये गये हैं

^ आरएनटीसीपी सालाना रिपोर्ट 2017

तालिका 4: संभावनाशील जिलों में कृषि और जल संसाधन संबंधी सूचकांक

क्र.	सूचकांक	कृषि सूचकांक में भारांक	कुल कंपोजिट सूचकांक में हिस्सेदारी	स्रोत/अवधि (सभी सूचकांकों की सर्वे के जरिये पुष्टि करनी होगी)
1	पानी से जुड़ा पॉजिटिव निवेश और रोजगार	30	6	
1(ए)	1 (ए) लघु सिंचाई के तहत बुआई के शुद्ध रकबे का प्रतिशत	17.5	3.5	संबंधित अधिकारी, डीसी और सर्वे/मासिक
1(बी)	1 (बी) मनरेगा के तहत जीर्णोद्धार की गई जल इकाइयों में बढ़ोतरी, प्रतिशत में	12.5	2.5	संबंधित अधिकारी, डीसी और सर्वे/छमाही
2	फसल बीमा-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत बुआई के शुद्ध रकवे का प्रतिशत	15	3	संबंधित अधिकारी, डीसी और सर्वे/छमाही
3	अहम इनपुट के इस्तेमाल और आपूर्ति में बढ़ोतरी	17.5	3.5	
3 (ए)	3 (ए) कृषि ऋण में बढ़ोतरी, प्रतिशत में	7.5	1.5	संबंधित अधिकारी, डीसी और सर्वे/मासिक
3(बी)	3 (बी) सर्टिफाइड क्वॉलिटी वाले बीजों का बंटवारा	7.5	1.5	संबंधित अधिकारी, डीसी और सर्वे/छमाही
3(सी)	3 (सी) खाद के इस्तेमाल में बढ़ोतरी	2.5	0.5	संबंधित अधिकारी, डीसी/ तिमाही
4	मंडी जिले में ई-नैम से लिंक्ड लेनदेन की संख्या	10	2	संबंधित अधिकारी, डीसी, सर्वे/मासिक
5	कीमतें हासिल होने में प्रतिशत बदलाव (फार्म हार्वेस्ट प्राइस (एचएफपी) और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बीच के अंतर के तौर पर पारिभाषित)	5	1	संबंधित अधिकारी, डीसी और सर्वे/छमाही
6	जिले में बुआई के कुल क्षेत्र में ऊंची कीमत वाले फसलों का हिस्सा, प्रतिशत में	2.5	0.5	संबंधित अधिकारी, डीसी/ छमाही
7	चावल और गेहूं की कृषि उत्पादकता	5	1	संबंधित अधिकारी, डीसी और सर्वे/छमाही
8	टीकाकरण वाले पशुओं का प्रतिशत	7.5	1.5	संबंधित अधिकारी- डीसी/ तिमाही
9	कृत्रिम बीजारोपण कवरेज	5	1	संबंधित अधिकारी, डीसी, सर्वे/मासिक
10	पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में बांटे गए सॉयल हेल्थ काड्र्स की संख्या	2.5	0.5	संबंधित अधिकारी, डीसी/ मासिक
	कुल	**100 प्रतिशत**	**20 प्रतिशत**	

थे। कमेटियों की प्रत्येक सिफारिश के परिणामस्वरूप कार्यक्रम/योजना की शुरुआत हुई, जो सेक्टर या इलाका आधारित थे। एकसूत्रता और केंद्रीकृत निगरानी तंत्र की कमी थी। रिपोर्टों की मानें तो जो आवंटन किए गए, उनमें से महज छोटा हिस्सा इन जिलों में पहुंचा। भरोसेमंद और रियल टाइम (त्वरित) आंकड़ा भी बड़ी चुनौती थी। नीति निर्माण के साथ एक और दिक्कत 'हर मामले में एक जैसा समाधान पेश करने' की भी दिक्कत थी। भौगौलिक, सांस्कृतिक और मान्यताओं के लिहाज से व्यापक विभिन्नता वाले इस देश में दिक्कतों का हल नीतिगत सुझावों के कुल दायरे में मामला-दर-मामला आधार पर ही हो सकता है। बहरहाल, पोलियो उन्मूलन जैसे सफल अभियानों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि लोगों की भागीदारी के बिना इन पिछड़े जिलों में बड़ा बदलाव मुमकिन नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो जन आंदोलन के जरिये ही अहम बदलाव मुमकिन है।

विकास की यात्रा में सीखे गए सबक को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हाल

तालिका 5: संभावनाशील जिलों में बुनियादी अवसंरचना संबंधी सूचकांक

क्र.	सूचकांक	बेसिक अवसंरचना सूचकांक में भारांक	कुल कंपोजिट सूचकांक में हिस्सेदारी	स्रोत/अवधि (सभी सूचकांकों की सर्वे के जरिये पुष्टि करनी होगी)
1	बिजली के कनेक्शन वाले घरों का प्रतिशत	20	2	संबंधित अधिकारी-डीसी और सर्वे/मासिक
2	इंटरनेट के कनेक्शन वाले घरों का प्रतिशत	5	0.5	संबंधित अधिकारी-डीसी और सर्वे/मासिक
3	3 किलोमीटर के दायेर में सभी मौसम वाली सड़कों से संपर्क वाले घरों का प्रतिशत	15	1.5	संबंधित अधिकारी-डीसी और सर्वे/मासिक
4	निजी घरेलू शौचालय वाले घरों का प्रतिशत	15	1.5	संबंधित अधिकारी-डीसी और सर्वे/मासिक
5	पर्याप्त मात्रा में पीने लायक पानी की सुविधा वाले घरों का प्रतिशत- गांवों में 40 एलपीसीडी पीने का पानी और शहरी इलाकों में 135 एलपीसीडी (घर के 100 मीटर या ऊंचे स्थान के 10 मीटर के अंदर)	20	2	संबंधित अधिकारी-डीसी और सर्वे/मासिक
6	कवरेज/ग्राम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना	5	0.5	संबंधित अधिकारी-डीसी और सर्वे/मासिक
7	वैसे लोगों के लिए बनाए गए पक्के घर, जो आश्रयविहीन हैं या कच्ची दीवार या छत वाला एक या दो रूम है	20	2	संबंधित अधिकारी-डीसी और सर्वे/मासिक
	कुल	**100 प्रतिशत**	**10 प्रतिशत**	

में 'संभावनाशील जिलों के कायाकल्प' योजना की शुरुआत की है। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह के मौके पर 9 अगस्त 2017 को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जिला समाहर्ताओं के साथ संवाद किया और कहा कि ''जब 100 सबसे पिछड़े जिलों में सामाजिक आर्थिक हालात सुधरेंगे, तो इससे देश के सकल विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा।'' इस अभियान की मुख्य बातों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की एकसूत्रता, केंद्र, राज्य स्तर के प्रभारी अधिकारियों और डीएम, राज्य के साथ मिल-जुलकर काम करना, योजनाओं के समायोजन, रियल टाइम आंकड़े, जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा और जन आंदोलनों से प्रेरणा आदि शामिल हैं।

कुल 115 जिलों की पहचान की गई है। इसके तहत 28 यानी सभी राज्यों में कम से कम एक जिले को इसमें शामिल किया गया है। 30 जिलों का चुनाव नीति आयोग ने किया है और बाकी 50 जिलों का चुनाव केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा किया गया है। इन जिलों का चुनाव उपलब्ध प्रकाशित सरकारी आंकड़ों और राज्यों की जांच पड़ताल के बाद तैयार मापदंडों का इस्तेमाल कर किया गया है। बाकी 35 जिलों की पहचान गृह मंत्रालय ने वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित जिलों के तौर पर की है। नीति आयोग इस कार्यक्रम के संचालक की भूमिका में होगा। जिले का चुनाव करते वक्त राज्यों की क्षमता को भी ध्यान में रखा गया, क्योंकि कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाएंगे। इन जिलों को 2022 तक अहम मापदंडों पर सुधारने के लिए पुरजोर कोशिशों की खातिर केंद्र सरकार राज्यों को सहयोग करेगी। नीति आयोग मदद के तौर पर समन्वय का काम करेगा और इन जिलों में प्रदर्शन आंकने के लिए मजबूत सिस्टम (एमआईएस) भी तैयार करेगा।

इन जिलों के कायाकल्प की रणनीति का एक मुख्य बिंदु चुनिंदा अहम प्रदर्शन सूचकांकों (केपीआई) की पहचान करना है, इन सूचकांकों में की गई प्रगति की निगरानी करना और विकास में बढ़ोतरी के आधार पर सालाना रैंकिंग बनाना है। इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद संबंधित जिलों में सामाजिक सूचकांकों को सुधार कर जीवन स्तर और बुनियादी ढांचा बेहतर करना और नागरिकों की आमदनी का स्तर भी बढ़ाना है। इसी हिसाब से पांच सेक्टरों की पहचान की गई है-स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, बुनियादी ढांचा और वित्तीय समग्रता तथा कौशल निर्माण। अवसरों में व्यापक विभिन्नता और किसी जिले की तरफ से पेश चुनौतियों के मद्देनजर खास जिले को ध्यान में रखते हुए आदर्श केपीआई का चुनाव किया गया है, जो जिले के कायाकल्प या अहम बदलाव में तमाम पक्षों की प्रतिबद्धताओं और कोशिशों को समेटता है। ये केपीआई इन सभी पांच क्षेत्रों में इनपुट, आउटपुट और नतीजों का मिला-जुला रूप होंगे और रियल टाइम आधार पर आंकड़े जिला स्तर पर मुहैया कराए जाएंगे। स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े केपीआई में मां और बच्चे का स्वास्थ्य; नवजात पोषण; प्रसव पूर्व देखभाल और पोषण; प्रतिरक्षा; स्वास्थ्य के लिए अन्य ढांचा और मानव संसाधन शामिल हैं। शिक्षा

तालिका 6: संभावनाशील जिलों में वित्तीय समावेशन और कौशल निर्माण संबंधी सूचकांक

क्र.	सूचकांक	वित्तीय समावेशन सूचकांक में भारांक	कुल कंपोजिट इंडेक्स में हिस्सेदारी	स्रोत/अवधि (सभी सूचकांकों की सर्वे के जरिये पुष्टि करनी होगी)
	वित्तीय समावेशन			
1	हर एक लाख आबादी पर मुद्रा लोन का कुल भुगतान (रुपये में)	20	1	वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस)/ मासिक
2	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) : प्रति एक लाख आबादी पर नामाकंन की संख्या	20	1	डीएफएस/मासिक
3	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई): प्रति एक लाख आबादी पर नामांकन की संख्या	20	1	डीएफएस/मासिक
4	अटल पेंशन योजना (एपीवाई): प्रति एक लाख आबादी पर लाभार्थियों की संख्या	20	1	डीएफएस/मासिक
5	कुल बैंकिंग खातों में आधार से लिंक्ड खातों का प्रतिशत	20	1	डीएफएस/मासिक
	कुल	**100 प्रतिशत**	**5 प्रतिशत**	
	कौशल निर्माण			
1	छोटी अवधि और लंबी अवधि के प्रशिक्षण योजनाओं में सर्टिफाइड युवाओं की संख्या/15-29' आयु वर्ग में जिले में युवाओं की संख्या	25	1.25	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) और लाइन मंत्रालय/ मासिक
2	रोजगाररु पा चुके सर्टिफाइड युवाओं की संख्या/छोटी अवधि और लंबी अवधि प्रशिक्षण के तहत प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	15	0.75	एमएसडीई और लाइन मंत्रालय/मासिक
3	पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या/पोर्टल पर रजिस्टर्ड प्रशिक्षुओं की कुल संख्या	25	1.25	प्रशिक्षण निदेशालय (डीजीटी)/मासिक
4	पहले सीखने की पहचान के तहत सर्टिफाइड लोगों की संख्या/अनौपचारिक तौर पर कुशल कार्यबल''	25	1.25	एमएसडीई और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)/मासिक
5	छोटी अवधि और लंबी अवधि के प्रशिक्षण के तहत प्रशिक्षित कमजोर/हाशिए पर मौजूद युवाओं की संख्या (ए) महिला- सर्टिफाइड प्रशिक्षित, बी) अनुसूचित जाति- सर्टिफाइड प्रशिक्षित सी) अनुसूचित जनजाति- सर्टिफाइड प्रशिक्षित डी) ओबीसी- सर्टिफाइड प्रशिक्षित ई) अल्पसंख्यक- सर्टिफाइड प्रशिक्षित एफ) दिव्यांग- सर्टिफाइड प्रशिक्षित)/सर्टिफाइड प्रशिक्षित युवाओं की कुल संख्या	10	0.5	एमएसडीई और एनएसडीसी/मासिक
	कुल	**100 प्रतिशत**	**5 प्रतिशत**	

* यहां सिर्फ पीएमकेवीवाई के आंकड़ों (2016-20) का हवाला दिया गया है।

*The data नीति आयोग द्वारा 'जिले में 15-29 आयु वर्ग में युवाओं की संख्या' के आंकड़े का इस्तेमाल उसी स्रोत से किया जाएगा, जिससे बाकी मापदंडों के आकलन के लिए उपयोग किया जाता है।

**अनौपचारिक कौशल वाले कार्यबल के आंकड़े का अनुमान एनएसएसओ 2011-12 ईयूएस सर्वे और जनगणना 2011 के जरिये पेश किया गया है।

केपीआई के तहत शुद्ध नामांकन अनुपात; भौतिक बुनियादी ढांचा; सीखने संबंधी नतीजे; साक्षरता दर और आरटीआई का अनुपालन आते हैं। कृषि केपीआई में पानी से जुड़ा निवेश और रोजगार; प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों की बीमा, अहम इनपुट इस्तेमाल और सप्लाई शामिल हैं। बुनियादी ढांचा में सड़क, पानी, शौचालय, आवास, बिजली और इंटरनेट कनेक्शन हैं। इसके अलावा दो एजेंसियां (टाटा ट्रस्ट और बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन) आकस्मिक सैंपल तकनीक का इस्तेमाल कर तिमाही आधार पर घरों का सर्वे करेंगे।

इस कार्यक्रम की एक उल्लेखनीय व नई चीज में अतिरिक्त/संयुक्त सचिव के स्तर पर प्रभारी और नोडल अफसर के तौर पर केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की भर्ती शामिल हैं। ये अधिकारी अपने अनुभव के कारण न सिर्फ जिला प्रशासन को निर्देश देने के लिए फिट हैं, बल्कि इनमें जिले और राज्य व केंद्र सरकार के बीच पुल की तरह काम करने की भी संभावना भी है। जिला स्तर पर अहम अधिकारी डीएम होंगे। सचिवों की अधिकार प्राप्त कमेटी इस कार्यक्रम के अमल की निगरानी करेगी और जिला स्तरीय टीम द्वारा इन जिलों में हासिल अनुभव के आधार पर नीति स्तर पर जरूरी बदलाव करेगी। इसी तरह, राज्यों में मुख्य सचिव, योजना/वित्त सचिव वाली टीम कार्यक्रम के अमल पर नजर रखेगी और राज्य स्तर पर जरूरी नीतिगत कदम उठाएगी।

जिला स्तरीय टीम अलग-अलग सूचकांकों के मौजूदा हालात की शुरुआती रिपोर्ट तैयार करेगी और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर सालाना लक्ष्य भी पेश करेगी, ताकि 2022 तक संबंधित जिला हर सूचकांक के मामले में अपेक्षित स्तर हासिल कर ले। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कम से कम दो महीने में एक बार जिले का दौरा करेगा और नीति आयोग के लिए रिपोर्ट भी तैयार करेगा। आयोग रिपोर्ट का विश्लेषण कर मामले को विचार-विमर्श के लिए सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति के पास पेश करेगा।

कुल 115 जिलों में नीति आयोग 30 जिलों का संचालन करेगा, 35 जिलों की अगुवाई गृह मंत्रालय के हाथों में होगी और बाकी 55 जिले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय; महिला और बाल विकास; पंचायत राज; कृषि और किसान कल्याण; मानव संसाधन विकास, आवास और शहरी मामले; पेयजल और सफाई; जल संसाधन; ऊर्जा; सामाजिक न्याय और जनजातीय मामले जैसे मंत्रालयों के बीच बांटे गए हैं।

बुनियादी आंकड़े जुटाने और रियल टाइम निगरानी का काम 1 अप्रैल 2018 से शुरू होने की उम्मीद है। इससे इन संभावनाशील जिलों के लोगों का स्तर सुधारने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा भी तेज होगी। पिछड़े जिलों का कायाकल्प करना कोई अलग तरह का आइडिया नहीं है, लेकिन सरकार इसे अलग तरीके से लागू कर रही है। जैसा कि कहा गया है- ''जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते हैं, वे काम को अलग तरीके से करते हैं'', इन जिलों के कायाकल्प में यह कहावत अहम साबित होगी। ❑

SIHANTA IAS

इतिहास
रजनीश राज
नि:शुल्क
कार्यशाला

प्रात:कालीन बैच	सायंकालीन बैच
12 March 9:30AM	7 March 6:30PM

रजनीश राज एवं डॉ. अभिषेक : कोर्स एवं कार्यक्रम निर्धारण एवं संचालन

सामान्य अध्ययन

Score Booster Programme
Preparation through Test
(11 Weekly Test)

Test Series for PT-2018 Starts From 11 March

विशेषताएं
सर्वांगीण अध्ययन
बहुस्तरीय उत्तर लेखन
समयबद्ध कोर्स समापन
सर्वोत्तम परिणाम

Online Classes available @
www.neostencil.com/sihantaias

अधिक जानकारी के लिए 8743045487 पर व्हाट्सएप करें या हमारी वेबसाइट www.sihantaias.com देखें

Plot No. 8-9, Flat No. 301-302, Ansal Building, Comm. Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi -9
Ph:011-42875012 8743045487

YH-794/2017

लघु एवं कुटीर उद्योग: मजबूती का वाहक

अनिल भारद्वाज

यहां यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि 1991 से ही सीमा शुल्क में कमी की जाती रही है, लेकिन घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस पर पुनर्विचार किये जाने की अब भी जरूरत है। ये अधिक सूक्ष्म रुख के सूचकांक हैं। हरसंभव प्रयास के बावजूद, ये शुल्क डब्ल्यूटीओ की ओर से निर्धारित 25 और 40 प्रतिशत की दर के दायरे में ही हैं। इस कदम की आलोचना भी हुई है, क्योंकि कुछ विशेषज्ञों ने इसे दमनकारी बताया है। क्या इससे यह संदेश जायेगा कि भारतीय उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक होने के बजाय संरक्षण चाहता है

गत एक फरवरी 2018 को वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश बजट में चार क्षेत्रों पर विशेष जोर देने का लक्ष्य रखा गया है- कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र, बुनियादी संरचना, स्वास्थ्य एवं एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों) के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

यह आलेख चौथे क्षेत्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम पर केंद्रित है। बजट पेश करने के बाद अगले ही दिन *क्रिसिडेक्स* का उद्घाटन करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दिलाने में इंजन का कार्य करेगा।

इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में धीरे-धीरे संकट जैसी स्थिति बन रही है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था प्रत्येक वर्ष बढ़ रहे एक करोड़ से एक करोड़ 20 लाख बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में असफल रही है। निस्संदेह, सरकारें सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 25 फीसदी से बढ़ाने को लेकर प्रयास करती रही हैं, लेकिन यह हिस्सेदारी 15-16 प्रतिशत से आगे बढ़ नहीं पा रही है। हालांकि बगैर किसी सुधार के एमएसएमई के लिए जोखिम-पुरस्कार अनुपात (रिस्क-रिवार्ड रेशियो) खिसकता जा रहा है।

2018-19 के आम बजट से यथास्थिति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। प्रथमतः, कपड़ा क्षेत्र के अलावा अब अन्य सभी क्षेत्रों में भी निश्चित अवधि के रोजगार के अवसर की घोषणा श्रम सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकती है। इससे भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें कारोबार एक निश्चित अवधि के लिए हो पाता है। नियोक्ता या तो लोगों को काम पर नहीं रखते या रखने के संबंध में रिपोर्ट नहीं करते, क्योंकि अल्पावधि के लिए नियुक्त करना गैर-कानूनी है। (हालांकि मजदूर संगठनों के प्रतिरोध के कारण प्रस्ताव के आगे बढ़ने पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं।)

कारोबारियों द्वारा ऐसी नियुक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में अतिरिक्त कार्यबल पर होने वाले व्यय पर 130 प्रतिशत तक की भारी कटौती की अनुमति दी गयी है। इसमें नये कर्मचारियों की भविष्य निधि का जिम्मा तीन साल तक सरकार द्वारा उठाने के प्रावधान किये गये हैं।

विनिर्माण क्षेत्र को बजट में समर्थन दिये जाने का एक और मजबूत संकेत इस बात से मिलता है कि 40 से अधिक श्रम-प्रधान उत्पादों में घरेलू मूल्य-संवर्धन को प्रोत्साहित करने के वास्ते सीमा शुल्क में बढ़ोतरी (पांच से 15 प्रतिशत) की गयी है।

उपरोक्त के मामले में आयात से संरक्षण पाने वाले श्रेणियों में निम्नलिखित उत्पादों को रखा गया है-

लेखक भारतीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम संघ, नई दिल्ली के महासचिव हैं। इन्होंने एसएमई के प्रमोशन के लिए केंद्र द्वारा गठित कई सारी हाई प्रोफाइल समितियों में अपनी सेवाएं दी हैं। वे विश्व बैंक, यूनिडो, आईएलओ, यूएनसीटीएडी, डीएफ़आईडी और जीटीजेड जैसी बहुपार्श्विक और द्विपार्श्विक डोनर एजेंसियों के कई सारे एसएमई विकास परियोजनाओं में सलाहकार रह चुके हैं। ईमेलः sg@fisme.org.in

एमएसएमई को प्रोत्साहन

वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने केंद्रीय बजट 2018-19 में मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3794 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा करते हुए कहा कि इस क्षेत्र को ऋण सहायता, पूंजी और ब्याज सब्सिडी तथा नवप्रयोग उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किया गया है। केंद्रीय बजट 2018-19 प्रस्तुत करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि वस्त्र क्षेत्र के लिए 7148 करोड़ रुपये के परिव्यय की भी व्यवस्था की गई है।

केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में 250 करोड़ रुपये तक का उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए कर की दर घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है।

इससे समस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वर्ग को लाभ मिलेगा जो कर विवरणी दायर करने वाली कंपनियों का लगभग 99 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इस उपाय के लिए अनुमानित राजस्व व्यय 7,000 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा, 'मैंने चरणबद्ध तरीके से कॉर्पोरेट कर कम करने का वादा किया था और यह इसी दिशा में उठाया गया कदम है।' उन्होंने यह भी कहा कि, '99 प्रतिशत कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर कम होने से निवेश के लिए उनके पास अधिक अधिशेष बचेगा जिससे नई नौकरियों का सृजन होगा।'

वित्त मंत्री ने याद किया कि केंद्रीय बजट 2017 में उन्होंने वित्तीय वर्ष 2015-16 में 50 करोड़ रुपये से कम उत्पादन वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर घटाकर 25 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। इससे कर विवरणी दायर करने वाली 96 प्रतिशत कंपनियां लाभान्वित हुई थीं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इस उपाय के बाद विवरणी दायर करने वाली 7 लाख कंपनियों में से 250 करोड़ रुपये से अधिक की आय और उत्पादन वाली लगभग 7,000 कंपनियों के लिए कर की दर 30 प्रतिशत ही रहेगी। ❑

- प्रसंस्करित फुड्स
- परफ्यूम्स एवं टॉयलेटरी
- ऑटोमोबाइल्स एवं ऑटो पार्ट्स
- फुटवीयर
- डायमंड, कीमती स्टोन्स एवं ज्वेलरी
- इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर
- एलसीडी/एलईडी/ओएलईडी पैनल एवं अन्य सामान
- फर्नीचर
- घड़ियां एवं दीवार घड़ियां
- खिलौने, तिपहिया साइकिल, स्कूटर, पेडल कार, खेल उपस्कर
- कच्चा काजू
- खाद्य तेल
- रिफ्रैक्ट्री आइटम्स
- विविध (मोमबत्तियां, चश्मे आदि)

इतना ही नहीं सौर बैट्री/पैनल/मॉड्यूल्स के निर्माण से संबंधित सोलर टैम्पर्ड ग्लास तथा सी-इम्प्लांट के लिए जरूरी कच्चे माल, पार्ट अथवा एसेसरीज को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया है।

यहां यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि 1991 से ही सीमा शुल्क में कमी की जाती रही है, लेकिन घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस पर पुनर्विचार किये जाने की अब भी जरूरत है। ये अधिक सूक्ष्म रुख के सूचकांक हैं। हरसंभव प्रयास के बावजूद, ये शुल्क डब्ल्यूटीओ की ओर से निर्धारित 25 और 40 प्रतिशत की दर के दायरे में ही हैं।

इस कदम की आलोचना भी हुई है, क्योंकि कुछ विशेषज्ञों ने इसे दमनकारी बताया है। क्या इससे यह संदेश जायेगा कि भारतीय उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक होने के बजाय संरक्षण चाहता है। इतना ही नहीं, शुल्क में बढ़ोतरी हमेशा लॉबी पर आधारित रही है, उदाहरण के तौर पर स्टील, अल्युमिनियम आदि।

कारोबारियों द्वारा ऐसी नियुक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में अतिरिक्त कार्यबल पर होने वाले व्यय पर 130 प्रतिशत तक की भारी कटौती की अनुमति दी गयी है। इसमें नये कर्मचारियों की भविष्य निधि का जिम्मा तीन साल तक सरकार द्वारा उठाने के प्रावधान किये गये हैं।

घरेलू उद्योग को लंबे समय तक संरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भारत आसियान के दस देशों और अन्य पांच देशों: आस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया एवं न्यूजीलैंड के साथ क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) अर्थात् मुक्त व्यापार समझौते के लिए विचार विमर्श कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप भविष्य में एक समय सीमा शुल्क शून्य हो जायेगा।

तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा कॉरपोरेट कंपनियों के ऑनलाइन बिल डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरई डीएस)- से जुड़ने की घोषणा की जा चुकी है। इतना ही नहीं इसके जीएसटीएन नेटवर्क से जुड़ने की भी घोषणा की गयी है, ताकि बड़े बायर्स और एमएसएमई विक्रेताओं के बीच लेन-देन स्वत: सत्यापित हो सकें और एमएसएमई कंपनियों की कारोबारी पूंजी की समस्याएं सुलझ सकें। इसके लिए कुछ और विधायी उपाय किये जाने की जरूरत है।

चौथा, एमएसएमई क्षेत्र को ऋण सहयोग, पूंजी तथा ब्याज सब्सिडी एवं नवाचार में सहयोग के लिए बजट में 3794 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। यद्यपि एमएसएमई सेक्टर ने कमोबेश इसका स्वागत किया है, लेकिन विस्तृत ब्योरे के बिना इस बारे में टिप्पणी करना कठिन होगा।

पचास करोड़ रुपये के कारोबार की कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में 25 फीसदी की कटौती को 250 करोड़ तक के कारोबार वाली कंपनियों तक बढ़ाये जाने की घोषणा से लाभ तो होगा, लेकिन केवल एक छोटे-से हिस्से को, क्योंकि यह प्रस्ताव 'कंपनियों' के लिए है, जबकि हकीकत यह है कि 93 प्रतिशत से अधिक एमएसएमई 'कंपनी' न होकर 'पार्टनरशिप' और 'प्रॉपराइटरशिप फर्म' हैं।

कम रेटिंग वाली कंपनियों को बांड मार्केट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पात्र बनाने का फैसला भी आगामी वित्त वर्ष के बजट का एक

अच्छा प्रस्ताव है। यदि ज्यादा से ज्यादा बड़े कॉरपोरेट्स ब्रांड मार्केट तक पहुंच बनाने में सक्षम होते हैं तो एमएसएमई के लिए अधिक से अधिक बैंक फंड उपलब्ध हो सकेंगे।

कुल मिलाकर, बजट की दिशा सकारात्मक प्रतीत होती है। कृषि और बुनियादी संरचना के लिए व्यापक परिव्यय जीडीपी विकास दर बढ़ाने के लिए जरूरी मांग को प्रोत्साहित करेगा। रोजगार सृजन के लिए एमएसएमई को बेहतर विकल्प समझा जा रहा है। आशा है कि एमएसएमई क्षेत्र में निवेश बढ़ेंगे और इच्छित सफलता हासिल होगी। ❑

फार्म-IV

योजना (हिन्दी) मासिक पत्रिका के स्वामित्व तथा अन्य विवरण

1.	प्रकाशन का स्थान	नयी दिल्ली
2.	प्रकाशन की अवधि	मासिक
3.	मुद्रक का नाम	डॉ. साधना राउत
	नागरिकता	भारतीय
	पता	665, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नयी दिल्ली-110003
4.	प्रकाशक का नाम	डॉ. साधना राउत
	नागरिकता	भारतीय
	पता	665, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नयी दिल्ली-110003
5.	संपादक का नाम	ऋतेश पाठक
	नागरिकता	भारतीय
	पता	648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नयी दिल्ली-110003
6.	उन व्यक्तियों का नाम व पते जो पत्रिका के पूर्ण स्वामित्व में कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के स्वामी/हिस्सेदार हों	सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली-110001

मैं, डॉ. साधना राउत, एतत् द्वारा घोषणा करती हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी पूरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

(डॉ. साधना राउत)
प्रकाशक

Mc Graw Hill Education

भविष्य के IAS, IPS तथा IRS अधिकारियों की मार्गदर्शिका

UPSC सिविल सेवा परीक्षा

की तैयारी के लिए आपके सशक्तिकरण हेतु उपयोगी पुस्तकें

₹ 1595/-

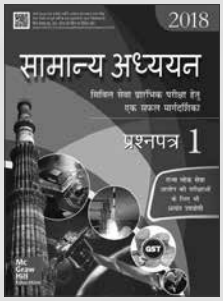

ISBN: 9789352607433

₹ 995/-

ISBN: 9789352607440

₹ 505/-

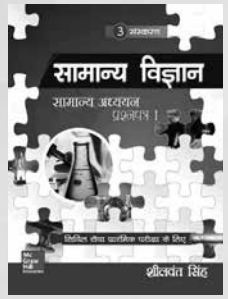

ISBN: 9789385965951

₹ 325/-

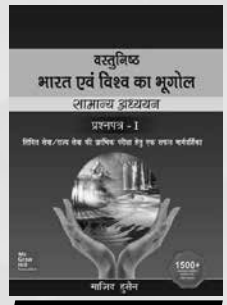

ISBN: 9789352607839

₹ 445/-

ISBN: 9789352607501

₹ 660/-

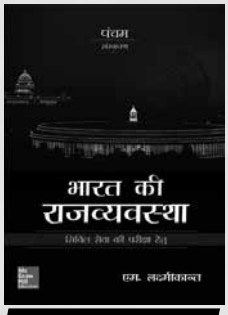

ISBN: 9789352603862

₹ 495/-

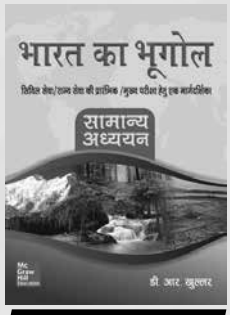

ISBN: 9789352605699

₹ 450/-

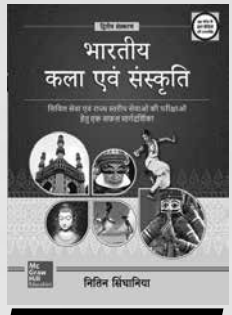

ISBN: 9789387067714

₹ 395/-

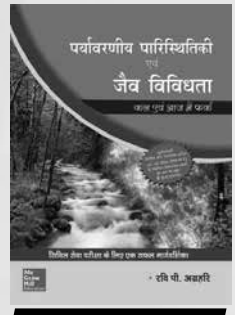

ISBN: 9789352602322

सामान्य अध्ययन (प्रश्नपत्र I और II 2018)

के नि:शुल्क प्रश्नपत्र प्राप्त करने के लिए पंजीकृत करें

www.mheducation.co.in/upscsamplepapers

Prices are subject to change without prior notice.

SHIPPING FREE ₹ 500/-

मेक्ग्रॉ हिल एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

टोल फ्री नं.: 1800 103 5875 | ई-मेल: support.india@mheducation.com | खरीदें @ www.mheducation.co.in

संपर्क करें@ /McGrawHillEducationIN /MHEducationIN /Company/McGraw-Hill-Education-India /McGrawHillEducationIndia

YH-796/2017

स्वास्थ्य क्षेत्र में कई नई पहल

के श्रीनाथ रेड्डी

स्वास्थ्य का क्षेत्र हमेशा से आम बजट में हाशिए पर रहा है लेकिन मौजूदा केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई नई और अपूर्व पहल की गई है। इसमें 'आयुष्मान भव' स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ आइएसवीवाई में बढ़ोतरी से स्वास्थ्य पर होने वाला अत्यधिक खर्च कम होने की संभावना है। बजट स्वास्थ्य के कुछ सामाजिक और पर्यावरणीय निर्धारकों को भी संबोधित करता है

गत एक दशक के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को केंद्रीय बजट से सालों साल एक-सी निराशा मिलती रहती थी। उन्होंने एक-सी शैली, एक से स्वर में बजट पूर्व और बजट पश्चात के विश्लेषण किए। हमेशा यह उम्मीद जताई कि स्वास्थ्य के लिए कम से कम इस बार के बजट में आवंटन बढ़ेगा लेकिन अफसोस ही हाथ लगा, चूंकि सालों-साल बजट में ऐसा नहीं हुआ। आखिरी बार स्वास्थ्य क्षेत्र में खुशी की लहर तब दौड़ी थी, जब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की घोषणा हुई। इसके बाद श्रम मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) शुरू की गई। स्वास्थ्य क्षेत्र बजट में हमेशा हाशिए पर पड़ा रहा। इस तरह 2018 का बजट इस लिहाज से अलग है कि इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में कई पहल की गई है। इससे न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोग प्रसन्न हैं बल्कि मीडिया और आम लोगों में भी उत्साह है। इसने एक नयी बहस को जन्म दिया है कि इस महत्वाकांक्षी पहल से स्वास्थ्य सेवा को कितना लाभ होगा।

बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, *आयुष्मान भव* जिसमें दो पहल शामिल हैं। पहली योजना व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (सीपीएचसी) कार्यक्रम के अंतर्गत 1,50,000 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को स्वास्थ्य एवं कल्याण (वेलनेस) केंद्रों (एचडब्ल्यूसीज़) में रूपांतरित करना है। दूसरी योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (एनएचपीएस) है। इस योजना के तहत 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को द्वितीयक या तृतीयक देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर 5,00,000 रुपये सालाना का वित्तीय कवरेज प्रदान की जाएगी।

सीपीएचसी एनआरएचएम द्वारा निर्मित प्लेटफॉर्म पर आधारित है जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को मजबूत करना है। जबकि एनआरएचएम मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्रित है। 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति एनएचएम को व्यापक, निरंतर प्राथमिक सेवा का वाहक बनने का आह्वान करती है। इसके लिए सेवाओं का विस्तार उन क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जिन पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया। जैसे गैर संचारी रोग (एनसीडीज़) और मानसिक स्वास्थ्य विकार। अंततः एनएचएम को न केवल समुदाय में स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना होगा, बल्कि मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य, संचारी और गैर संचारी रोगों से संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकृत मंच बनना होगा।

आम लोगों को निरंतर सेवाएं उपलब्ध होती रहें, इसके लिए प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा पुरानी बीमारियों का अनुगमन (फॉलोअप) किया जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर ऐसे रेफरल और रिटर्न लिंक भी तैयार किए गए हैं, जो मरीजों को द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की उन्नत देखभाल के लिए भेज सकें। हालांकि प्राथमिक स्तर पर गर्भवती महिलाओं की निरंतर देखभाल और तपेदिक एवं एचआईवी एड्स के उपचार

लेखक भारतीय जन स्वास्थ्य संघ (पीएचएफ़आई) के अध्यक्ष हैं। इन्होंने 10 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल का संपादन किया है और कई सारी राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय पत्रिकाओं के संपादन मंडल में शामिल हैं। भारतीय व अंतरराष्ट्रीय पीयर रीव्यूड पत्रिकाओं में इनके 400 से भी अधिक वैज्ञानिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। इन्हें तंबाकू नियंत्रण में उल्लेखनीय वैश्विक नेतृत्व के लिए डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर जनरल सम्मान, पद्मभूषण और क्वीन एलिज़एथ मैडल जैसे कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ईमेल: ksrinath.reddy@phfi.org

की तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं फिर भी प्राथमिक केंद्रों को आपात और एपीसोडिक यानी तुरत-फुरत की सेवा के लिहाज से ही स्थापित किया जाता है। पुरानी बीमारियों जैसे हाइपरटेंशन और मानसिक स्वास्थ्य विकारों को लंबे समय तक देखभाल की जरूरत होती है। प्राथमिक उपचार केंद्रों को इस लिहाज से भी तैयार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्तर की देखभाल में अब तक सामुदायिक स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यक्तिगत परामर्श को नजरंदाज किया जाता रहा है। जिस प्रकार समुदायों में स्वस्थ आहार और नियमित शारीरिक व्यायाम के महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए, उसी प्रकार तंबाकू निषेध कार्यक्रमों को भी लगातार संचालित किया जाना चाहिए।

उपकेंद्रों को एचडब्ल्यूसीज़ में रूपांतरित करने के प्रस्ताव से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का विस्तार होगा और उसमें निरंतरता आएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य केंद्र आधारित देखभाल के साथ-साथ सामुदायिक लामबंदी से स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ेगी और बीमारियों की रोकथाम होगी। एचडब्ल्यूसी में मौजूदा कर्मचारियों के अतिरिक्त नॉन फिजिशियन स्वास्थ्यकर्मियों जैसे नर्स प्रैक्टिशनर, जरूरी दवाएं और निदान मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। इस स्तर पर विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए एचडब्ल्यूसीज़ विभिन्न अनुमानों के रियल टाइम डेटा को एकत्र कर सकते हैं और विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकों का निरीक्षण कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन और मोबाइल फोन तकनीक से दूर बैठे डॉक्टरों का परामर्श हासिल किया जा सकता है और एचडब्ल्यूसी की स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो सकता है।

हालांकि एचडब्ल्यूसी की शुरुआत एक स्वागत योग्य कदम है, फिर भी प्राथमिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजटीय आवंटन में यह प्रतिबद्धता नजर नहीं आती। पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से इसमें 2.1 प्रतिशत की गिरावट हुई है। यह भी निराशाजनक है कि बजट में एनएचएम के शहरी स्वास्थ्य मिशन को पूरी तरह नजरंदाज किया गया है। शहरों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की पूरी तरह अनदेखी की गई है डिजाइनिंग और सेवा उपलब्धता, दोनों लिहाज से। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में लोगों का प्रवास बढ़ रहा है, साथ ही शहरी मलिन बस्तियों तथा निम्न आय वाले समुदायों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके मद्देनजर शहरों और कस्बों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत तत्काल होने वाली है। शहरी आबादी को भी एचडब्ल्यूसीज़ चाहिए। जैसे-जैसे इस दिशा में प्रयास तेज होंगे, एचडब्ल्यूसीज़ को आवंटित 1,200 करोड़ रुपये की राशि में भी बढ़ोतरी करनी होगी।

आम लोगों को निरंतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती रहें, इसके लिए प्राथमिक स्तर के केन्द्रों द्वारा पुरानी बीमारियों का फॉलोअप किया जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर ऐसे रेफरल और रिटर्न लिंक भी तैयार किए गए हैं, जो मरीजों को द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की उन्नत देखभाल के लिए भेज सकें।

एचडब्ल्यूसीज़ को पूरी तरह से विकसित करने की दिशा में सबसे बड़ी चुनौती मानव संसाधन की कमी है। जबकि पीएचसीज़ में डॉक्टरों की कमी है, एचडब्ल्यूसीज़ में केवल नॉन फिजिशियन स्वास्थ्यकर्मी ही कार्यरत होंगे। हालांकि नर्स प्रैक्टीशनरों और सामुदायिक स्वास्थ्य सहायकों जैसे मध्यम स्तर के स्वास्थ्य सेवाकर्मियों को तैयार किए जाने की आवश्यकता है जिनके पास तीन वर्ष की डिग्री हो और वे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

एलोपैथिक चिकित्सा के ब्रिज कोर्स ओरिएंटेशन के साथ आयुष स्नातकों की तैनाती का प्रस्ताव (पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में पारंगत) हालांकि विवादास्पद है। आदर्श रूप से, आयुष चिकित्सकों को एचडब्ल्यूसी में रखा जाना चाहिए ताकि वे पारंपरिक चिकित्सा उपचार और स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकें, जिनमें उन्हें विशेषज्ञता प्राप्त है। दो सहायक नर्स मिडवाइव्स के अतिरिक्त एक पुरुष मल्टीपर्पज वर्कर की भी आवश्यकता होगी। साथ ही एक प्रयोगशाला तकनीशियन सह ड्रग डिस्पेंसर की भी जरूरत होगी। एचडब्ल्यूसी के लिए आवश्यक मानव संसाधन जुटाने के लिए एक महती प्रयास करना होगा लेकिन इसका एक अच्छा परिणाम यह भी होगा कि बहुत से युवाओं को रोजगार मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे समुदायों के निकट स्वास्थ्य क्षेत्र का एक मजबूत गढ़ तैयार होगा और स्वास्थ्य सेवाओं के पोर्टलों का निर्माण होगा।

आरएसबीवाई के अनुभवों और शिक्षा से एनएचपीएस की रचना की गई है। आरएसबीवाई के जरिए द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल तक गरीबों की पहुंच बढ़ी थी, लेकिन इसका कवरेज प्रति परिवार प्रति वर्ष 30,000 रुपये ही था। इसे उन राज्यों में सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ा जो प्रति

परिवार को प्रति वर्ष 1 से 3 लाख रुपये तक का कवरेज प्रदान करती हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस योजना से महंगी होती स्वास्थ्य सेवा का खर्चा उठाना संभव नहीं था। इस योजना से प्राप्त अनुभवों ने सिखाया कि सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवाओं, दोनों को संलग्न किया जाना चाहिए और मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म तैयार किया जाना चाहिए। प्राथमिक देखभाल से विनियोजन ने स्वास्थ्य सूचकांकों पर इन केंद्रीय और राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के प्रभाव को कम किया है।

एनएचपीएस अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को हर साल 5,00,000 रुपये का कवरेज प्रदान करता है। आरएसबीवाई में बढ़ोतरी से स्वास्थ्य पर होने वाला अत्यधिक खर्च कम होने की संभावना है, साथ ही जेब पर दबाव भी नहीं पड़ेगा-चूंकि आउटपेशेंट देखभाल इसमें कवर ही नहीं है। एचडब्ल्यूसी और दूसरी प्राथमिक देखभाल को मजबूत करने के प्रयास से इस दिशा में राहत मिलेगी। अगर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी तो द्वितीयक और तृतीयक स्तर की सेवाओं की जरूरत कम होगी, साथ ही इससे उन्नत सेवाओं को रेफर करने की जरूरत भी नहीं होगी। एक प्रभावशाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के अभाव में एनएचपीएस की बेकाबू होती मांग को पूरा करने में ही सारा बजट खत्म हो जाएगा जिसकी वजह से प्राथमिक सेवाओं और सरकारी अस्पतालों को मजबूत करने के लिए धन उपलब्ध ही नहीं होगा।

हालांकि इस वर्ष केवल 2,000 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए हैं, चूंकि योजना अक्टूबर 2018 में शुरू की जाएगी। जब एनएचपीएस पूरी तरह से कार्य करेगा, तो कम से कम पांच से छह गुना धन की जरूरत होगी। राज्य सरकारों द्वारा 40 प्रतिशत योगदान देने की उम्मीद है और इससे एनएचपीएस के साथ राज्य सरकारों की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का विलय किया जा सकेगा। संसाधन बढ़ाने और लोगों के रिस्क पूल को व्यापक बनाने के अतिरिक्त ऐसे विलय से उन लोगों को कवरेज भी मिलेगा जिनका आवागमन एक से दूसरे राज्य में होता रहता है। हालांकि इसके लिए देश भर के राजनीतिक दलों के बीच सहमति जरूरी है क्योंकि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें हैं।

वायु प्रदूषण भारत में बीमारियों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसके लिए घरों के बाहर और भीतर के परिवेश को प्रदूषणमुक्त किया जाएगा। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे फसलों के कचरे को निस्तारण के लिए उन्हें जलाने के बजाय दूसरे तरीके अपनाएं।

रणनीतिगत खरीद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एनएचपीएस एम्पैनल्ड सरकारी और निजी अस्पतालों से सेवाओं की खरीद करना चाहता है। इसके लिए जरूरी है कि कवर की जाने वाली बीमारियों, उनकी जांच और उपचार को सावधानीपूर्वक चुना जाए। प्रमाण आधारित स्टैंडर्ड क्लिनिकल मैनेजमेंट दिशानिर्देशों को विकसित किया जाए और अपनाया जाए। लागत और गुणवत्ता मानकों की स्थापना और निरीक्षण किया जाए तथा स्वास्थ्य परिणामों का मूल्यांकन किया जाए। धोखाधड़ी का पता लगाने और शिकायत निवारण तंत्र को भी विकसित किया जाना चाहिए। एनएचपीएस के अंतर्गत प्रदत्त लाभों (बीमा साक्षरता) के संबंध में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए ताकि लोग अधिक से अधिक लाभ उठाएं और उन्हें मार्गदर्शन मिले। अगर सभी सुरक्षात्मक उपाय लागू नहीं होंगे तो मांग बढ़ेगी (गैर जरूरी जांच और उपचार के चलते) और लागत भी।

एनएचपीएस को ट्रस्ट या बीमा कंपनी द्वारा प्रशासित किया जाएगा। मध्यस्थ का विकल्प राज्य सरकारों को दिया गया है। सरकार द्वारा स्थापित ट्रस्ट की जिम्मेदारी अधिक होगी और अतिरिक्त खर्च कम। एक बीमा कंपनी के पास रणनीतिक खरीद और भुगतान संबंधी विशेषज्ञता होती है लेकिन उसका खर्चा अधिक होता है और जैसे-जैसे यूटिलाइजेशन की दरें बढ़ती हैं, अधिक प्रीमियम की मांग भी की जाती है। दोनों स्थितियों में सरकार ही प्रीमियम चुकाती है। जबकि यह व्यक्तिगत रूप से खरीदी गई बीमा योजना से अलग होता है, रिस्क पूलिंग का सिद्धांत एक समान ही होता है। रिस्क बढ़ने पर क्रॉस सब्सिडी से प्रीमियम गिरता है। हालांकि एनएचपीएस गरीबों और कमजोर तबकों के लिए है, जिसे सरकार के कर राजस्व से वित्त पोषित किया जाएगा, दूसरे वर्ग के लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें एनएचपीएस में तय किए गए प्रीमियम को चुकाना होगा।

अधिक से अधिक डॉक्टरों और विशेषज्ञों को तैयार करने की जरूरत भी समझी जा रही है ताकि जिला अस्पतालों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। बजट में 24 नए मेडिकल कॉलेजों को शुरू करने का प्रस्ताव है जो उन्नत जिला अस्पतालों से संबद्ध होंगे। प्रत्येक तीन संसदीय क्षेत्रों में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की परिकल्पना की गई है। इसके लिए भी उच्च स्तरीय सरकारी वित्त पोषण की जरूरत है, चूंकि निजी क्षेत्र का निवेश केवल कुछ राज्यों तक सीमित है। स्वास्थ्य बजट में कुल वृद्धि पिछले वर्ष के

संशोधित अनुमान के आवंटन से केवल 2.8 प्रतिशत अधिक है। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए आवंटन 12.5 प्रतिशत कम हुआ है। जब तक आने वाले वर्षों के बजट को बढ़ाया नहीं जाएगा, तब तक 2025 तक एनएचपी के लिए जीडीपी के 2.5 प्रतिशत वित्त पोषण का लक्ष्य हासिल होना संभव नहीं है।

बजट स्वास्थ्य के कुछ सामाजिक और पर्यावरणीय निर्धारकों को संबोधित करता है। तपेदिक के रोगियों को स्वस्थ आहार मिले, इसके लिए उन्हें 500 रुपये का मासिक स्टाइपेंड देने के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे उनकी प्रतिरक्षा बढ़ेगी और उपचार में सुधार होगा। खुले शौच से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने के लिए *स्वच्छ भारत मिशन* के स्वच्छता घटक को अधिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से बढ़ाया जाएगा। हालिया अनुमानों के अनुसार, वायु प्रदूषण, भारत में बीमारियों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसके लिए घरों के बाहर और भीतर के परिवेश को प्रदूषणमुक्त किया जाएगा। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे फसलों के कचरे को निस्तारण के लिए उन्हें जलाने की बजाय दूसरे तरीके अपनाएं। गरीब महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए उज्ज्वला योजना का विस्तार किया जाएगा ताकि वे और उनके छोटे बच्चे ठोस बायोमास ईंधन को जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण से बच सकें। सांस संबंधी रोगों, हृदय विकार, कैंसर, बच्चों में अस्थमा और सांस संबंधी संक्रमण और यहां तक कि मधुमेह के खतरों को भी वायु प्रदूषण के नियंत्रण से कम किया जाएगा।

2018 के केंद्रीय बजट ने स्वास्थ्य को सार्वजनिक बहस का विषय बनाया है। हालांकि इस महत्वाकांक्षी पहल की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि अब से केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर कितने वित्तीय संसाधन दिए जाते हैं। साथ ही यह स्वास्थ्य प्रणाली को क्षमतापूर्ण बनाने की दिशा में किए गए ठोस प्रयासों पर भी आधारित है। एनएचपी राज्यों से अपेक्षा करता है कि वे 2020 तक अपने स्वास्थ्य बजट को 8 प्रतिशत से अधिक करें। राज्यों के लिए ऐसा करना आवश्यक है ताकि वे स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी वित्त पोषण का अपना वादा पूरा कर सकें। बहुस्तरीय, बहु-कुशल कार्यबल में निवेश, जो स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तरों पर उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो, आवश्यक है। इसके साथ ही, मजबूत विनियामक और निगरानी प्रणालियां भी होनी चाहिए। जब ठोस और समयबद्ध तरीके से इस दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा, तभी भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का मार्ग प्रशस्त होगा। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बिगुल बज चुका है लेकिन कूच करना अभी बाकी है। ❑

सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवंटन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए केंद्रीय बजट, 2018-19 में वर्ष 2017-18 की तुलना में बजट आवंटन में 1210 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017-18 में यह 6908.00 करोड़ रुपये था जोकि वर्ष 2018-19 में बढ़कर 7750.00 करोड़ रुपये हो गया है। साथ ही योजनाओं के लिए बजट आवंटन में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में बजट आवंटन में 11.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त बजट आवंटन में ओबीसी के कल्याण के लिए वर्ष 2018-19 में 2017-18 की तुलना में 41.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अनुसूचित जाति के लिए उद्यम पूंजी निधि की तर्ज पर ही ओबीसी के लिए एक नई उद्यम पूंजी निधि योजना 200 करोड़ रुपये की आरंभिक कायिक निधि के साथ आरंभ की जानी है। वर्ष 2018-19 में इसके लिए 140 करोड़ रुपये निधि प्रदान की गई है। 13587 मैन्यूअल स्कैवेंजर्स (हाथ से मैला ढोने वाले) और उनके आश्रितों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 809 मैन्युअल स्कैवेंजर्स और उनके आश्रितों को बैंक लोन प्रदान किए गए हैं।

ओबीसी के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु, आय पात्रता को 44,500/- रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आय पात्रता को 2.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है। दिवा छात्रों के लिए वजीफे की राशि को 150 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये कर दिया गया है और आवासीय छात्रों के लिए इसे 350 रुपये से बढ़ाकर 525 रुपये कर दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए सर्वोच्च स्तरीय शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति राशि को 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। अनुसूचित जाति और ओबीसी छात्रों के लिए आय पात्रता को 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। स्थानीय छात्रों के लिए वजीफे की राशि को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये और बाहरी छात्रों के लिए 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। ओबीसी के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु, छात्रवृत्ति की दरों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया गया है।

कक्षा पहली से पांचवी, कक्षा छठी से आठवीं और कक्षा नौंवी से दसवीं के दिवा छात्रों की छात्रवृत्ति को 10 माह के लिए क्रमशः 25 रुपये, 40 रुपये और 50 रुपये की पूर्वोक्त दरों को संशोधित कर कक्षा पहली से दसवीं को 10 महीने के लिए 100 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। कक्षा तीसरी से आठवीं और कक्षा नौंवी से दसवीं के आवासीय छात्रों की पूर्वोक्त छात्रवृत्ति दरों को 10 माह के लिए क्रमशः 200 रुपये और 250 रुपये से संशोधित कर कक्षा तीसरी से दसवीं को 10 महीने के लिए 500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। योजना के तहत सभी छात्रों को तदर्थ अनुदान 500 रुपये प्रति वर्ष है। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के तहत, इस सहायता को बढ़ाकर 25,000 रुपये से बढ़ाकर 28,000 रुपये प्रति छात्र कर दिया गया है। ❑

रुपया आता है

(बजट 2018-19)

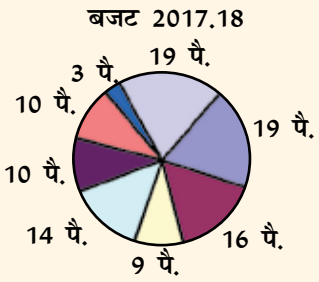

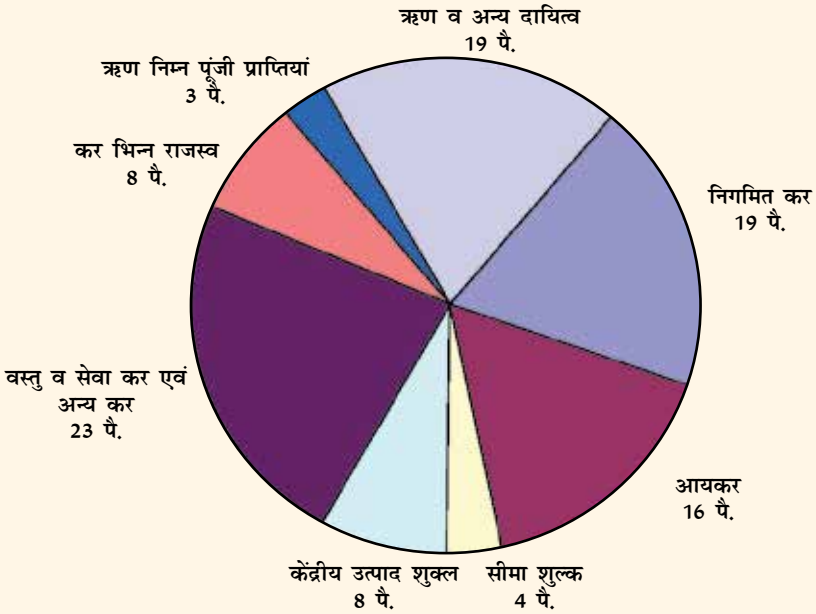

नोट : 1. कुल व्यय में कर व शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी भी शामिल है।
2. बजट अनुमान 2017-18 में सेवा कर व अन्य करों का प्रतिनिधित्व।

रुपया जाता है

(बजट 2018-19)

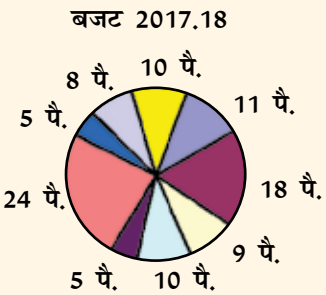

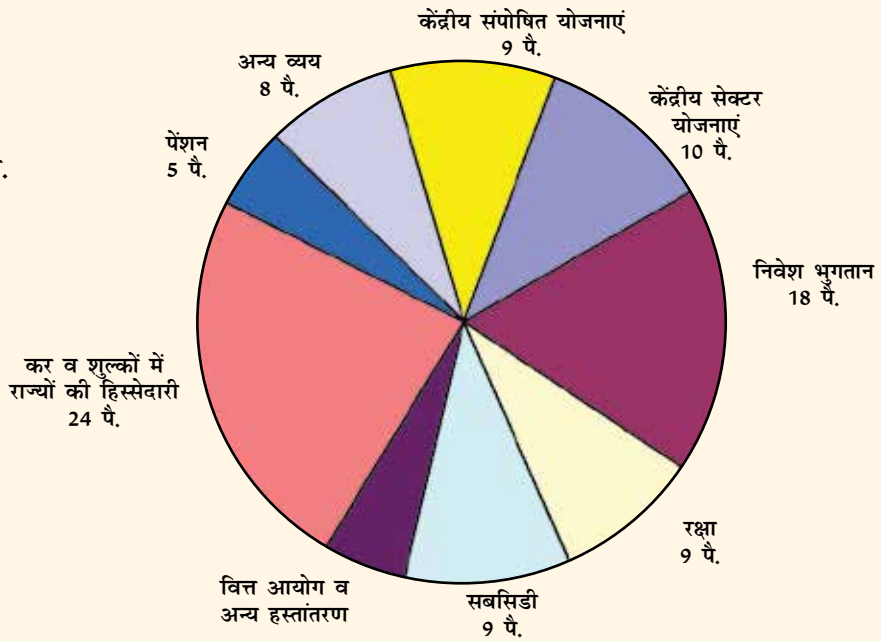

नोट : कुल व्यय में कर व शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी भी शामिल है।

बजट की झलकियां

केंद्रीय बजट 2018-19 की मुख्य बातें

- अधिकतर रबी फसलों की ही तरह सभी आघोषित खरीफ फसलों की एमएसपी उनकी उत्पादन लागत से डेढ़ गुना होगी; कृषि क्षेत्र को संस्थागत ऋण वर्ष 2014-15 के 8.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 11 लाख करोड़ रुपये।
- 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों के रूप में विकसित एवं उन्नत किया जाएगा।
- किसानों एवं उपभोक्ताओं के हित में आलू, टमाटर, और प्याज की कीमतों में उतार-चढ़ाव की समस्या से निपटने के लिए 'ऑपरेशन ग्रीन्स' लांच किया जाएगा।
- मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों के लिए 10,000 करोड़ रुपये के दो नए कोष की घोषणा; पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए 1,290 करोड़ रुपये का आवंटन।
- महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाली ऋण राशि को पिछले साल के 42,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2019 में 75,000 करोड़ रुपये किया जाएगा।
- निम्न एवं मध्यम वर्ग को नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन, बिजली और शौचालय सुलभ कराने हेतु उज्ज्वला, सौभाग्य, और स्वच्छ मिशन के लिए अधिक लक्ष्य तय।
- स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक संरक्षण के लिए परिव्यय 1.38 लाख करोड़ रूपये होगा। जनजातीय छात्रों के लिए वर्ष 2022 तक हर जनजातीय ब्लॉक में एकलव्य आवासीय स्कूल होगा। अनुसूचित जातियों के लोगों से जुड़े कल्याण कोष को बढ़ावा मिला।
- द्वितीयक एवं तृतीयक इलाज के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की सीमा के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संरक्षण योजना शुरू की गई है, जिसके दायरे में 10 करोड़ से भी अधिक गरीब एवं कमजोर परिवारों को लाया जाएगा।
- राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत तय किया गया, यह 2018-19 में 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- अवसंरचना के लिए 5.97 लाख करोड़ रुपये का आवंटन; 10 प्रमुख स्थलों को प्रतीक पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित किया जाएगा।
- नीति आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू होगा; रोबोटिक्स, एआई, इन्टरनेट ऑफ़ थिंग्स इत्यादि पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किये जायेंगे।
- विनिवेश 72,500 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार कर 1,00,000 करोड़ रुपये के स्तर पर पंहुचा।
- पीली धातु को एक परिसंपत्ति श्रेणी के रूप में विकसित करने के लिए व्यापक स्वर्ण नीति बनाने की तैयारी।
- 100 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाली किसान उत्पादक कंपनियों के रूप में पंजीकृत कंपनियों को इस तरह की गतिविधियों पर प्राप्त लाभ पर 2018-19 से लेकर पांच वर्षों तक 100 प्रतिशत कटौती का प्रस्ताव।
- धारा 80 जेजेएए के तहत नए कर्मचारियों को अदा किए जाने वाले कुल वेतन पर 30 प्रतिशत कटौती में ढील देकर इसे फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग के लिए 150 दिन किया जाएगा, ताकि ज्यादा रोजगार सृजित हो सके।
- 50 करोड़ रुपये से कम के कारोबार (वित्त वर्ष 2015-16 में) वाली कंपनियों के लिए फिलहाल उपलब्ध 25 प्रतिशत की घटी हुई दर का लाभ वित्त वर्ष 2016-17 में 250 करोड़ रुपये तक के कारोबार की जानकारी देने वाली कंपनियों को भी देने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम लाभान्वित हो सकें।
- परिवहन भत्ते के लिए मौजूदा छूट और विविध चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के स्थान पर 40000 रुपये की मानक कटौती। इससे 2.5 करोड नौकरीपेशा कर्मचारी एवं पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
- वरिष्ठ नागरिकों को प्रस्तावित राहत:
  - बैंकों और डाकघरों में जमाराशियों पर ब्याज आमदनी संबंधी छूट 10000 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये की जाएगी।
  - धारा 194ए के तहत टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं। सभी सावधि जमा योजनाओं और आवर्ती जमा योजनाओं के तहत प्राप्त ब्याज पर भी लाभ मिलेगा।
  - धारा 80 डी के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और अथवा चिकित्सा व्यय के लिए कटौती सीमा 30000 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये की गई।
  - धारा 80डीडीबी के तहत कुछ विशेष गंभीर बीमारियों पर चिकित्सा व्यय के लिए कटौती सीमा 60000 रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के मामले में) और 80000 रुपये (अति वरिष्ठ नागरिकों के मामले में) से बढ़ाकर सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख रुपये कर दी गई है।
  - प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि मार्च 2020 तक बढ़ाने का प्रस्ताव। वर्तमान निवेश सीमा को प्रति वरिष्ठ नागरिक के लिए 7.5 लाख रुपये की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने का प्रस्ताव।
- 1 लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा जिसमें कोई भी सूचीकरण लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, 31 जनवरी, 2018 तक हुए सभी लाभ को संरक्षित किया जाएगा।
- इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों द्वारा वितरित आय पर 10 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने का प्रस्ताव।
- व्यक्तिगत आयकर और कॉरपोरेशन टैक्स पर देश उपकर को मौजूदा 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
- प्रत्यक्ष कर संग्रह में और अधिक दक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आपसी संपर्क लगभग पूरी तरह समाप्त करने के लिए देश भर में ई-निर्धारण शुरू करने का प्रस्ताव। ❑

ग्रामीण विकास के लिए बजट

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की। उन्होंने कहा, 'जैसा कि प्रस्तावों में उल्लेख किया गया है, अगले वर्ष सरकार का मुख्य जोर आजीविका, कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों तथा ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण पर अधिक व्यय के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में जीवनयापन के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना है।'

ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और अवसंरचना के निर्माण के लिए वर्ष 2018-19 में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा 14.34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जिसमें 11.98 लाख करोड़ रुपए के बजटीय और गैर-बजटीय संसाधन उपलब्ध हैं। कृषि क्रियाकलापों और स्वरोजगार से उत्पन्न रोजगार के अलावा इस व्यय से 321 करोड़ व्यक्ति दिनों का रोजगार, 3.17 लाख किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कें, 51 लाख नए ग्रामीण मकान, 1.88 करोड़ शौचालय उपलब्ध होंगे तथा कृषि के विकास के अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को बिजली के 1.75 करोड़ नए कनेक्शमन प्रदान किए जाएंगे।

इसके अलावा, सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान के आवंटन को 2018-19 में बढ़ाकर 5750 करोड़ रुपए कर दिया है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को दिए जाने वाले ऋणों को 2016-17 में बढ़ाकर 42,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है जिनमें पिछले वर्ष की तुलना में 37 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। एसएचजी को दिए जाने वाले ऋणों के मार्च 2019 तक बढ़कर 75,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी के तहत भूजल सिंचाई योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने इस प्रयोजन के लिए 2600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इससे सिंचाई से वंचित उन 96 जिलों के लिए सिंचाई की व्यवस्था होने की उम्मीद है जहां वर्तमान में 30 प्रतिशत से भी कम भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था है।

ग्रामीण जीवन में सुधार के लिए गोबर-धन योजना की शुरुआत

गांवों को खुले में शौच की समस्या से छुटकारा दिलाने और ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए वित्त मंत्री ने गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिस धन (गोबर-धन) की शुरुआत करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इसके तहत गोबर और ठोस अपशिष्ट को खेतों में कंपोजिट, बायो-गैस और बायो-सीएनजी में बदला जाएगा।

अवसंरचना विकास, विपरीत सतह की सफाई, ग्रामीण निकासी व्यवस्था और अन्य कार्यक्रमों के लिए नमामी गंगे कार्यक्रम के तहत 16,713 करोड़ रुपए की लागत से 187 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से 47 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं तथा शेष कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। नदी के किनारे स्थित सभी 4465 गंगा ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है।

समावेशी समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकास की विभिन्न सूचियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 115 महत्वाकांक्षी जिलों की पहचान की है जिसका लक्ष्य स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन जैसी सामाजिक सेवाओं तथा सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, पेयजल शौचालय तक पहुंच जैसी अवसंरचना में तेजी से तथा समयबद्ध तरीके से निवेश करके इन जिलों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। ऐसी उम्मीद है कि ये 115 जिले विकास का आदर्श बनेंगे। ❑

IAS/PCS

सरस्वती

राजनीति विज्ञान

द्वारा **राजेश मिश्रा**

The most trusted name in Political Science

राजनीति विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ संस्थान

★ सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम का सबसे ज्यादा भाग कवर करने वाला विषय।
★ वर्तमान पाठ्यक्रम में राजनीति विज्ञान सामान्य अध्ययन का ही विस्तार है।
★ हमारे संस्थान के विद्यार्थियों में उ०प्र० टॉपर, उत्तराखण्ड में तीसरा स्थान, बिहार में तीसरा एवं चौथा स्थान, झारखण्ड टॉपर एवं मध्यप्रदेश में 13वीं एवं राजस्थान में 9वीं,18वीं एवं 25वीं स्थान प्राप्त किया है।
★ सिविल सेवा परीक्षा में 28वीं रैंक, 55वीं रैंक, 111वीं रैंक तथा 175वीं रैंक प्राप्त किया है।
★ परिणाम अध्ययन की गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं।
★ सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का मार्गदर्शन संस्थान के द्वारा किया गया है।
★ हमारे संस्थान की सफलता दर सर्वाधिक बेहतर है।

सामान्य अध्ययन के लिए विशेष उपयोगी पुस्तकें

नया बैच
5 April 2018

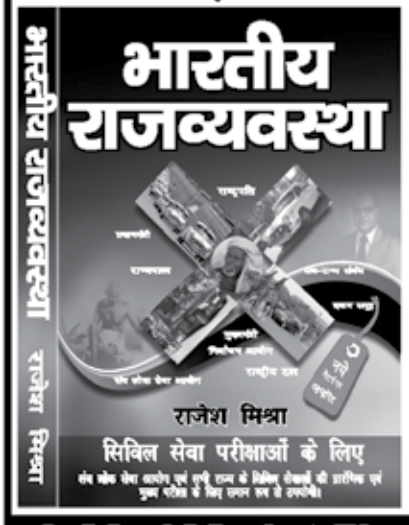

राजव्यवस्था एवं भारतीय विदेश नीति की सबसे प्रमाणिक एवं बेहतर पुस्तक जो अत्यधिक सरल एवं अपडेटेड है।

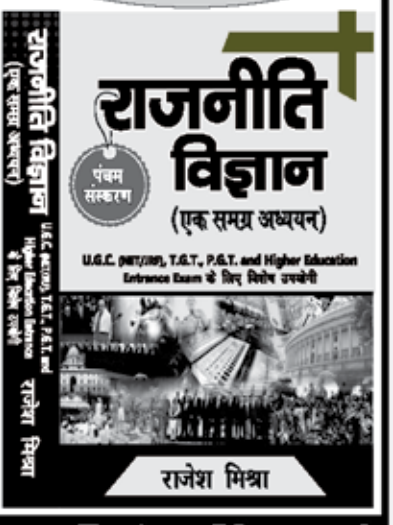

A-20, 102, 1st Floor, Indraprasth Tower, (Near Batra Cinema)
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Ph.: 011-27651250, 09899156495
E-mail : saraswati.ias@gmail.com Visit us : www.saraswatiias.com

YH-795/2017

बजट और अवसंरचना विकास

जी रघुराम

ऊर्जा तथा परिवहन के बीच भी अन्तः-क्षेत्रीय मुद्दे हैं। सरकार ने भी इस मुद्दे पर जागरूकता का प्रदर्शन किया है। महत्वपूर्ण आवंटनों के साथ रेलवे में भी विद्युत-कर्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी प्रकार, सरकार ने घोषणा की है कि एक नीति के तहत 2030 तक सभी सड़क वाहनों को विद्युत से चलने वाले वाहनों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इस मुद्दे पर घोषित समय-सीमा और हाइब्रिड वाहनों के मुकाबले विद्युत से चलने वाले वाहनों को तरजीह देने, दोनों ही संदर्भों में, उद्योग-जगत सरकार से पूरी तरह सहमत नहीं है

2018-19 का केंद्रीय बजट बुनियादी ढांचे के लिए 5.97 खरब रुपयों के कुल आवंटन की व्यवस्था करता है। 2017-18 में इसमें 4.94 खरब के खर्च का प्रावधान था। बुनियादी ढांचे के लिए आवंटन न केवल समग्र रूप से बल्कि सम्पूर्ण बजट आवंटन के एक हिस्से के रूप में भी बढ़ रहा है। यह आवंटन रेलवे, सड़क, विमानन आदि समेत बुनियादी ढांचे के सभी उप-क्षेत्रों में बढ़ता गया है।

इसमें सर्वाधिक एकल इकाई खर्च भारतीय रेलवे के लिए है। वर्तमान बजट में क्षमता-निर्माण पर अधिक बल है, जिसमें ट्रैक दोहरीकरण; तीसरी और चौथी लाइन का काम; 5000 किलोमीटर का गेज-परिवर्तन; 600 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास तथा आधुनिक ट्रेनों की प्रस्तावना आदि हैं। प्रस्तावित गेज-परिवर्तन देश को ब्रॉड-गेज (बड़ी लाइन) आधारित बहु-गेज प्रणाली से लैस कर देगा। बजट में मुंबई एवं बेंगलुरु समेत उप-नगरीय रेलवे पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मुंबई पर खर्च 0.55 खरब रुपयों वाली मुंबई नगरीय परिवहन परियोजना के चरण का हिस्सा होगा।

केंद्रीय बजट में सड़क बुनियादी ढांचा पर 1.21 खरब रुपयों का कुल व्यय शामिल है। यह व्यय *भारतमाला परियोजना* के लिए अनुमोदित 5.35 खरब रुपयों का हिस्सा है, जिनमें आर्थिक गलियारों का विकास, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गलियारों की दक्षता में सुधार और सीमा, तटवर्ती क्षेत्रों एवं बन्दरगाहों को जोड़ने वाली सड़कों का विकास शामिल हैं।

रेलवे एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई दोनों से, केवल आंतरिक अधिशेषों एवं बजट की सहायता के अतिरिक्त कोष एकत्रित करने की अपेक्षा है। रेलवे से, बॉण्ड के जरिये पारंपरिक तौर पर धनराशि जुटाने के अलावा सार्वजनिक-निजी भागीदारी से भी धन एकत्र किये जाने की अपेक्षा है। रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण और रेल के इंजन एवं डिब्बों के विनिर्माण में आईएनएचएआई टोल, ऑपरेट तथा ट्रान्सफर टीओटी जैसी योजनाओं का इस्तेमाल करेगा तथा ऐसी सड़क परिसंपत्तियां, जो बिल्ड, ऑपरेट और ट्रान्सफर बीओटी के अंतरण-चरण को पार कर गई हैं, उसके इस्तेमाल से बाजार से *इक्विटी* एकत्र करेगा।

सामुद्रिक क्षेत्र में, *सागरमाला परियोजना* के हिस्से के रूप में व्यय पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। विमानन में, हवाई-अड्डों की क्षमता में सुधार, नए हवाई-अड्डों का विकास करने और हेलिपैडों तक पहुंच बढ़ाने पर बल है। बुनियादी ढांचा व्यय के अन्य क्षेत्रों में 99 स्मार्ट शहर एवं ग्रामीण सड़कों, घरों, विद्युत, स्वच्छता, सिंचाई तथा जलापूर्ति के जरिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा शामिल है।

व्यय के लिए अपर्याप्त बैंडविथ

बढ़ते आवंटन के साथ एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसे प्रभावी रूप से खर्च करने की हमारी क्षमता। उदाहरण के लिए, भले ही

लेखक भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआइएम), बंगलुरू के निदेशक हैं। इनकी विशेषज्ञता इन्फ्रास्ट्रक्चर और परिवहन व्यवस्था और लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन प्रबन्धन में है। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में इनके 35 से अधिक सन्दर्भ पत्र और 155 से अधिक केस स्टडीज़ प्रकाशित हुए हैं। इन्होने 6 किताबों को संयुक्त रूप से लिखा है। ये भारत सरकार के कई सारे मंत्रालयों में सलाहकार समितियों व कई सरकारी नीति निर्माण से जुड़े रहे हैं। ईमेल: graghu@iimb.ac.in

2017-18 में कुल बजट सहायता से रेलवे के लिए आवंटन 0.55 खरब रुपये था लेकिन प्रत्याशित वास्तविक व्यय 0.42 खरब रुपये ही रहा। परिणामस्वरूप, 2018-19 के लिए कुल बजट सहायता प्रावधान 0.55 खरब ही रखा गया है, यानी बिना किसी बढ़ोतरी के और लगभग पिछले वर्ष के प्रावधान के समरूप ही।

खर्च करने की अक्षमता, जाहिर तौर पर लिखित परियोजना-दस्तावेज तथा अनुमतियों के त्वरित प्रसंस्करण को सामने रखने में अपर्याप्त सरकारी क्षमता; कानूनी एवं न्यायिक क्षमता का अभाव तथा ऋण-वित्त पोषण को अवरुद्ध करने वाली महत्वपूर्ण अनर्जक बुनियादी परिसंपत्तियों का एक प्रकार्य है। अनुमतियों और कानूनी उलझनों के चलते कई परियोजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। ऐसी परिसंपत्तियों को बचाने एवं फिर से चालू करने के लिए एक सम्मिलित प्रयास करना जरूरी है। कई परियोजनाओं में कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की निश्चित रूप से सराहना की जानी चाहिए, हालांकि अभी भी काफी परियोजनाएं लटकी हुई हैं।

यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि बजट को इतना अधिक महत्व मिलता है लेकिन बजट के निष्पादन की समीक्षा के लिए कोई तंत्र नहीं है, न केवल वित्तीय तौर पर बल्कि कारणों के विश्लेषण द्वारा प्राप्त वास्तविक परिणामों के लिए भी। वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण एक बेहतरीन दस्तावेज है, जो समग्रता से बजट निष्पादन को विभिन्न उप-क्षेत्रों में प्रस्तुत करता है। बजट में राजनीतिक वाकपटुता पर ध्यान अधिक रहता है, अक्सर समान गतिविधियों की पुनरावृत्ति होती है। उदाहरण के लिए, रेलवे स्टेशनों का विकास तथा नए हवाई-अड्डों का निर्माण लगातार कई बजटों में दुहराया गया है। हालांकि पिछले बजटों में सेतुभारतम (राष्ट्रीय राजमार्गों से लेवल क्रॉसिंग हटाना), स्पेशल यूनिट फॉर ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड एनालिटिक्स सूत्र, स्पेशल रेलवे इसटैबलिशमेंट फॉर स्ट्रेटिजिक टेक्नोलोजी ऐंड होलिस्टिक ऐडवांसमेंट (श्रेष्ठ) जैसी योजनाएं थीं लेकिन इन गतिविधियों को उनके वास्तविक प्रयोजनों के समकक्ष रखकर देखने पर उनकी प्रगति की अवस्था का पता लगाना कठिन है।

व्यय निर्देशन साधन परियोजनाकरण

पिछले कुछ वर्षों में यह चलन रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में आवंटन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सागरमाला, द्रुत गति रेल, भारतमाला परियोजना जैसी दीर्घावधि बहु-गतिविधि वाली परियोजना की अवधारणा द्वारा निर्देशित रहा है। द्रुत रेल और भारतमाला परियोजनाओं की घोषणा क्रमशः सितंबर तथा अक्तूबर 2017 में की गई थी। (बेशक, भारतमाला कई मायनों में पहले की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का ही संशोधित संस्करण है।)

इस तरह की अवधारणा विभिन्न वार्षिक मांगों से घिर जाने के बजाय अधिक स्थिरता एवं निर्देशन प्रदान करती है।

परियोजनाकरण के बावजूद, तीन क्षेत्र हैं, जहां हम लड़खड़ाते हैं। उदाहरणार्थ, भारतनेट परियोजना (पूर्व की राष्ट्रीय ऑप्टिकल फ़ाइबर नेटवर्क परियोजना), जिसके द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाना था, में क्रियान्वयन संबंधी समस्याएं थीं, जिस करण निर्धारित समय-सीमा में

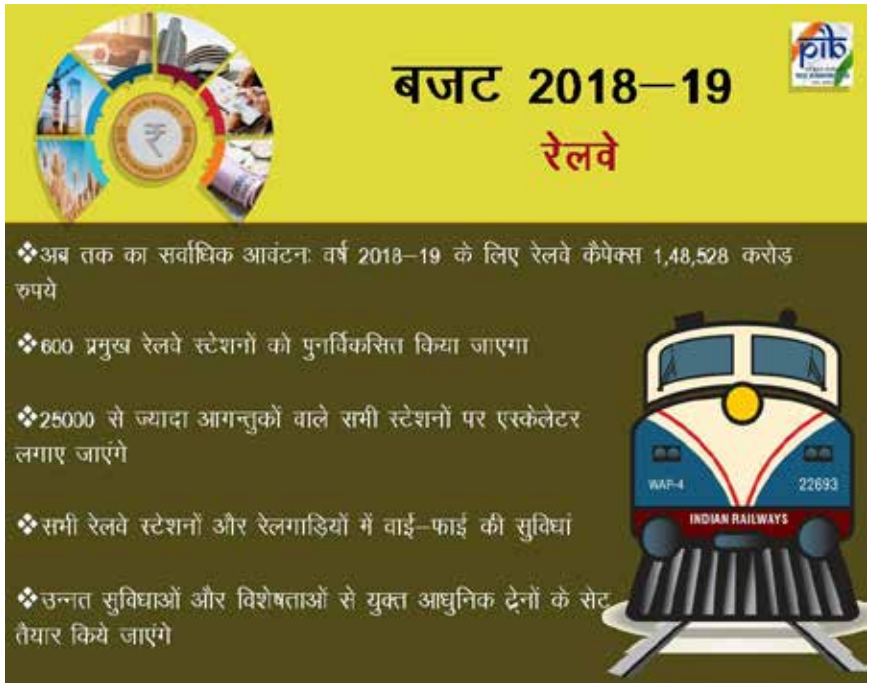

काफी विलंब हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (जिन्होंने इसे प्राथमिकता नहीं दी) को क्रियान्वयन का जिम्मा सौंपने के कारण समस्या हुई।

ग्रामीण बुनियादी ढांचा के संदर्भ में देखें तो, *प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना* सर्वाधिक सफल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक रही है। इस परियोजना का द्वितीय दशकीय चरण 2021 के बजाय 2019 में ही पूरा हो गया है, इसलिए अब तीसरे चरण को शुरू किया जा सकता है। दूरगामी क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करने के अतिरिक्त ग्रामीण सड़क नेटवर्क सड़कों के बेहतर रखरखाव तथा दोतरफा संपर्क पर ध्यान दे रहा है ताकि केवल भौतिक रूप से संपर्क न बढ़े बल्कि सेवाओं को भी सुगम बनाया जा सके ग्रामीण विद्युत के संदर्भ में देखें तो, हमारा ध्यान ग्राम-स्तरीय संयोजकता से घर के स्तर पर संयोजकता की ओर केन्द्रित हो रहा है। स्वच्छता के संदर्भ में बात करें तो, यद्यपि हमारा ध्यान शौचालय निर्माण पर है लेकिन इसका पूरा लाभ तभी मिल पाएगा जब इसका इस्तेमाल बढ़ेगा। इसके लिए 'मार्केटिंग' जैसे प्रयासों की आवश्यकता है।

अंतः-क्षेत्रीय मुद्दे

हालांकि, एक सम्बद्ध चुनौती अन्तः-क्षेत्रीय निहितार्थों को परखने की है। उदाहरण के लिए, सड़क संपर्क में सुधार को देखते हुए यह साफ नहीं है कि नए हवाई-अड्डे बनाना और उन्हें जोड़ना एक रास्ता हो सकता है या नहीं। अधिक हवाई-अड्डे प्रति हवाई-अड्डा जगह को कम कर देंगे, जिससे उड़ानों की आवृत्ति कम हो जाएगी और इससे इसकी सम्पूर्ण वहनीयता पर ही प्रश्न चिह्न खड़े हो जाएंगे। उदाहरणार्थ, हुबली और बेलगावी के बीच की दूरी 100 किमी. से भी कम है और ये बेहतरीन सड़क संपर्क से सम्बद्ध हैं, फिर भी प्रतिदिन महज कुछ उड़ानों के लिए वहां आधुनिक हवाई-अड्डे बनाने की योजना है इनमें से किसी भी हवाई-अड्डे पर पहुंचने के लिए लगभग दो घंटे का समय लगेगा। अगर तुलना करें तो, बेंगलुरु में ऐसी कई जगहें हैं, जहां से हवाई-अड्डे तक पहुंचने में दो घंटे से अधिक का वक्त

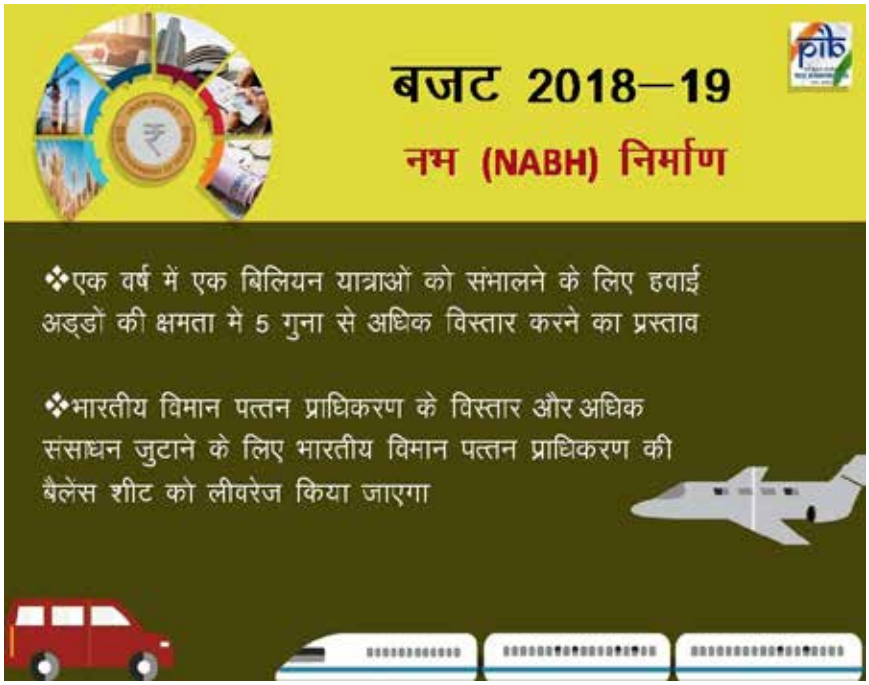

लगेगा। सड़कों के एकीकरण और दूरी के बजाय पहुंच में लगने वाले वक्त को ध्यान में रखने के द्वारा हवाई-संयोजकता की सम्पूर्ण समझ को देखना एक बेहतर मार्ग हो सकता है। जैसे, पहाड़ी इलाकों में हवाई-अड्डों का एक-दूसरे के निकट होना फिर भी ठीक है।

मेट्रो एवं रेलवे के बीच इंटरमॉडल संयोजकता एक अन्य अन्तः-क्षेत्रीय क्षेत्र है। बेंगलुरु और दिल्ली ऐसी ही संयोजकता का उदाहरण है, इस समय यह सुविधा बहुत अच्छी नहीं रह गई है, जो ग्राहक-अंतरण के लिए खराब सेवा-गुणवत्ता की ओर बढ़ी है। परिणामस्वरूप इसकी मांग में कमी आई है। इससे यह पता चलता है कि 'स्मार्ट' शहरों के बजाय बुनियादी गुणवत्ता की आवश्यकता है।

केंद्रीय बजट में सड़क बुनियादी ढांचा पर 1.21 खरब रुपयों का कुल व्यय शामिल है। यह व्यय भारतमाला परियोजना के लिए अनुमोदित 5.35 खरब रुपयों का हिस्सा है, जिसमें आर्थिक गलियारों का विकास, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गलियारों की दक्षता में सुधार और सीमा, तटवर्ती क्षेत्रों एवं बन्दरगाहों को जोड़ने वाली सड़कों का विकास शामिल है।

ऊर्जा तथा परिवहन के बीच भी अन्तः-क्षेत्रीय मुद्दे हैं। सरकार ने भी इस मुद्दे पर जागरूकता का प्रदर्शन किया है। महत्वपूर्ण आवंटनों के साथ रेलवे में भी विद्युत-कर्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी प्रकार, सरकार ने घोषणा की है कि एक नीति के तहत 2030 तक सभी सड़क वाहनों को विद्युत से चलने वाले वाहनों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इस मुद्दे पर, घोषित समय-सीमा और हाइब्रिड वाहनों के मुकाबले विद्युत से चलने वाले वाहनों को तरजीह देने, दोनों ही संदर्भों में, उद्योग-जगत सरकार से पूरी तरह सहमत नहीं है।

उपसंहार

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में ही संकेत दिया कि ''जीडीपी की वृद्धि बढ़ाने, देश को सड़कों, हवाई-अड्डों, रेल, बन्दरगाहों एवं अन्तर्देशीय जलमार्गों के एक नेटवर्क से जोड़ने और एकीकृत करने तथा बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए" भारत को अवसंरचना के क्षेत्र में 50 खरब रुपयों से अधिक के निवेश की आवश्यकता है। उन्होंने घोषणा की कि सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और आवश्यक निवेश सुनिश्चित करेगी। धनराशि का आवंटन उतनी बड़ी चुनौती नहीं है, जितनी समुचित रूप से रणनीति बनाने एवं समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की है। ❑

पूरे भारत में सबसे सफल शिक्षक
अमित कुमार सिंह के मार्गदर्शन में

सिविल सेवा परीक्षा 2016 में संस्थान से कुल 70 चयन

सामान्य अध्ययन का स्वतंत्र माड्यूल ! पढ़ें उनसे जो स्वयं सिविल सेवा में चयनित हो चुके हैं।

Geography + Environment
10 March 02:00 pm
by Aditya Patel
(Selected UPSC 2016)
25 Class - Fee- 1500/-

History
10 March 12:00 pm
by Sandeep Kumar
(Selected UPSC 2016)
25 Class - Fee- 1500/-

Polity
10 March 10:00 am
by Ravi Prakash
25 Class - Fee- 1500/-

कार्यक्रम की विशेषताएँ

यह माड्यूल आप क्यों करें !

- 5 से 6 महीने के बजाय 1 से 1½ माह में समुचित तैयारी जो आपका समय एवं धन दोनों की बचत करेगी।
- जब आप कहीं की कोचिंग करते है तो 60–80 हजार रुपये और 1½ वर्ष व्यर्थ करने के बावजूद कुछ विषयों पर आपकी समझ कमजोर रह जाती है क्योंकि पूरी GS की Class में एक से दो प्रख्यात शिक्षक ही क्लास लेते हैं।
- इस माड्यूल के माध्यम से आप अपने कमजोर विषय को कम समय व मेहनत से तैयार कर पायेंगे।
- इस माड्यूल कार्यक्रम का मार्गदर्शन ऐसे शिक्षक करेंगे जो स्वयं इस परीक्षा (**IAS**) में उत्तीर्ण है, जिससे आपकी तैयारी ज्यादा to the point होगी।
- इस कार्यक्रम में आपके मूल्यांकन के लिए टेस्ट सीरीज भी शामिल हैं।

दर्शन शास्त्र
by Amit Kumar Sir
10 March 03:30 pm

एथिक्स (GS -IV)
Case Study + Previous year Question Paper Solve
15 March 07:00 pm

Current Affairs
by Aditya Patel, Ashutosh Dwivedi Sandeep Kumar & our team
20 Days / Fee 2000/-
17 March 06:30 pm

उपरोक्त कार्यक्रम दिल्ली सेन्टर

न्यूनतम शुल्क उच्चतम गुणवत्ता

IGNITED MINDS
A Premier Institute for IAS/PCS

DELHI CENTER
A-2, 1st Floor, Comm. Comp. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
✆ 011-27654704, 9643760414, 8744082373

ALLAHABAD CENTER
H-1, 1st Floor, Ram Mohan Plaza, Madho Kunj, Katra
✆ 9389376518, 9793022444, 0532-2642251

Visit us: www.ignitedmindscs.com

YH-650/10/2017

समन्वित परिवहन की दिशा में बढ़ते ठोस कदम

अरविंद कुमार सिंह

हमारा परिवहन तंत्र दुनिया में विशालतम होने के बावजूद यात्री और माल यातायात दोनों मामलों में धीमी रफ्तार और अकुशलता का शिकार रहा है। भीड़भाड़ और प्रदूषण के भारी दबाव के अलावा हर साल करीब डेढ़ लाख लोगों की मौतें भी सड़क दुर्घटनाओं के चलते हो रही हैं। अकेले सड़क दुर्घटनाओं से सालाना 65 से 75 हजार करोड़ रुपये की हानि हो रही है। सड़कें माल ढुलाई में सबसे महंगी पड़ती हैं, जबकि रेलें और जलमार्ग अधिक किफायती और पर्यावरण मैत्री हैं। हमारा जोर सबसे अधिक सड़कों पर रहा है जिस कारण हमारी लॉजिस्टिक्स लागत इतनी आती है कि दुनिया के बाजार में हमारे उत्पाद टिक नहीं पा रहे हैं

वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री ने संसद में 2018-19 का बजट पेश करते समय आधारभूत सुविधाओं के विकास पर फोकस करने के साथ इस बात का साफ तौर पर संकेत दिया है कि सरकार समन्वित परिवहन ढांचे के तहत आगे की सेवाओं की प्राथमिकता तय करेगी। बजट में बेशक सरकार ने रेल और सड़क क्षेत्र के महत्व को देखते हुए उनके लिए अब तक का सबसे ज्यादा आवंटन का प्रस्ताव किया है लेकिन बाकी साधनों पर भी खास ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने माना कि सड़कों, हवाई अड्डों, रेलवे, बंदरगाहों और अंतर्देशीय जलमार्गो के नेटवर्क से देश को जोड़ने और और एकीकृत करने के लिए और नागरिकों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना में 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश की जरूरत है। सरकारी ने निवेश बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए आम बजट 2018-19 में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5.97 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

आम बजट में बुनियादी ढांचे और खास तौर पर परिवहन तंत्र के लिए कई नयी पहल की गयी है। 2018-19 में करीब नौ हजार किमी राष्ट्रीय राजमार्ग बनेंगे। भारतमाला के तहत सरहदी और पिछड़े इलाकों में कनेक्टिविटी सुधार को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने पहले चरण में करीब 5.35 लाख करोड़ की लागत से 35 हजार किमी सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र के लिए बजट में 71 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है जो पहले से 10 हजार करोड़ रुपये अधिक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राजमार्गों के विकास के लिए 2018-19 में 29,663 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है जो पिछले बजट में 23,891 करोड़ रुपये था। इसी तरह सड़क तथा पुलों के लिए 21,453 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसी के साथ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के कायाकल्प के लिए अलग से विशाल राशि भी मुहैया करा रही है। प्रधानमंत्री नियमित तौर पर प्रगति के माध्यम से बुनियादी क्षेत्र में उपलब्धियों की समीक्षा कर रहे हैं और इसके तहत 9.46 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं।

समन्वित परिवहन पर जोर

लेकिन यह गौर करने वाला तथ्य है कि 2017-18 के आम बजट में रेल बजट के समाहित होने के बाद से बजट में बुनियादी ढांचे का संपूर्ण तानाबाना परिवहन ढांचे के समन्वित एवं संतुलित विकास पर रहा है। सरकार संपूर्ण परिवहन क्षेत्र को एक इकाई के रूप में देख रही है और इसके समन्वित व एकीकृत विकास के बारे में लगातार रणनीति तैयार करने के साथ उसे जमीन पर उतार रही है। उसकी कोशिश है कि परिवहन का हर साधन एक दूसरे का सहयोगी बने। इसी नाते सरकार ने कमजोर और अल्प विकसित जल परिवहन के कायाकल्प का बीड़ा उठाते हुए छोटे शहरों और दुर्गम इलाकों की कनेक्टिविटी पर खास जोर दिया है।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक दक्ष और सक्षम समन्वित परिवहन प्रणाली की जरूरत है। भारत जैसे विशाल और विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों वाले देश को तो इसकी और भी जरूरत है। क्योंकि यहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गावों में रहता है और आबादी का एक बड़ा हिस्सा कमजोर माली हालत वाला है। हमें ऐसी प्रणाली भी चाहिए जिनकी दरें आम आदमी के जेब के दायरे में हो। हमारी परिवहन

लेखक रेल मंत्रालय के पूर्व सलाहकार तथा संचार व परिवहन क्षेत्र के विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार हैं। भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय की परियोजना के तहत भारत के अंतर्देशीय जल परिवहन का इतिहास के लेखक भी रहे हैं। ईमेल: arvindksingh.rstv@gmail.com

प्रणाली रेलवे, राजमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय नौवहन तथा वायुमार्ग जैसे साधनों से मिल कर बनी है। कभी हमारी परिवहन प्रणाली की जीवनरेखा जलमार्ग थे पर वे हाशिए पर चले गए और कई दशकों से रेलें और सड़कें महाबली बनी हुई हैं।

हमारा परिवहन तंत्र दुनिया में विशालतम होने के बावजूद यात्री और माल यातायात दोनों मामलों में धीमी रफ्तार और अकुशलता का शिकार रहा है। भीड़भाड़ और प्रदूषण के भारी दबाव के अलावा हर साल करीब डेढ़ लाख लोगों की मौतें भी सड़क दुर्घटनाओं के चलते हो रही हैं। अकेले सड़क दुर्घटनाओं से सालाना 65 से 75 हजार करोड़ रुपये की हानि हो रही है। सड़कें माल ढुलाई में सबसे महंगी पड़ती है, जबकि रेलें और जलमार्ग अधिक किफायती और पर्यावरण मैत्री हैं। हमारा जोर सबसे अधिक सड़कों पर रहा है जिस कारण हमारी लॉजिस्टिक्स लागत इतनी आती है कि दुनिया के बाजार में हमारे उत्पाद टिक नहीं पाते रहे हैं।

इन बातों को ही ध्यान में रख कर सरकार ने 2014 के बाद कई पहल की है जिससे तस्वीर बदलने लगी है। हमारे राष्ट्री य राजमार्ग देश के सड़क तंत्र का महज दो फीसदी होने के बावजूद 40 फीसदी माल ढुलाई कर रहे हैं। 2014 में 96 हजार किमी राष्ट्रीय राजमार्ग थे जो अब करीब डेढ़ लाख किमी तक पहुंच गए हैं। सरकार ने सागरमाला के तहत बंदरगाहों के विकास और आधुनिकीकरण का तानाबाना बुना है। इसके तहत सड़क, रेल तथा जलमार्गों के जरिये अंदरूनी हिस्सों को बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा। इससे लॉजिस्टिक लागत में 35 हजार से 40 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी, निर्यात बढ़ेगा और एक करोड़ नए रोजगार के मौके पैदा होंगे। गंगा और ब्रह्मपुत्र की नौवहन क्षमता के कायाकल्प के साथ सरकार अगले तीन सालों में 37 दूसरे जलमार्गों को विकसित कर रही है। इसके साथ ही एकीकृत परिवहन प्रणाली का विकास किया जा रहा है, जिससे सस्ते दर पर माल परिवहन क्षमता में बढ़ोतरी होगी।

हमारा सड़क नेटवर्क आज सबसे ताकतवर और हमारी परिवहन की जीवनरेखा बना हुआ है। देश के पिछड़े और अविकसित इलाकों में संपर्कता बढ़ाने के लिए सरकार ने 5.35 लाख करोड़ लागत की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के पहले चरण को मंजूरी दी है। इससे करीब 35 हजार किमी सड़कें बनेंगी। लेकिन जमीनी हकीकत देखें तो पता चलता है कि सड़क परिवहन लगातार रेलों को चुनौती देते हुए उसे पीछे धकेलता रहा है। 1950-51 के दौरान रेलवे 88 फीसदी तथा सड़क परिवहन महज 10 फीसदी माल ढुलाई कर रहा था। लेकिन आज माल परिवहन में रेलवे की हिस्सेदारी करीब तीस फीसदी पर आ गयी है। इससे सारा दबाव सड़कों पर आ रहा है और वायु प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है। सड़कों पर टोल बैरियर, नगर निकाय, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, वन, आवश्यक वस्तु अधिनियम और खनन आदि विभागों के चेक पोस्ट भी यात्री और माल वाहनों की गति को धीमी कर देते हैं। भारत में 1947 में महज 2.11 लाख मोटर गाड़ियां थीं,जबकि आज राष्ट्रीय परिवहन रजिस्टर में 21.2 करोड़ वाहन दर्ज हो चुके हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

हमारे पास साधनों की कमी नहीं है। हमारा सड़क और रेल नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़े नेटवर्कों में शुमार है। हमारे पास 14,500 किमी लंबे जलमार्ग तथा 13 विशाल और 200 छोटे बंदरगाह के साथ सवा सौ से अधिक हवाई अड्डे की हमारी ताकत कम नहीं है। लेकिन इन साधनों में आपसी तालमेल या सामंजस्य की कमी है।

वहीं रेलवे की माल ढुलाई का हाल देखें तो उनके पास आज 95 फीसदी से अधिक माल चुनिंदा वस्तुओं जैसे कोयला, कच्चा माल, इस्पात, खाद्यान्न, उर्वरक, चीनी और सीमेंट आदि का है। रेलवे नमक, खाद्यान्न और उर्वरकों आदि की ढुलाई रियायती दरों पर करती है। हमारी मालगाड़ियों की औसत गति 25 किमी प्रतिघंटा है, जो अमेरिकी मालगाड़ियों की तुलना में आधी है। हमारी परिवहन व्यवस्था पर कुछ वस्तुओं की ढुलाई का भारी बोझ है और अगले दो दशकों में इनकी ढुलाई की समग्र मांग चार से छह गुणा तक बढ़ सकती है, जिस कारण भी हमें परिवहन के संबंध में एकीकृत दृष्टिकोण पर ध्यान देना होगा।

18 फरवरी, 2018 को प्रधानमंत्री ने नवी मुंबई में कहा कि हम रेल या सड़क की जगह जलमार्ग का उपयोग करें तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना यातायात को बढ़ावा दिया जा सकता हैं। इसके पहले पिछले साल बुलेट ट्रेन परियोजना से संबंधित समारोह में अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने समन्वित परिवहन पर जोर देते हुए कहा था कि यही नए भारत की जरूरत है। इसी नाते हमने रेलवे, राजमार्ग, जल मार्ग और वायुमार्ग समेत सभी क्षेत्रों में एक समान आधारभूत ढांचे पर जोर दिया है और अप्रत्याशित गति से कार्य आगे बढ़ रहा है। हम देश की खूबियों को ध्यान में रखते हुए आने वाली पीढ़ियों के हिसाब से आधारभूत ढांचे का निर्माण की पहल कर रहे हैं। 106 नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। वायु परिवहन में भी नयी संभावनाएं दिख रही हैं। पिछले तीन सालों में हवाई जहाज में सफर करने वाले घरेलू यात्रियों की संख्या में करीब तीन करोड़ यात्रियों की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय वायु परिवहन नीति के तहत मध्यम वर्ग के जीवन में 'उड़ान योजना' के माध्यम से बदलाव लाने के लिए देश के 70 छोटे शहरों को इससे जोड़ा जा रहा है।

हाल में संसद में अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि रेलवे परिवहन का मुख्य साधन बना हुआ है और मेरी सरकार इसे विश्व स्तरीय बनाने की ओर प्रतिबद्ध है। लेकिन आधुनिक परिवहन व्यवस्थाएं इस तरह विकसित की जा रही हैं कि सभी एक-दूसरे से जुड़ी हुई हों। सरकार रेलवे की अहमियत नजरंदाज नहीं कर सकती लेकिन अब उसका जोर समन्वित परिवहन ढांचे पर है।

2017 में रेल बजट को आम बजट में समाहित करने के बाद से इस बात ने जोर पकड़ा था कि सरकार अब रेल, सड़क, जहाजरानी और विमानन को मिला कर एक नया मंत्रालय बनाएगी। चार मंत्रालयों की जगह एक मंत्रालय होने से तस्वीर बदलेगी और समग्र परिवहन नीति बनाने का रास्ता साफ होगा। और इससे प्रणाली अधिक किफायती, सुविधाजनक और एकीकृत बनाने में मदद मिलेगी। प्रौद्योगिकी तौर पर तो ऐसा नहीं हुआ है लेकिन सरकार ने इसी भाव को आगे रख कर कदम बढ़ाया है।

3 से 5 मई, 2017 के दौरान राजधानी में भारत एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें भारत और विदेशों के करीब तीन हजार प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के साथ विश्व बैंक और एशिया विकास बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल थे। इसमें करीब दो लाख करोड़ रुपये के 34 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। पहली बार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेलवे, नागरिक

विमानन और जहाजरानी मंत्रालय ने साथ मिल कर रणनीति बनायी। सरकार देश में 33 लॉजिस्टिक पार्क और 10 इंटरमाडल स्टेशन भी बनाने जा रही है जो प्रमुख उद्योग व्यापार केंद्रों के करीब स्थापित होंगे। इनमें माल लादने, उतारने, संग्रहीत करने और वितरित करने में विश्व की बेहतरीन तकनीकों का उपयोग होगा। दादरी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का लॉजिस्टिक पार्क बनेगा जहां से 2025 तक सालाना पांच करोड़ टन माल की आवाजाही संभव होगी। सब कुछ ठीक रहा तो इससे परिवहन लागत में 10 फीसदी तक कमी आएगी और प्रदूषण भी नियंत्रित होगा। राज्यों के बीच की तमाम कानूनी अड़चनों को दूर करने और एकरूपता से भी आपूर्ति श्रृंखला की समग्र लागत में पांच से छह फीसदी की कमी आएगी। अभी भारत में लॉजिस्टिक लागत 13 से 18 फीसदी तक है, जबकि अमेरिका में 10 फीसदी से कम और यूरोप में 7.1 फीसदी तक।

हमारे पास साधनों की कमी नहीं है। हमारा सड़क और रेल नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़े नेटवर्कों में शुमार है। हमारे पास 14,500 किमी लंबे जलमार्ग तथा, 13 विशाल और 200 छोटे बंदरगाह के साथ सवा सौ से अधिक हवाई अड्डे की हमारी ताकत कम नहीं है। लेकिन इन साधनों में आपसी तालमेल या सामंजस्य की कमी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तत्कालीन योजना आयोग के सलाहकार मोंटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में एकीकृत परिवहन नीति बनाने के लिए एक समूह बना। इसने सड़कों के सुधार, अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने समेत शहरी परिवहन व्यवस्था को चाक चौबंद करने जैसे कई सुझाव दिए थे। इससे पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष के.सी. पंत की अध्यक्षता में बनी टास्क फोर्स ने परिवहन के सभी साधनों के बीच बेहतर तालमेल की वकालत करते हुए माना कि रेल और सड़क परिवहन के बीच समन्वय का अभाव है और भारी प्रतिस्पर्धा भी है। सड़क परिवहन घर से घर तक सामान पहुंचाने की क्षमता रखता है जबकि रेलवे इसमें सक्षम नहीं है। उसे कई मदों में सस्ती माल ढुलाई करनी पड़ती है। कम दूरी और अधिक लाभ वाले माल की ढुलाई सड़कों से होती है जबकि रेलवे लंबी दूरी के माल की अधिक ढुलाई करता है। रेलवे और सड़क परिवहन के बीच कारगर समन्वय की जरूरत है लेकिन यह तभी संभव होगा जब कोई राष्ट्रीय एकीकृत परिवहन नीति हो। संसद की लोक लेखा समिति 1980-81 से इस मसले को उठाती रही है। लेकिन सरकार ने इस सिफारिश को नहीं स्वीकारा। कुछ काम जरूर हुए लेकिन जमीनी हकीकत यह रही कि देश में परिवहन के खास साधनों की अपनी नीति बनी रही और उसी के हिसाब से रणनीतियां तय होती रहीं।

नए भारत की नयी रेल

वित्त मंत्री ने संसद में 2018-19 का बजट पेश करते समय समन्वित परिवहन ढांचे पर जोर देने के बावजूद रेलवे को खास महत्व दिया है। रेलवे का राजस्व पूंजी व्यय 1,48,528 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसका बड़ा हिस्सा इसके क्षमता विस्तार पर व्यय होगा। 2013-14 के मुकाबले इस राशि में सरकार ने तीन गुना बढ़ोत्तरी की है। संरक्षा और सुरक्षा संबंधी कार्यों पर 73,065 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 2018-19 में रेलवे की कुल प्राप्तियां सात फीसदी बढोत्तरी के साथ 201,090 करोड़ आंकी गयी है, जबकि राजस्व व्यय चार फीसदी बढ़ोत्तरी के साथ 1,88,100 करोड़ रुपये का होगा। सरकार ने रेलवे के कायाकल्प के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। रेल मंत्री नीतिगत और संसाधन के स्तर पर मिल रहे समर्थनों से उत्साहित हैं।

भारत सरकार ने हाल के सालों में पूर्वोत्तर भारत में विकास को गति देने की दिशा में कई पहल की है। इसमें कनेक्टिविटी की योजनाओं पर खास जोर है। अगरतला-आखुरा रेल-लिंक पर तेजी से कार्य चल रहा है जो भारत को बांग्लादेश से जोड़ेगा। शिलांग तुरा सड़क परियोजना हाल में पूरी हुई जिससे इस इलाके का संपर्क सुधरा है।

पहली बार भारत सरकार ने सारे रेल नेटवर्क को विद्युतीकृत करने जैसा बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। 2021-22 तक रेलवे अपने 38 हजार किमी रेलमार्ग के विद्युतीकरण को साकार कर लेगी। इस परियोजना पर 32,591 करोड़ रुपये व्यय होगा और जब सभी गाड़ियां बिजली से चलने लगेंगी तो ईंधन बिल में सालाना 13,510 करोड़ रुपये की बचत होगी। इससे यात्री और माल ढुलाई की क्षमता में व्यापक विस्तार होगा अभी भारतीय रेल के कुल 67,368 किमी मार्ग में से 25,201 किमी विद्युतीकृत है जो कुल रेलमार्ग का 37.41 फीसदी बैठता है। राजस्थान में केवल 11 फीसदी और कर्णाटक में 14.40 फीसदी रेलमार्ग विद्युतीकृत है जबकि सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 36.46 फीसदी। लेकिन अब राज्यों के बीच विद्यमान असमानताएं दूर होंगी।

तमाम चुनौतियों के बावजूद रेलवे में कई स्तरों पर सुधार दिखने लगा है। इसका परिचालन अनुपात 2018-19 में 92.8 फीसदी तक आने की उम्मीद है जो कि 2017-18 में 96 फीसदी तक पहुंच गया था। 2018-19 में एक हजार किमी नयी रेल लाइन, एक हजार किमी का आमान परिवर्तन और 2100 किमी का दोहरीकरण का लक्ष्य रेलवे ने रखा है। इसी तरह 12,000 माल डिब्बों और 5160 सवारी डिब्बों के साथ 700 इंजनों की खरीददारी से भी रेलवे की ताकत और बढ़ेगी। मुंबई और बंगलुरू में मेट्रो रेल के विस्तार के साथ वडोदरा में रेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की भी तैयारी है। इस बार 3900 किमी रेल पथ नवीनीकरण के लिए 11,450 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। साथ ही भारतीय रेल स्टेशन विकास कंपनी के तहत 600 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को फिर से विकसित करने का काम शुरू किया जा रहा है। 25 हजार से अधिक यात्रियों की क्षमता वाले रेलवे स्टेशनों पर स्केलेटर लगेंगे और सभी रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में वाई फाई की सुविधा भी मुहैया करायी जाएगी।

यह उल्लेखनीय तथ्य है कि आजादी के बाद से रेलवे में यात्री यातायात 1344 फीसदी और माल यातायात में 1642 फीसदी बढा लेकिन रेलमार्ग महज 23 फीसदी बढ़ा। इस नाते तमाम क्षेत्रों में सुविधाएं चरमराने लगीं। इसी नाते 2014 में प्रधानमंत्री ने भारतीय रेल के कायाकल्प को सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा बनाया। इसका असर अब दिखने लगा है। भारतीय रेल 17 क्षेत्रीय रेलों और 68 मंडलों के प्रशासनिक ताने-बाने के सहारे रोज भारतीय रेल करीब ढाई करोड़ मुसाफिरों यानि आस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर लोगों को गंतव्य तक पहुंचाती है।

भारतीय रेल का नेटवर्क 67,368 किमी है लेकिन यह भारी दबाव से जूझ रहा है। रेलवे का सामाजिक सेवा दायित्व तेजी से बढ़ते हुए आज 39,608 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसमें केवल यात्री सेवाओं पर रेलवे को करीब 39,566 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ रही है। फिर भी यात्री सेवाओं की तरफ ध्यान देना हर लिहाज से जरूरी है। आम आदमी को बहुत सस्ती दर पर यात्रा सुलभ कराने के साथ

भारतीय रेल अनुकूल, सुरक्षित और यातायात का सस्ता साधन है। सड़क परिवहन की तुलना में रेलवे पांच से छह गुना अधिक कार्यकुशल है और भूमि उपयोग के लिहाज से चार गुना किफायती है। भारतीय रेल ने यात्री सुरक्षा, रेलगाड़ियों की गति को बढ़ाने, यात्री और माल टर्मिनलों के आधुनिकीकरण के साथ कई दिशा में पहल की है। डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर पर भी अच्छी प्रगति हो रही है, जिसका भविष्य में रेलों की क्षमता विकास और गति विकास दोनों में मदद मिलेगी।

भारत सरकार ने हाल के सालों में पूर्वोत्तर भारत में विकास को गति देने की दिशा में कई पहल की है। इसमें कनेक्टिविटी की योजनाओं पर खास जोर है। अगरतला-आखुरा रेल-लिंक पर तेजी से कार्य चल रहा है जो भारत को बांग्लादेश से जोड़ेगा। शिलांग तुरा सड़क परियोजना हाल में पूरी हुई जिससे इस इलाके का संपर्क सुधरा है। इसी तरह बहु प्रतीक्षित देश के सबसे लंबे नदी पुल ढोला-सादिया को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। अकेले इस पुल से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी 165 किलोमीटर कम हो गयी है। भारत सरकार ने पूर्वोत्तर भारत में पिछले तीन सालों में 970 किमी आमान परिवर्तन के साथ सारी रेल लाइनों को बड़ी लाइन में बदल दिया है। पूर्वोत्तर में 11 हवाई अड्डों से रोज 1100 से अधिक उड़ानें संचालित हो रही हैं। मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। हवाई संपर्क की दिशा में भी यहां के कमजोर तंत्र को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कठिन पहाड़ी भूभाग होने के अलावा प्राकृतिक प्रकोप, आपदाओं और उग्रवाद की समस्या के कारण भी तमाम बाधाएं आती रही हैं।

जल परिवहन और तटीय जहाजरानी से नयी उम्मीदें

भारत सरकार ने जल परिवहन के विकास पर खास ध्यान दिया है। सरकारी मंशा है कि घरेलू माल ढुलाई का कमसे कम दो फीसदी हिस्सा सड़कों और रेलों से अंतर्देशीय जल परिवहन की ओर स्थानांतरित हो जाये। जलमार्ग सड़कों या रेलों का विकल्प बन सकते हैं, लेकिन उनमें इतनी शक्ति है कि वे इनका बोझ हलका कर सकते हैं। रेल और सड़क परिवहन तंत्र व्यवस्थित है जिस कारण माल ढुलाई के काम में लगी कंपनियां उनको प्राथमिकता देती हैं। जल परिवहन क्षेत्र का बजट आवंटन में 2017-18 में जहां 434 करोड़ था उसे बढ़ा कर 500 करोड़ किया गया है। पिछले साल 660 करोड़ रुपये का बांड भी जारी हुआ। भारत सरकार जलमार्गों को नया जीवन देने के लिए केंद्रीय सड़क निधि से सालाना 2300 करोड़ रुपये इसके हक में देने की तैयारी में भी जुटी है।

भारत में 14,500 किलोमीटर अंतरदेशीय जलमार्ग हैं और लेकिन 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है। विश्व बैंक की मदद से करीब 5369 करोड़ रुपये लागत वाली जलमार्ग विकास परियोजना में काफी प्रगति हुई है। गंगा जल्दी ही प्राकृतिक हाईवे बनने की तैयारी में है। हाल में कुछ ताप बिजलीघरों, सीमेंट और खाद कंपनियों ने जल परिवहन में दिलचस्पी दिखायी है। आकलन है कि सब कुछ ठीक रहा तो अगले पांच सालों में जल परिवहन क्षेत्र से करीब 1.8 लाख लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं। जलमार्गों से माल ढुलाई में प्रगति हो रही है। 2012-13 में यह 23.68 मिलियन टन थी जो 2016-17 में 55. 20 लाख टन हो गयी। 2016-17 के बजट के बाद इस क्षेत्र में एक नयी उम्मीद जगी है।

भारत में 14,500 किलोमीटर अंतरदेशीय जलमार्ग हैं और लेकिन 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है। विश्व बैंक की मदद से करीब 5369 करोड़ रुपये लागत वाली जलमार्ग विकास परियोजना में काफी प्रगति हुई है। गंगा जल्दी ही प्राकृतिक हाईवे बनने की तैयारी में है।

इसी तरह बंदरगाहों और तटीय जहाजरानी के विकास की दिशा में काफी अहम कदम उठे हैं। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7516 किमी है। लेकिन अभी कुल माल परिवहन में इसका हिस्सा महज सात फीसदी है। यूरोप और चीन में तटीय जहाजरानी का योगदान चालीस फीसदी तक है। भारत में 14 राज्यों की परिधि में 13 बड़े बंदरगाह और करीब 200 छोटे बंदरगाह हैं। अंतरदेशीय जल परिवहन का बंदरगाहों से जुड़ाव बन गया तो कई संभावनाएं बन सकती हैं। हमारे वैश्विक व्यापार में 95 फीसदी हिस्सेदारी समुद्री मार्ग की है। हमारे प्रमुख बंदरगाह 68 फीसदी माल ढुलाई करते हैं, जबकि छोटे बंदरगाहों के द्वारा 32 फीसदी माल ढुलाई होती है। अगर तटीय जहाजरानी और अंतरदेशीय जलमार्गों का जुड़ाव और विकास हो जाये तो हमारी लॉजिस्टिक लागत काफी कम हो सकती है।

हमारा गंगा-ब्रहमपुत्र-सुंदरबन नदी प्रणाली हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह से पहले से जुड़ा हुआ है। वहीं ब्राह्मणी और महानदी का जुड़ाव पारादीप बंदरगाह से है। कृष्णा-गोदावरी और बकिंघम का जलमार्ग चेन्नै बंदरगाह से जुड़ा है। पश्चिम तटीय नहर कोचीन बंदरगाह से और मांडवी-जुवारी तथा कंबर्जुआ का जलमार्ग मुरगांव बंदरगाह से प्राकृतिक रूप जुड़ा हुआ है। इनके विकास से एक नयी ताकत बन सकती है। भारत में जल परिवहन तंत्र सदियों से एक विश्वसनीय प्रणाली के रूप में काम करता रहा है। बेहतर निवेश और प्रौद्योगिकी उन्नयन के साथ इसकी क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है। नेशनल काउंसिल फार एप्लाइड इकोनामिक्स रिसर्च ने अपने अध्ययन में पाया है कि यह सबसे अधिक किफायती है। जलमार्ग के विकास की लागत रेलवे या चार लेन एक्सप्रेसवे की तुलना में पांच से दस फीसदी तक है। एक ताकतवर बार्ज 15 रेलवे वैगन या 60 ट्रकों का माल अकेले ढोने की क्षमता रखता है। बार्जों की प्रति किमी परिचालन लागत रेल से दो गुना और ट्रक से चार गुना सस्ती बैठती है।

एकीकृत राष्ट्रीय जलमार्ग परिवहन ग्रिड की दिशा में भी सरकार ने सक्रिय पहल की है। इसकी स्थापना से जलमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्गों से जुड़ेगा और काफी मात्रा में माल ढुलाई संभव होगी। इसमें पांच राष्ट्रीय जलमार्गों को शामिल किया गया है। योजना है कि इस ग्रिड में कम से कम ढाई मीटर न्यूनतम गहराई उपलब्ध हो और टर्मिनलों के उन्नयन के साथ इनको सड़क, रेल एवं बंदरगाहों से जोड़ा जाये। इसके तहत राष्ट्रीय जलमार्गों के करीब 4,503 किमी खंड का व्यापक विकास होना है। परियोजना पूरी होने के बाद इससे सालाना 159 मिलियन टन माल सड़क तथा रेल से अंतर्देशीय जलमार्गों की तरफ मोड़ने ने मदद मिलेगी।

ये सारे प्रयास बताते हैं कि सरकार ने समन्वित परिवहन की दिशा में एक ठोस पहल कर दी है। काम बेहतर दिशा की ओर जा रहा है। कुछ बुनियादी काम पूरे हो जाने के बाद परिवहन क्षेत्र का यह कायाकल्प सबको प्रकट रूप में दिखने लगेगा। इससे संकुचित हो चले रेल और सड़क परिवहन को एक नयी ताकत मिलेगी। ❑

काला धन के खिलाफ पारदर्शी कर प्रशासन

रमेश कुमार यादव
रोहित देव झा

विदेश में मौजूद काला धन से असरदार तरीके से निपटने के लिए सजा के सख्त प्रावधानों के साथ काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्तियां) और कर अधिरोपण कानून, 2015 को लागू किया गया है। धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत टैक्स चोरी को विधेय अपराध बना दिया गया है। सरकार ने पनामा और पैराडाइज पेपर लीक केस में तेज और समन्वित जांच को अंजाम देने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन की अगुवाई में बहु-एजेंसी ग्रुप बनाया है

काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान सरकार की अहम प्राथमिकताओं में शामिल है। इस अभियान के सफर की शुरुआत जस्टिस एम बी शाह की अगुवाई में काले धन पर विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाने के साथ हुई और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है।

काला धन न सिर्फ सरकार के खजाने में राजकोषीय सुराख पैदा करता है, बल्कि यह समाज के नैतिक ढांचे को भी भ्रष्ट कर देता है। काला धन भ्रष्टाचार पैदा करता है, जो समाज के लिए कैंसर की तरह है। साथ ही, यह लोकतंत्र में नागरिकों के भरोसे को कम करता है, रचनात्मकता और नवोन्मेष के मिजाज को घटाता है, जिससे पूरे देश की प्रतिभा बर्बाद होती है।

बजट 2018 ने काला धन को पूरी तरह से खत्म करने के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। पारदर्शी व जवाबदेह कर प्रशासन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया गया है। पारदर्शी और निष्पक्ष सिस्टम तैयार करने के सिलसिले में सरकार की तरफ से की गई कोशिशों से विश्व बैंक की तरफ से जारी व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में अहम सुधार हुआ है। भारत इस सूची में 30 पायदान छलांग लगाते हुए टॉप 100 देशों की सूची में शामिल हो गया है। जहां तमाम 10 उप-सूचकांकों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है, वहीं इस बात का उल्लेख करना भी जरूरी है कि अधिकतम बदलाव 'कर भुगतान' श्रेणी में हासिल किया गया, जहां भारत की रैंकिंग 172 से ऊपर उठकर 119 पर पहुंच गई।

सकारात्मक असर

विमुद्रीकरण और जीएसटी लागू करने जैसे ऐतिहासिक फैसलों के असर ने रंग लाना शुरू कर दिया है। 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि पहले की पद्धति की तुलना में जीएसटी के तहत अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह, प्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर नवंबर 2016 के बाद से आयकर रिटर्न फाइल करने वाले लोगों की संख्या में 18 लाख की बढ़ोतरी हुई है।

विमुद्रीकरण से 85.51 लाख नए करदाताओं को जोड़ने में मदद मिली, जबकि इससे ठीक पिछले साल यह आंकड़ा 66.26 लाख था। आज करदाताओं का आधार बढ़कर 8.27 करोड़ हो चुका है। आईटीडी द्वारा उठाए गए कदमों से निजी आयकर में काफी बढ़ोतरी हुई है। इन दो सालों से पहले के 7 सालों में निजी आयकर में तेजी का औसत 1.1 है। हालांकि, वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 (आरई) के लिए निजी आयकर में तेजी का आंकड़ा क्रमशः 1.95 और 2.11 है।

विमुद्रीकरण के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ऑपरेशन क्लीन मनी (ओसीएम) शुरू किया और इसके तहत डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हुए संबंधित लोगों की पहचान की गई। मसलन व्यापक जांच के लिए डेटा स्रोत का मिलाना, संबंधों की पड़ताल और फंड की निगरानी जैसे कदम भी शामिल थे। यह ऑपरेशन 'ईमानदार करदाताओं', 'नागरिकों के योगदान' और 'सकारात्मक नतीजों पर लगातार मिल रही राय' जैसे तीन खंभों पर

रमेश कुमार यादव 87 बैच के आइआरएस हैं और वर्तमान में आयकर, दिल्ली के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ईमेलः rky1961@gmail.com
आइआरएस 13 बैच के रोहित देव झा वर्तमान में आयकर, दिल्ली में सहायक निदेशक हैं। ईमेलः rohit@gmail.com

आरेख 1: डुइंग बिजनेस टॉपिक-भारत (डिस्टेंस टू फ्रंटियर)

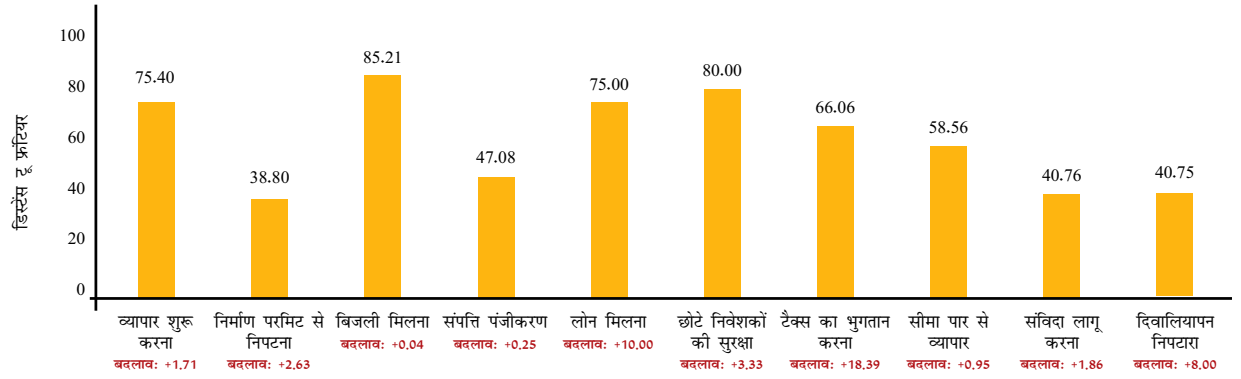

स्रोत: *डुइंग बिजनेस 2018-वर्ल्ड बैंक*

डुइंग बिजनेस टॉपिक-भारत। डिस्टेंस टू फ्रंटियर (डीटीएफ) पैमाना 'फ्रंटियर' (सीमा) से हर अर्थव्यवस्था की दूरी को दिखाने का पैमाना है। यह पैमाना तमाम अर्थव्यवस्थाओं के हर सूचकांकों पर बेहतरीन प्रदर्शन की नुमाइंदगी करता है।

टिका है। बाकी चीजों के अलावा इसने करदाताओं पर अनुपालन के कम बोझ के साथ आईटीडी को नकदी जमा की ई-जांच की सहूलियत मुहैया कराई है।

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में नोटबंदी के आंकड़ों के आधार पर हुई कार्रवाई में जबरदस्त उछाल को प्रमुखता से पेश किया गया है। इसके तहत छापेमारी की संख्या में 106 फीसदी की बढ़ोतरी हुई (447 से 1,152 समूह), जब्ती के मामलों में 106 फीसदी की तेजी (712 करोड़ से 1,469 करोड़), सर्वे में 183 फीसदी की बढ़ोतरी (4,422 से 12,250) और अघोषित आय में 44 फीसदी की बढ़ोतरी का पता जांच पड़ताल की कार्रवाई के दौरान चला।

बेनामी सौदा (निषेध) संशोधन विधेयक

बेनामी संपत्ति लेनदेन (प्रतिबंध) कानून, 1988 में बेनामी सौदा (प्रतिबंध) संशोधन कानून, 2016 के जरिये संशोधन किया गया। इसमें तात्कालिक तौर पर कुर्की और उसके बाद बेनामी संपत्ति को जब्त करने के अलावा 7 साल की जेल का भी प्रावधान है। संशोधित कानून ने बेनामी सौदे की परिभाषा का दायरा व्यापक कर दिया है। आईटीडी ने देश भर में 24 बेनामी प्रतिबंध इकाइयों (बीपीयू) का गठन किया है। विभाग की तरफ से जबरदस्त कोशिशों के कारण 900 से भी ज्यादा मामलों में 3,500 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को तात्कालिक तौर पर जब्त किया गया है।

विदेश में काले धन के जोखिम को रोकना

विदेश में मौजूद काला धन से असरदार तरीके से निपटने के लिए सजा के सख्त प्रावधानों के साथ काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्तियां) और कर अधिरोपण कानून, 2015 को लागू किया गया है। धनशोधन निवारण अधि नियम (पीएमएलए), 2002 के तहत टैक्स चोरी को विधेय अपराध बना दिया गया है। सरकार ने पनामा और पैराडाइज पेपर लीक केस में तेज और समन्वित जांच को अंजाम देने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन की अगुवाई में बहु-एजेंसी ग्रुप बनाया है। पिछले तकरीबन तीन साल में भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशी बैंकों में अवैध तरीके से हजारों करोड़ रुपये रखे गए, जिन्हें कई बाधाओं के बावजूद टैक्स के घेरे में लाया गया है। टैक्स मामलों पर सूचनाएं साझा करने के लिए भारत का 148 देशों के साथ समझौता है। इसके अलावा, पारस्परिक कानूनी मदद के लिए भी 39 देशों के साथ भी समझौते हैं। इस तरह के समझौतों का नेटवर्क लगातार व्यापक और मजबूत किया जा रहा है।

बजट 2018 ने काला धन को पूरी तरह से खत्म करने के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। पारदर्शी व जवाबदेह कर प्रशासन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया गया है। पारदर्शी और निष्पक्ष सिस्टम तैयार करने के सिलसिले में सरकार की तरफ से की गई कोशिशों से विश्व बैंक की तरफ से जारी व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में अहम सुधार हुआ है।

फर्जी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई

गैर-निजी कानूनी इकाइयों खासतौर पर कंपनियों के दुरुपयोग की रोकथाम आयकर विभाग की प्रमुख चिंता रही है। पिछले कुछ समय में आसान कॉरपोरेट प्रक्रियाओं का गलत इस्तेमाल कर गोबरछत्ते की तरह शेल कंपनियों का उभार देखने को मिला है। सैकड़ों कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। आमतौर पर इन कंपनियों के पास कम पूंजी, एक या जीरो कर्मचारी और डायरेक्टर हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा, एक शख्स एक दर्जन से ज्यादा कंपनियों में डायरेक्टर है। पिछले कुछ सालों में इस तरह की फर्जी कंपनियों ने फर्जी बिल तैयार करने, बोगस शेयर पूंजी मुहैया कराने, फर्जी लोन का सिस्टम तैयार कर लिया है और किसी भी वित्तीय सौदे में फर्जीवाड़े के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी संख्या के कारण इन सभी फर्जी कंपनियों का पता लगाना बेहद मुश्किल है और इनके पता लगा लिए जाने पर भी मौजूदा साक्ष्य मानकों के तहत उनकी बेईमानी वाली और अवैध गतिविधियों को साबित करना बेहद मुश्किल काम रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने राजस्व सचिव और कॉरपोरेट मामलों के सचिव की संयुक्त अगुवाई में विशेष कार्यबल (एसटीएफ) का गठन किया है। इस विशेष कार्यबल का मकसद विभिन्न सरकारी एजेंसियों की मदद से ऐसी कंपनियों के खिलाफ अभियान की देखरेख करना है। कानून का पालन करने वाली अलग-अलग एजेंसियों द्वारा इन कंपनियों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है।

घरेलू और विदेशी कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए कई तरह के उपाय किए गए हैं। इनमें अन्य चीजों के अलावा काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्तियां) और कर अधिरोपण कानून, 2015 को लागू करना, बेनामी सौदे (प्रतिबंध) कानून, 1988, आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन और 'लाभदायक मालिकाना' की परिभाषा को शामिल करने के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन शामिल हैं।

इसके अलावा, नियामकीय निगरानी को बढ़ाने के लिए किसी कंपनी के शुरुआती ग्राहकों का ई-केवाईसी 'एसपीआईसीई' (सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉरपोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली) के जरिये देखा जाता है। एसपीआईसीई का इस्तेमाल कंपनियों को पैन नंबर आवंटित करने के लिए किया जाता है। कंपनियों के सभी डायरेक्टरों के लिए आधार का मामला जरूरी कर दिया गया है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने शेल कंपनियों के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ा है। 2017 में तकरीबन 2.24 लाख ऐसी कंपनियों को खत्म किया गया है। इसके अलावा, और 1.20 लाख कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। उनके बैंक खातों के संचालन और चल व अचल संपत्तियों के ट्रांसफर पर पाबंदी भी लगाई गई है। इस कार्रवाई से इन कंपनियों के बोर्ड में मौजूद तकरीबन 3.09 लाख डायरेक्टर प्रभावित हैं। जांच-पड़ताल से खुलासा हुआ है कि तकरीबन 3,000 लोग 20 से ज्यादा सभी कंपनियों में डायरेक्टर हैं, जो कानून के तहत तय सीमा से काफी ज्यादा है। जहां इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वहीं फर्जीवाड़ा आदि के दोषी पाए गए पेशेवरों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

कंपनियों के वित्तीय स्टेटमेंट की पड़ताल के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकार (एनएफआरए) बनाया जा रहा है। यह कंपनियों के लिए 'लेखा मानक' की सिफारिश करेगा और गड़बड़ी करने वाले प्रोफेशनल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। आंकड़ों को नियमित और स्वत:स्फूर्त तरीके से साझा करने के लिए सीबीडीटी और एमसीए के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इससे नियामकीय उद्देश्यों के लिए पैन-सीआईएन (कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर) और पैन-डीआईएन (डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर) लिंक बेहतर तरीके से सुनिश्चित हो सकेगा।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने शेल कंपनियों के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ा है। 2017 में तकरीबन 2.24 लाख ऐसी कंपनियों को खत्म किया गया है। इसके अलावा, और 1.20 लाख कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। उनके बैंक खातों के संचालन और चल व अचल संपत्तियों के ट्रांसफर पर पाबंदी भी लगाई गई है। इस कार्रवाई से इन कंपनियों के बोर्ड में मौजूद तकरीबन 3.09 लाख डायरेक्टर प्रभावित हैं।

इसके अलावा, सरकार ने वित्त अधिनियम, 2018 के जरिये पीएमएलए, 2002 में संशोधन के लिए बिल पेश किया है। इसका मकसद कॉरपोरेट फर्जीवाड़े को कंपनी अधिनियम की धारा 447 के तहत पीएमएलए के दायरे में आने वाले अपराधों को शामिल करना है, ताकि उपयुक्त मामलों में कंपनी रजिस्ट्रार प्रवर्तन निदेशालय के जरिये पीएमएलए के तहत कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दे पाएंगे।

'इनसाइट' परियोजना

सरकार ने राजस्व फर्जीवाड़ा रोकने और डेटा माइनिंग और बिजनेस एनालिटिक्स के जरिये राजस्व बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रौद्योगिकी को अपनाने का कार्यक्रम शुरू किया है। सीबीडीटी का प्रोजेक्ट 'इनसाइट' देश के सबसे बड़े डेटा माइनिंग और बिजनेस एनालिटिक्स प्रोजेक्ट में शामिल हैं और इसके 2018-19 में पूरी तरह से शुरू हो जाने की उम्मीद है। इस परियोजना का मकसद आयकर रिटर्न नहीं फाइल करने वालों की पहचान करना, रिफंड फर्जीवाड़े को रोकना, छूट के झूठे दावों के कारण होने वाले राजस्व नुकसान को रोकना और स्वेच्छा से कर देने की आदत को बढ़ावा देना है। 'इनसाइट' के जरिये पहले ही टैक्स रिर्टन नहीं दायर करने वाले 60 लाख लोगों की पहचान की जा चुकी है, जिससे कर के रूप में 26,425 करोड़ रुपये से भी ज्यादा इकट्टा हुए हैं।

आरेख 2: जीएसटी पंजीकरण में वृद्धि

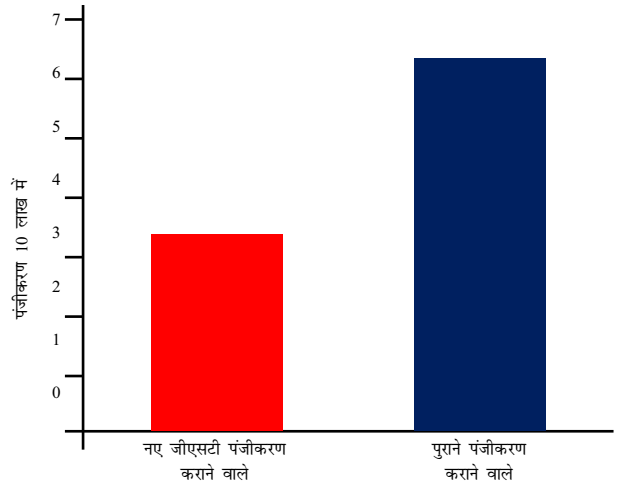

स्रोत: *आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18*

आरेख 3: कर भुगतान में वृद्धि

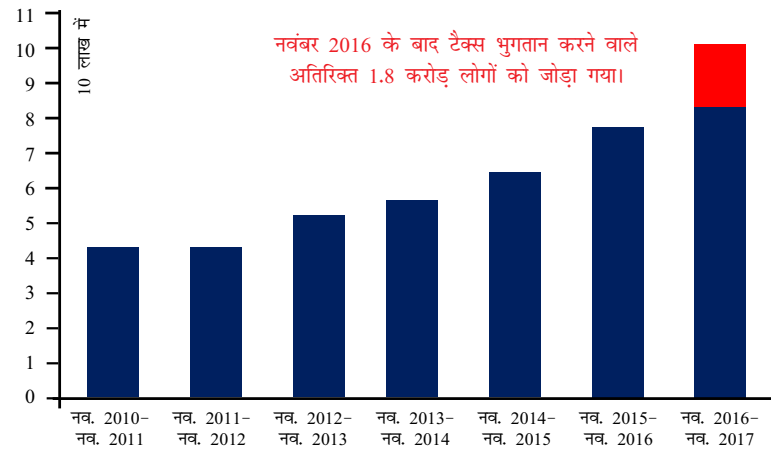

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18

बजट 2018-19

इस साल प्रत्यक्ष कर से जुड़े बजट प्रस्तावों का साफ-सुथरी अर्थव्यवस्था के सरकार के एजेंडे पर बदलावकारी असर होगा। बजट प्रस्तावों में अन्य चीजों के अलावा 'लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन' (एलटीसीजी) को तर्कसंगत बनाना, ट्रस्ट के ढांचे के गलत इस्तेमाल पर लगाम कसना और कंपनियों द्वारा आयकर रिटर्न फाइलिंग जरूरी की गई है।

टैक्स कंप्लायंस

बजट में टैक्स कंप्लायंस यानी टैक्स नियमों के ठीक-ठीक पालन पर खास जोर दिया गया है। वित्त विधेयक के तहत रिटर्न नहीं दाखिल करने पर कंपनी के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही से जुड़े प्रस्तावों में संशोधन किया गया है। मौजूदा प्रावधानों में इस तरह के अपराध पर कार्रवाई के लिए किसी शख्स पर कम से कम 3,000 रुपये का कर बकाया होना जरूरी है। अब कंपनी पर टैक्स देनदारी बनती है या नहीं, इस बात की परवाह किए बिना उसे रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा, नहीं तो कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस प्रावधान से कंपनियों द्वारा टैक्स नियमों के पालन को बढ़ावा मिलेगा। यह कुकुरमुत्ते की तरफ पैदा हो गए फर्जी कंपनियों के खिलाफ निरोधक का काम करेगा।

एलटीसीजी को तर्कसंगत बनाया जाना

आयकर विभाग के इतिहास में एलटीसीजी से टैक्स छूट सबसे दुरूपयोग वाले प्रावधानों में रहा है। काले धन पर आयकर से बचने के लिए बेहद छोटी कंपनियों के शेयरों में निवेश के जरिये फर्जी एलटीसीजी के तौर पर हजारों करोड़ रुपये क्लेम किए गए हैं। लोगों ने कुछ ऑपरेटर के साथ मिलकर फर्जी एलटीसीजी की आड़ में अपनी अवैध रकम को ठिकाने लगा दिया। ये ऑपरेटर इस तरह के शेयरों की खरीद और बिक्री के सौदों का प्रबंधन करते हैं।

इसके अलावा, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि एलटीसीजी पर टैक्स छूट ने ऐसी व्यवस्था तैयार की है, जो बुनियादी तौर पर विनिर्माण के खिलाफ भेदभावपूर्ण है और इससे निवेश को वित्तीय संपत्तियों की तरफ मोड़ने में प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2016-17 के लिए दायर रिर्टन के मुताबिक लिस्टेड शेयरों और इकाइयों की कैपिटल गेन्स के छूट के मद में रकम तकरीबन 3,67,000 करोड़ रुपये है। इस गेन का बड़ा हिस्सा कॉरपोरेट और एलएलपी के खाते में गया है। इससे टैक्स के दायरे में बड़ी कटौती हुई, नतीजतन राजस्व का नुकसान हुआ। इन छूटों के कारण टैक्स आर्बिट्राज के दुरूपयोग से समस्या और जटिल हो गई है।

सरकार ने वित्त अधिनियम, 2018 के जरिये पीएमएलए, 2002 में संशोधन के लिए बिल पेश किया है। इसका मकसद कॉरपोरेट फर्जीवाड़े को कंपनी अधिनियम की धारा 447 के तहत पीएमएलए के दायरे में आने वाले अपराधों को शामिल करना है, ताकि उपयुक्त मामलों में कंपनी रजिस्ट्रार प्रवर्तन निदेशालय के जरिये पीएमएलए के तहत कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दे पाएंगे।

पिछले कुछ साल के दौरान आयकर विभाग का वैसे लोगों से टकराव हुआ है, जिन्होंने इन फर्जी सौदों से फायदा लिया है। पूर्व वित्त राज्य मंत्री ने संसद में बताया कि आयकर विभाग ने 140 से ज्यादा अनोखे शेयरों को सेबी के हवाले किया है, जिन में साफ तौर पर 'गड़बड़ गतिविधियां 'पाई गईं। उनका यह भी कहना था कि आयकर विभाग से मिली जानकारी और उसके अपने निगरानी सिस्टम के आधार पर सेबी ने सेबी अधिनियम, 1992 के तहत धारा 11(बी) के तहत 13 ऐसी कंपनियों के खिलाफ आदेश जारी किए और 1,336 इकाइयों पर रोक लगा दी। इन शेयरों को आमतौर पर प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिये आवंटित किया गया था। फर्जी एलटीसीजी के मामले को रोकने के लिए 2017-18 के पूरे बजट में सरकार ने एलटीसीजी से छूट को सिर्फ वैसे मामलों तक सीमित कर दिया, जहां सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) का भुगतान अधिग्रहण के वक्त किया गया था। एलटीसीजी पर टैक्स सिस्टम को तर्कसंगत बनाने के मकसद से वित्त मंत्री ने इस साल के बजट में 1 लाख से ज्यादा के एलटीसीजी पर सूचीकरण के फायदे की इजाजत दिए बिना 10 फीसदी के टैक्स का प्रस्ताव किया है। हालांकि, 31 जनवरी 2018 तक ऐसी सभी गेन्स पर नया नियम लागू नहीं होगा।

'मानवरहित' ई-असेसमेंट

विवेकाधिकार के उचित नियमन के बिना शासन के ढांचे को पारदर्शी और जवाबदेही सिस्टम में टिकाऊ तौर पर बदलना मुमकिन नहीं है। ई-शासन का टूल असरदार और दक्ष होने के अलावा पारदर्शी

और जवाबदेह सिस्टम तैयार करने में काफी उपयोगी है। सेवाएं मुहैया कराने के लिए ई-शासन के टूल के तौर पर आईटीडी की अग्रणी भूमिका रही है। ई-टीडीएस, आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग, रिफंड बैंकर, टैक्स का ई-भुगतान, केंद्रीकृत प्रोसेसिंग सेंटर और ई-असेसमेंट ने न सिर्फ एसेसी (कर निर्धारिती) के लिए अनुपालन की लागत को कम किया है, बल्कि आयकर विभाग को एसेसी के लिए अनुकूल, पारदर्शी और निष्पक्ष टैक्स प्रशासन तैयार करने में मदद मिली है।

वित्त मंत्री ने वित्त मंत्रालय से जुड़ी सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि पिछले साल 97 फीसदी आयकर रिटर्न ऑनलाइन दायर किए गए। इनमें से 92 फीसदी रिटर्न 60 दिनों के भीतर प्रोसेस कर दिए गए और 90 फीसदी रिफंड भी 60 दिनों के भीतर जारी कर दिए गए। यह आयकर विभाग की तरफ से तैनात ई-टूल की सफलता को दिखाता है।

सरकार ने पायलट आधार पर 2016 में ई-एसेसमेंट की शुरुआत की थी और इसे 2017 में 102 शहरों तक बढ़ा दिया गया है। इसका एक प्रमुख मकसद आयकर विभाग और टैक्सधारकों के बीच की कड़ी को और सीधा और आसान बनाना था। वित्त मंत्री ने इस बजट में पूरे देश में ई-असेसमेंट का प्रस्ताव किया है। टैक्स भुगतान करने वालों और टैक्स प्रशासन के बीच संवाद को और आसान बनाने के एजेंडे के तहत वित्त मंत्री ने आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन कर एसेसमेंट की नई योजना की अधिसूचना का प्रस्ताव किया है। इसके तहत एसेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाएगा, जो इस प्रक्रिया में लोगों की भूमिका को तकरीबन खत्म कर देगा, लिहाजा दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी। इस प्रस्तावित 'मानवरहित' एसेसमेंट प्रक्रिया की मुख्य बातों को अब तक पेश नहीं किया गया है। हालांकि, वित्त विधेयक में इस अहम पहल की झलक दिखाई गई है। प्रौद्योगिकी इस परियोजनाओं को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाएगी, जिसका मकसद एसेसिंग अफसर और एसेसी के बीच माध्यमों और इकाइयों को खत्म व कम करना है। ब्रिटेन जैसे कई विदेशी मुल्कों का टैक्स प्रशासन बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी और 'मानवरहित' प्रणाली के जरिये चलता है। एसेसी से संवाद किए बिना दूर-दराज के ठिकानों पर अलग-अलग टीमों द्वारा स्क्रूटनी (जांच) की जाती है। 'मानवरहित' टैक्स भुगतान प्रणाली से न सिर्फ टैक्स प्रशासन में टैक्स भुगतान करने वालों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि यह स्क्रूटनी प्रक्रिया के खिलाफ उनकी शिकायतों को भी दूर करेगा।

कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (सीएजी), भारत सरकार ने जुलाई 2016 से नवंबर 2016 के दौरान 2012-13 से 2015-16 तक निजी स्वास्थ्य क्षेत्र के एसेसमेंट से जुड़े प्रदर्शन का ऑडिट किया। इसमें सीएजी ने ट्रस्टों द्वारा टैक्स छूट के कथित दुरूपयोग की बात कही। मौजूदा टैक्स व्यवस्था के तहत ट्रस्टों और चैरिटी वाली बाकी संस्थानों की आय को कर से छूट है, बशर्ते ये संस्थाएं अपनी आय को घोषित मकसद के लिए इस्तेमाल करें।

वित्त मंत्री ने वित्त मंत्रालय से जुड़ी सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि पिछले साल 97 फीसदी आयकर रिटर्न ऑनलाइन दायर किए गए। इनमें से 92 फीसदी रिटर्न 60 दिनों के भीतर प्रोसेस कर दिए गए और 90 फीसदी रिफंड भी 60 दिनों के भीतर जारी कर दिए गए। यह आयकर विभाग की तरफ से तैनात ई-टूल की सफलता को दिखाता है।

पिछले साल बजट में ट्रस्ट और परोपकारी संस्थानों द्वारा नकद में चंदा लेने की सीमा को 10,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये कर दिया गया। हालांकि, ट्रस्टों और ऐसे संस्थानों के नकदी खर्च को लेकर कोई सीमा नहीं है। इस प्रावधान का गलत इस्तेमाल ट्रस्टों से नकद खर्च के रूप में पैसे की हेराफेरी में किया जाता है। नकदी खर्च के ऑडिट का रास्ता मुश्किल होता है। नकदी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने और ट्रस्टों के गलत इस्तेमाल की जांच के लिए इस साल बजट में प्रस्ताव किया गया है कि 10,000 से ज्यादा के नकद भुगतान की इजाजत नहीं होगी और इस पर टैक्स भी लगेगा। इसके अलावा, इन इकाइयों द्वारा टीडीएस कंप्लायंस (अनुपालन) को सुधारने के लिए बजट में प्रस्ताव किया गया है कि टीडीएस नहीं कटने की स्थिति में 30 फीसदी राशि की इजाजत नहीं होगी और यह टैक्स के योग्य होगी।

कई गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के पास पैन नहीं है। इसके अलावा, उनसे जुड़े लोगों के पास भी पैन नहीं होता है। लिहाजा, उनकी आय और खर्च का ऑडिट आईटीडी के दायरे से बाहर रहता है। इन इकाइयों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए बजट में प्रस्ताव किया गया है कि हर इकाई (निजी व्यक्ति के तौर पर नहीं) जो एक वित्त वर्ष में कुल 2.50 लाख या इससे ज्यादा का वित्तीय लेन-देन करती है, उसके लिए पैन बनवाना जरूरी होगा। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि इस तरह की इकाइयों के बदले काम करने वाले डायरेक्टरों, पार्टनर, मुख्य अधिकारियों, कार्यालय से जुड़े या काम करने वाले अन्य शख्स को पैन के लिए आवेदन करना होगा।

मंजिल अभी दूर है

प्रधानमंत्री के आह्वान पर पिछले साल नवंबर में सीबीडीटी के एक सदस्य की अगुवाई में 6 सदस्यों का कार्य बल बनाया गया, जिसमें देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। इसका मकसद आयकर कानून 1961 की समीक्षा और देश की आर्थिक जरूरतों और विदेशी मुल्कों में मौजूद बेहतर टैक्स चलन को ध्यान में रखते हुए नया प्रत्यक्ष कर कानून तैयार करना है। विशेषज्ञों की इस कमेटी को 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। काले धन के खिलाफ अभियान को सरकार द्वारा युद्धस्तर पर कई साल तक चलाने की जरूरत है, ताकि 'स्वच्छ धन' के लिए सिस्टम तैयार हो सके और हम सभी को 'ईमानदारी का उत्सव' मनाने का मौका मिले। सूचना प्रौद्योगिकी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल और मानव संसाधन विकास पर मौजूदा वक्त के मुकाबले ज्यादा संसाधन का आवंटन काले धन के खिलाफ धर्मयुद्ध की टिकाऊ सफलता के लिए अहम हैं। ❑

Give the best
Take the best
निर्माण IAS
सफलता का पर्याय कमल देव (K.D.)
गुणवत्ता, विश्वसनीयता व सफलता हेतु प्रतिबद्ध
K. D. Sir
(Ist, IInd, IIIrd, IVth Paper)
इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व एथिक्स
Rameshwar Sir
IIIrd Paper
अर्थव्यवस्था
V.K. Tripathi Sir
IInd Paper
राजव्यवस्था
DR. KHURSHID ALAM
IVth Paper
नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरूचि
Dr. Adarsh Sir
IInd & IIIrd Paper
गवर्नेंस
आंतरिक सुरक्षा
Dr. Raheesh Singh Sir
IInd Paper
इतिहास, कला एवं संस्कृति व अंतर्राष्ट्रीय संबंध
AJIT SIR
Ist Paper
भूगोल
Amit Jain
IIIrd Paper
पर्यावरण व समसामयिकी
Gautam Anand
Ist & IInd Paper
भारतीय समाज व सामाजिक न्याय
एवं अन्य...
सा. अध्ययन
फाउण्डेशन बैच
साक्षात्कार कार्यक्रम
(INTERVIEW PROGRAMME)
वैकल्पिक विषय
♦ इतिहास
एवं
♦ भूगोल
प्रत्येक रविवार
समसामयिकी विश्लेषित कक्षाएं
The Hindu, Indian Express, PIB, BBC व अन्य महत्वपूर्ण स्रोत
समसामयिकी मासिक पत्रिका उपलब्ध
TEST SERIES
(प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा)
(विश्लेषण - विशेषज्ञों के द्वारा)
UPSC, UPPSC, MPPSC, RAS, BPSC... etc
पत्राचार अध्ययन सामग्री की सुविधा उपलब्ध (सम्पर्क सूत्र: 011-47058219)
Delhi (Head Office)
996, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar (Near Gandhi Vihar Bandh), Delhi - 110009
PH.: 011-47058219, 9911581653, 9717767797
ALLAHABAD
10/14, Elgin Road, Civil Line, Allahabad (U.P.):- 211001, Ph:- 09984474888
GWALIOR
2/3 Aziz Complex, New Khera Pati Colony Phool Bagh Gwalior (MP), Ph. : 09753002277
JAIPUR
M-85, JP Phatak Under Pass Jaipur Ph. : 7580856503
Website: www.nirmanias.com
E-mail: nirmanias07@gmail.com
nirman.ias
YH-791/2017

महिला स्वावलंबन की दिशा में मील का पत्थर

ऋतु सारस्वत

आर्थिक समीक्षा 2017-18 में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि फसल उत्पादन, पशुधन उत्पादन, फसल संबंधी प्रसंस्करण कार्य, कृषि, सामाजिक वानिकी, मत्स्यपालन आदि सहित कृषि विकास और संबद्ध क्षेत्रों में महिलाओं की निर्णायक भूमिका है और यह ऐसा तथ्य है जिसे लम्बे समय से उचित महत्त्व नहीं दिया गया है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सतत् विकास के लिए कृषि और खाद्य उत्पादन में महिलाओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। पुरुषों द्वारा ग्रामों से हटकर शहरों में प्रवसन बढ़ने के कारण खेतिहरों उद्यमियों और श्रमिकों के रूप में बहुविध भूमिकाओं में महिलाओं की बढ़ती संख्या से कृषि क्षेत्र का 'नारीकरण' हो गया है

''मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूं'' बी.आर. आम्बेडकर का यह वक्तव्य, देश के विकास का मापदण्ड होना चाहिए। देश के लोग राष्ट्र की संपदा के जरूरी घटक हैं और समावेशी तथा सतत् विकास के लिए सामाजिक अवसंरचना यथा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा, देश की केन्द्रीय योजना का आधार होनी चाहिए। इस तथ्य को स्वीकारते हुए बीते वर्षों में, सामाजिक अवसरंचना, केन्द्रीय बजट की एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वास्थ्य यों तो केन्द्र की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। परन्तु इन घटकों पर विचार करते हुए, महिलाओं के प्रति विशेष दृष्टि आवश्यक हो जाती है क्योंकि 'स्त्री' का विकास व्यक्तिशः नहीं होता, उसके विकास से परिवार और समाज का विकास प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। अतः हर क्षेत्र में स्त्रियों से जुड़े अनानुपातिक अंतरालों का पाटना अपरिहार्य हो जाता है।

लैंगिक संवेदी बजट की चर्चा अधूरी है, अगर उसे सिर्फ इस दृष्टि से विवेचित करने की चेष्टा की जाए कि प्रत्यक्षतः महिलाओं के हिस्से में कितनी राशि आवंटित हुई है। सामाजिक अवसंरचना के प्रत्येक घटक में आवंटित राशि, को महिलाओं के साथ जोड़ कर उसका विश्लेषण ही, महिलाओं के भविष्य में, सरकारी नीतियों की परिणति को विश्लेषित करने का कारगर माध्यम है। इसके साथ ही यह भी अपरिहार्य है कि हम बाल हितों को महिलाओं के हितों के साथ ही जोड़ कर देखें क्योंकि ये दोनों एक-दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित हैं।

बीते दशकों में महिला सशक्तीकरण, देश की केन्द्रीय नीतियों का आधार रहा है और इसी दृष्टिकोण से केन्द्रीय बजट 2018-19 का विश्लेषण किया जाना चाहिए। यों तो महिलाओं के बजट विश्लेषण की चर्चा होते ही समाजशास्त्रियों से लेकर अर्थशास्त्रियों द्वारा इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए कि महिलाओं के घरेलू बजट के लिए, क्या प्रावधान किए गए हैं, बजट को विश्लेषित किये जाने की चेष्टा की जाती है। परन्तु 2018-19 का केन्द्रीय बजट इस दृष्टि से विशेष है कि सरकार ने लड़कियों व महिलाओं को घरों तक सीमित रखने के वनिस्पत मानव संसाधन के रूप में पहचाना है। पिछले वित्त वर्ष में देश का लैंगिक बजट 1,13,311.32 करोड़ था जो इस वर्ष बढ़ाकर 1,21,961.32 करोड़ कर दिया गया है।

महिला सशक्तीकरण का केन्द्र बिन्दु आर्थिक आत्मनिर्भरता है क्योंकि स्वावलंबन आत्मविश्वास को जाग्रत करता है। भारत में आज भी, श्रम बल भागीदारी दर में लिंग अंतराल 50 प्रतिशतांक से अधिक है। आर्थिक कार्यकलापों में स्त्रियों की भागीदारी में कमी अर्थव्यवस्था की संभावित संवृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यही कारण है कि स्वरोजगार उद्यमों के सृजन के जरिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी दिशा में केन्द्रीय बजट में महिलाओं के *स्वयं सहायता समूहों* के ऋण को पिछले वर्ष के मुकाबले 37 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। 2016-17 में केन्द्र ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए 42,500 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। उल्लेखनीय है कि स्वयं सहायता समूह

लेखिका महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से संबद्ध महाविद्यालय में समाजशास्त्र की अध्यापिका हैं। विभिन्न पत्रिकाओं में लगभग 70 से अधिक आलेख प्रकाशित। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सरकार की 6 पुस्तकों की सहलेखिका। लोकसभा चैनल में विशेषज्ञ के तौर पर वार्ताओं में प्रतिभागिता। ईमेल : saraswatritu@yahoo.co.in

एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से महिलाओं ने अपनी नई पहचान बनाई है। विभिन्न शोध यह सिद्ध करते हैं कि स्वयं सहायता समूह बनने के बाद तथा इसकी सदस्य बनने के बाद महिलाओं की सामाजिक पूंजी (कल्चरल कैपिटल) में वृद्धि हुई है। 'मुद्रा योजना' अप्रैल 2015 में आरम्भ की गई जिसमें 10.38 करोड़ मुद्रा ऋणों से उधार के लिए 4.6 लाख करोड़ रु. स्वीकृत किए गए। ऋण के 76 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं। वर्तमान बजट में मुद्रा के अंतर्गत उधार देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव है। हाल ही में हुए दावोस सम्मेलन में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं को लेकर समावेशी नजरिया रखने की आवश्यकता है क्योंकि यह महिला सशक्तीकरण महिलाओं के लिए ही नहीं देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्ती भूमिका निभायेगा। भारत को अपनी आर्थिक नीति में इस बात को याद रखना होगा कि महिलाओं को अर्थव्यवस्था में जोड़ने से 27 प्रतिशत तक की वृद्धि की संभावना होती है। स्व-सहायता समूह, मुद्रा योजना के अलावा, मनरेगा के लिए केन्द्रीय बजट ने 55 करोड़ रुपये का उच्चतम आवंटन किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जो महिलाओं की न्यूनतम 33 प्रतिशत भागीदारी निर्धारित करके आर्थिक कार्यकलाप में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करती है। वर्ष 2013-14 से 2017-18 की प्रवृत्तियां यह दर्शाती हैं कि कुल सृजित कार्य दिवस में महिलाओं की भागीदारी 50 से अधिक रही है।

2018-19 का केंद्रीय बजट इस दृष्टि से भी अभूतपूर्व है कि इसमें कृषकों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए अनेकानेक प्रावधान किए गए हैं। सामान्यत: कृषि के लिए आवंटित बजट का विश्लेषण महिला हितकारी पृष्ठभूमि में चर्चा योग्य नहीं माना जाता परंतु यह एक भूल है। आर्थिक समीक्षा 2017-18 में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि फसल उत्पादन, पशुधन उत्पादन, फसल-पश्च कार्य कृषि, सामाजिक वानिकी, मत्स्यपालन आदि सहित कृषि विकास और संबद्ध क्षेत्रों में महिलाओं की निर्णायक भूमिका है और यह ऐसा तथ्य है जिसे लम्बे समय से उचित महत्त्व नहीं दिया गया है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सतत् विकास के लिए कृषि और खाद्य उत्पादन में महिलाओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। पुरुषों द्वारा ग्रामों से हटकर शहरी प्रवसन बढ़ने के कारण खेतिहारों उद्यमियों और श्रमिकों के रूप में बहुविध भूमिकाओं में महिलाओं की बढ़ती संख्या से कृषि क्षेत्र का 'नारीकरण' हो गया है। वित्तमंत्री ने 2000 करोड़ की लागत से कृषि बाजार बनाने की बात कही है साथ ही मछली पालन और पशुपालन के लिए 10 हजार करोड़ के 2 फंड बनाने की घोषणा की है। ये दोनों ही प्रावधान महिला हितैषी हैं। कृषि क्षेत्र में महिलाओं को मुख्यधारा में लाये जाने हेतु, सरकार ने सभी चालू योजनाओं/कार्यक्रमों तथा विकास कार्यकलापों में महिला लाभार्थियों हेतु बजट आवंटन का कम से कम 30 प्रतिशत अलग से रखने का प्रावधान किया है एवं कृषि में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस घोषित किया है। महिलाओं के आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में, केन्द्रीय बजट में, महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहन करने तथा उन्हें अपेक्षाकृत अधिक वेतन प्राप्त करने के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत भविष्य निधि में महिला कर्मचारियों के अंशदान को प्रथम तीन वर्षों के लिए विद्यमान 12 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत से अब मालिक के अंशदान में किसी परिवर्तन के बिना 8 प्रतिशत करने के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में संशोधन करने की घोषणा की गई। लैंगिक समता के आंतरिक मूल्यों पर संदेह नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं कि यदि महिलाएं और अधिक व्यक्तिगत क्षमता प्राप्त कर सकें, और सामाजिक हैसियत प्राप्त कर सकें तथा श्रम बल में बराबर की भागीदार बन सकें तो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है।

हाल ही में हुए दावोस सम्मेलन में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं को लेकर समावेशी नजरिया रखने की आवश्यकता है क्योंकि यह महिला सशक्तीकरण महिलाओं के लिए ही नहीं देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

केन्द्रीय बजट में वित्तमंत्री ने कहा, 'आयुष्मान भारत के तहत, महिलाओं के लिए रोजगार के लाखों अवसर सृजित होंगे।' गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की नींव के रूप में स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों की परिकल्पना की गई है। ये 1.5 लाख केन्द्र, स्वास्थ्य देख-रेख प्रणाली को लोगों के घरों के पास लाएंगे तथा असंचारी रोगों और मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य देख-रेख उपलब्ध कराएंगे। वित्त मंत्री ने उल्लेखित किया कि आयुष्मान भारत की यह पहल 2022 तक एक नए भारत का निर्माण करेगी और इनसे सवंर्धित उत्पादकता और कल्याण में वृद्धि होगी और इनमें मजदूरी की हानि और दरिद्रता से बचा जा सकेगा जिससे प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

महिला एवं बाल विकास हेतु, आवंटित राशि में बढ़ोत्तरी की गई है। राष्ट्रीय पोषाहार योजना में जहां 2017-18 में, 1,500 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे, वहीं वर्तमान बजट में यह राशि दोगुनी कर दी गई है। कुपोषण अभी भी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण जोखिम संबंधी कारक (14.6 प्रतिशत) बना हुआ है जिसके परिणामस्वरूप देश में बीमारी का बोझ बढ़ता है। *राष्ट्रीय पोषाहार योजना*, बाल सरंक्षण योजना, जिसमें पूर्व में 648 करोड़ रु. आवंटित हुए थे। अब वर्तमान बजट में, बढ़ाकर जिसे 725 करोड़ रुपये किया गया है, *प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना* जैसी अन्य सरकारी नीतियों को अमल में लाकर नवजात बच्चों से संबंधित बीमारियों और पोषकतत्त्वों की कमी एवं अतिसार, निचला श्वस्न संक्रमण तथा अन्य सामान्य बीमारियों जो बाल एवं मातृ-कुपोषण को प्रदर्शित करती है, पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया है।

पिछले वित्त वर्ष में (2017-18) में अनेक मौजूदा कार्यक्रमों और योजनाओं का विस्तार किया गया और अनेक नए कार्यक्रम आरंभ किए गए ताकि देश में महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास को संपोषित

किया जा सके। एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना का लक्ष्य 6 वर्ष तक की आयु के शिशुओं का समग्र विकास करना और गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान करवाने वाली माताओं की पोषण विषयक जरूरतें पूरी करना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 2400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह कार्यक्रम प्रत्येक गर्भवती महिला एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को मजदूरी के नुकसान के लिए उन्हें क्षतिपूर्ति करने के लिए 6,000 रुपये प्रदान करता है।

हाल ही में एक छत के नीचे *एकीकृत बाल विकास सेवा योजना* के तहत मंत्रालय की शिशु केंद्रित चार योजनाएं जैसे (क) आंगनबाड़ी सेवा (ख) किशोरी कन्या योजना (ग) शिशु रक्षण सेवा और (घ) राष्ट्रीय शिशु सदन योजना के औचित्य-स्थापन, पुनर्निर्माण एवं सातत्य का अनुमोदन सरकार द्वारा किया गया है। *स्वच्छ भारत अभियान* से संगति बनाते हुए, पुनर्सृजित आंगनबाड़ी सेवा योजना के तहत प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर शौचालय एवं स्वास्थ्यप्रद पेयजल सुविधा की उपलब्धता पर विशेष ओर दिया गया है। *स्वच्छ भारत अभियान* का *स्वस्थ भारत* से सीधा संबध है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान *स्वच्छ भारत मिशन* के बारे में कहा कि, 'इस मिशन के तहत सरकार अब तक 6 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण करा चुकी है। इन शौचालयों का सकारात्मक प्रभाव नारी गरिमा, बेटियों की शिक्षा और पूरे परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा पर स्पष्ट रूप से पड़ रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में हमारा लगभग दो करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य है।'

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा आयोजित आधारभूत सर्वेक्षण के अनुसार अक्टूबर 2014 में ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या 55 करोड़ थी। वर्ष 2014 से पहले देखी गई प्रवृत्ति की तुलना में काफी तेज गति से घटकर जनवरी 2018 में 25 करोड़ रह गई। यूनिसेफ के अनुसार, स्वच्छता की कमी भारत में वार्षिक रूप से 100,000 से अधिक बच्चों की मृत्यु और 48 प्रतिशत बच्चों के विकास में रुकावट के लिए उत्तरदायी है। *स्वच्छ भारत अभियान*, सिर्फ स्वस्थ देश के स्वप्न को साकार नहीं कर रहा अपितु यह महिलाओं की सुरक्षा में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्वच्छता अभियान के महिला एवं बाल स्वास्थ्य पर जो दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे वह अभी 'बजट विश्लेषण' करते समय महिला आधारित प्रत्यक्ष प्रभावित नहीं हैं, परंतु स्वच्छता अभियान को महिला हितैषी न मानना 'अज्ञानता' ही है।

महिला सशक्तीकरण 'शिक्षा' के साथ भी अपरिहार्य रूप से जुड़ा हुआ है। विकास अध्ययन के लिए ब्रिटेन स्थित संस्थान आई. डी.एस. द्वारा प्रकाशित अध्ययन के अनुसार माताओं की शिक्षा और निर्णय लेने की उनकी क्षमता, शिशु बाल मृत्यु दर को प्रभावित करती है। यह तथ्य पश्चिम बंगाल के संबंध से स्पष्ट है जहां महिला साक्षरता दर 50.8 प्रतिशत से बढ़कर 71 प्रतिशत हुई एवं शिशु मृत्यु दर एवं 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर में गिरावट हुई है। *बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ* के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए 280 रुपये करोड़ की राशि आवंटित की गई है। साथ ही वित्त मंत्री ने जनवरी 2015 में शुरू की गई *सुकन्या समृद्धि खाता योजना* का भी उल्लेख किया। यह योजना शुरू करने से लेकर नवंबर 2017 तक बालिका के नाम से देश भर में 1.26 करोड़ खाते खोले गए हैं जिनमें 19,183 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

महिला सशक्तीकरण का केन्द्र बिन्दु आर्थिक आत्मनिर्भरता है क्योंकि स्वावलंबन आत्मविश्वास को जाग्रत करता है। भारत में आज भी, श्रम बल भागीदारी दर में लिंग अंतराल 50 प्रतिशतांक से अधिक है। आर्थिक कार्यकलापों में स्त्रियों की भागीदारी में कमी अर्थव्यवस्था की संभावित संवृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यही कारण है कि स्वरोजगार उद्यमों के सृजन के जरिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं

लैंगिक समानता सूचकांक विद्यालयी शिक्षा में ऐसा उपयोगी सूचकांक हैं जो शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव को दर्शाता है। उच्च शिक्षा में, नामांकन में लैंगिक विषमताएं अभी भी बनी हुई है जिनके बारे में सरकार उच्च शिक्षा में महिलाओं की प्रवेश दर को सुधारने का निरंतर प्रयत्न कर रही है। *बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ* जैसे कार्यक्रमों के जरिए किये जाने वाले सरकार के निरंतर प्रयत्नों के परिणामस्वरूप प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों के नामांकन पर लैंगिक समानता सूचकांक (जी.पी.आई.) में सुधार आया है। *बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ* योजना का उद्देश्य बच्चियों के जीवन धारण, रक्षण और शिक्षण को बढ़ावा देना है। इसका मकसद मामले की गंभीरता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने और सामाजिक मानसिकता बदलने पर लक्षित व्यापक अभियान के जरिए घटते शिशु लिंग अनुपात के मामले का निराकरण करना है। *बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ* एक ऐसी योजना है, जिसके दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। विभिन्न शोध निरंतर इशारा कर रहे हैं कि शिक्षित महिला अपने स्वास्थ्य को लेकर जाग्रत रहती हैं। बालिका शिक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इस हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय साधन सह-मैरिट छात्रवृत्ति योजना संचालित है। सरकार की चिंता का विषय महिलाओं की सुरक्षा है।

राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार महिलाओं पर होने वाले अपराधों के आंकड़ों में निरंतर वृद्धि हो रही है। महिला की सुरक्षा, समर्थ और जागरूकता वाले कार्यक्रमों की सहायता के लिए, स्थापित *निर्भया कोष* में 500 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए हैं। इसके बाद कोष में कुल राशि 3,500 करोड़ रुपये तक हो जायेगी।

पहले की ही तरह बेहद प्रभावशाली *प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना* हेतु इस वर्ष भी विस्तार की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने अपने बजट घोषणा पत्र में कहा ''गरीब महिलाओं को लकड़ी के धुएं से मुक्ति मिले, इसलिए हमने *प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना* शुरू की थी। शुरुआत में हमने 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन का लक्ष्य रखा था लेकिन इस योजना की गति देखकर और महिलाओं में इसकी लोकप्रियता देखकर हम इसका लक्ष्य बढ़ाने जा रहे हैं। अब सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देगी।'' आज भी देश के कई हिस्सों में

मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ियों को जलाकर खाना बनाया जाता है। लकड़ियों के जलने से एक तरफ वातावरण दूषित होता है, तो दूसरी तरफ चूल्हे से धुआं निकलने के कारण महिलाओं को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है।

उज्ज्वला योजना के अतिरिक्त 'प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना एवं अमृत कार्यक्रम, महिलाओं के सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। *प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना* की शुरुआत देश के 4 करोड़ गरीबों के घरों को बिना कोई शुल्क लिए बिजली कनेक्शन से जोड़े जाने के लिए हुई है। वहीं अमृत कार्यक्रम 500 शहरों के सभी परिवारों को जलापूर्ति की व्यवस्था पर केन्द्रित है। अमृत योजना के अन्तर्गत 500 शहरों के लिए 77,640 करोड़ रुपये की राज्य स्तरीय योजनाएं अनुमोदित की गई हैं। अमृत योजना, महिलाओं के श्रम हनन को रोकेगी क्योंकि घरेलू उपयोग के लिए पानी का प्रबंध, महिलाओं का ही दायित्व माना जाता है।

महिला एवं बच्चों के सभी आवश्यक आयामों को समायोजित करने की चेष्टा वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में परिलक्षित होती है। परन्तु महिला स्वावलंबन पर केंद्रित बजट में, जिस घोषणा का अभाव खला वह था महिलाओं के लिए, स्टार्टअप योजनाओं के नियमों में ढिलाई का। आर्थिक सहायता के संबंध में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की सकारात्मक सोच के बावजूद अनेक अड़चने हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के दिशानिर्देश में पापड़ बनाने और सिलाई केन्द्र जैसे छोटे कामों के लिए अधिक संसाधनों और अधिक जगह जैसी पात्रता की शर्तें हैं, जिन्हें पूरा कर पाना सहज नहीं कहा जा सकता। इसलिए आवश्यकता है व्यावहारिक कमियों को दूर करने की।

स्त्री स्वावलंबन की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होता 2018-19 का केन्द्रीय बजट तभी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पायेगा जब, घोषणाओं का क्रियान्वयन उससे संबंधित विभागों द्वारा, ईमानदारी से किया जायेगा। ❑

संदर्भ

- भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की वेबसाइट
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट
- विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट
- आर्थिक समीक्षा 2017-18
- www.mea.gov.inèspeeches-statements-h1.htm
- Indiabudget.nic.inèub2018-19bsèhbs.pdf
- Dollar, David and Roberta Gatti, Gender inequality, income and growth : are good times for women? Vol. 1, Washington, DC : Development Research Group, The World Bank, 1999
- Duflo, Esther, "Women empowerment and economic development", Journal of Econic Literature 50.4 (2012) : 1051-1079
- Lagarde C., "To Boost Growth : Employ More Women", IMF Blog. N.p., 2016. Web.
- Loko, Boileau, and Mame Astou Diouf. "Revisting the Determinants of Productivity Growth : What's New?" (2009)
- www.deepawali.co.in beti.bachao.beti.padhao.yojna.in
- संयुक्त राष्ट्र संघ की वेबसाइट
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट
- http://www.indiabudget.gov.inèhbspeecha.asp
- http://www.indiabudget.gov.inèub2018-19èbsèhbs.pdf
- Economic Survey 2018
- केन्द्रीय बजट, आर्थिक सर्वेक्षण
- http://mofapp.nic.in:8080èeconomicsurveyèpdfè167-185_Chapter_10_Economic_Survey_2017-18.pdf

SARVODAYA IAS

भारतीय अर्थव्यवस्था

by A.K.Arun

New Batch Pre - Cum Mains

12th March 3:30 PM

303, TOP FLOOR BHANDARI HOUSE , MUKHERJEE NAGAR, DELHI-09

9773-71-72-00, 8130-953-963

YH-743/2/2017

छोटी बचत योजनाओं के लिए बड़ी पहल

शिशिर सिन्हा

आम तौर पर छोटी बचत योजनाओं को लेकर यह आलोचना की जाती है कि यहां ब्याज दर काफी कम है। नतीजतन लोग इन योजनाओं के बजाए शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। ऐसे निवेशकों को लगता है कि वे रातोंरात काफी ज्यादा कमाई कर सकते हैं। लेकिन वे भूल जाते हैं कि शेयर बाजार में जोखिम बहुत ही ज्यादा है और फायदे का किसी तरह का पूर्वानुमान लगाना बेहद मुश्किल है। ज्यादातर लोग सुनी-सुनायी बातों पर भी निवेश करते हैं जिसमें हाथ जलने की खासी आशंका होती है। छोटी बचत योजनाओं में ऐसी कोई बात नहीं होती

छोटी बचत योजनाएं भले ही यहां बचत के साथ *छोटी* शब्द जुड़ा हो, लेकिन फायदे के मामले में ये योजनाएं काफी बड़ी होती हैं। एक ओर इनमें से कई जहां आयकर में राहत दिलाने में मदद करती हैं तो वहीं भविष्य की अनिश्चितताओं से निबटने का आधार भी तैयार करती है। अब इन योजनाओं के लिए आम बजट 2018-19 में बड़ा बदलाव करने प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए अधिसूचना जारी होने के बाद तमाम छोटी बचत योजनाएं एक कानून और एक नियम के दायरे में आ जाएंगी।

सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि ये छोटी बचत योजनाएं हैं क्या? ऐसी योजनाओं में खासा लोकप्रिय नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी पीपीएफ, डाकघरों की बचत योजनाएं, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना मुख्य रूप से शामिल हैं। डाकघर की बचत योजना और किसान विकास पत्र को छोड़कर बाकी विभिन्न योजनाओं का इस्तेमाल बचत के साथ टैक्स बचाने में होता है। इन योजनाओं को सबसे सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि मूल रकम और तय ब्याज की गारंटी सरकार देती है। ये योजनाएं मुख्य रूप से डाकघरों में उपलब्ध हैं, लेकिन कई बैंकों में आप पीपीएफ खाता भी खुलवा सकते हैं। छोटी बचत योजनाओं पर हर तीन महीने के लिए ब्याज दर तय किया जाता है और इसके लिए समान अवधि के सरकारी बांड पर ब्याज दर को आधार बनाया जाता है।

बदलाव की जरूरत क्यों

छोटी बचत योजनाओं के लिए तीन प्रमुख कानून हैं: गवर्नमेंट सेविंग्स बैंक एक्ट 1873, गवर्नमेंट सेविंग्स सर्टिफिकेट एक्ट 1959 और पब्लिक प्रॉविडेंट फंड एक्ट 1968. इन तीन कानूनों के कई प्रावधान एक समान नहीं है। इससे जमा हासिल करने वालों के लिए तो दिक्क्तें होती ही हैं, जमा करने वालों के बीच भारी भ्रम की स्थिति बनती है। इसी के मद्देनजर विधि आयोग ने 1998 में तीनों कानूनों को मिलाकर एक कानून बनाने का सुझाव दिया। इस मामले में वित्तीय सेवा विभाग और डाक विभाग से विचार-विमर्श करने के बाद एकीकृत कानून, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक एक्ट बनाने का प्रस्ताव तैयार हुआ। प्रस्तावित कानून सरकारी जमा प्रोत्साहन कानून के नाम से जाना जाएगा।

अब प्रस्तावित कानून के तहत कई शब्दों की परिभाषा में सुधार किया जा रहा है। मसलन, 'खाता', 'प्रशासक', 'बैंकिंग कंपनी', 'निर्वाहक', 'अभिभावक' की परिभाषा में कमियों को दूर किया गया है। यही नहीं कुछ परिभाषा जैसे 'सरकारी बचत खाता के सचिव' को खत्म किया गया है। कई पुराने और बेकार हो चुके प्रावधानों को हटा दिया गया है। ऐसे तमाम प्रयासों के जरिए वित्त मंत्रालय का मानना है कि अब सभी छोटी योजनाओं को नए कानून के दायरे में लाने के बाद तमाम विवादों का निबटारा संभव हो सकेगा। नयी व्यवस्था में दो सामान्य कानून और आठ तरह के नियमों के आधार पर एक सामान्य नियम होगा। इसके जरिए एक ही कानून के तहत

लेखक वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। अग्रणी प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समूहों के साथ काम कर चुके हैं। संप्रति एक राष्ट्रीय समाचार चैनल में आर्थिक मामलों के संपादक हैं। ईमेल: hblshishir@gmail.com

तालिका 1: छोटी बचत योजनाओं के तहत डाकघरों में जमा

(2016-17 करोड़ रुपये में)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कुल जमा	शुद्ध जमा
अंडमान-निकोबार द्वीप समूह	88.64	27.06
आंध्र प्रदेश	16,366.27	1,196.41
अरुणाचल प्रदेश	442.87	97.80
असम	7,723.36	1,507.01
बेस (आर्मी पोस्ट ऑफिस)	1,033.94	158.36
बिहार	20,565.69	2,890.64
चंडीगढ़	1,763.62	-989.90
छत्तीसगढ़	5,661.77	808.95
दमन-दीव	158.49	12.21
दिल्ली	16,843.03	2,027.67
गोवा	969.49	42.02
गुजरात	35,648.59	1,744.39
हरियाणा	12,081.11	1,778.41
हिमाचल प्रदेश	8,933.11	1,633.38
जम्मू-कश्मीर	4,147.19	663.23
झारखंड	8,776.30	1,042.43
कर्नाटक	18,518.00	2,739.11
केरल	11,968.50	1,717.41
लक्षद्वीप	2.98	0.57
मध्य प्रदेश	12,082.96	1,582.86
महाराष्ट्र	34,223.87	2,902.19
मणिपुर	180.43	37.06
मेघालय	549.85	65.86
मिजोरम	191.76	-5.50
नगालैंड	144.57	27.21
ओडिशा	11,971.17	2,300.49
पुड्डुचेरी	246.57	44.41
पंजाब	22,326.66	3,819.42
राजस्थान	16,383.17	2,281.01
सिक्किम	215.32	14.09
तमिलनाडु	20,737.34	3,510.01
तेलंगाना	12,533.36	630.89
त्रिपुरा	1,651.36	344.72
उत्तर प्रदेश	49,966.44	6,573.79
उत्तराखंड	9,406.16	1,410.92
पश्चिम बंगाल	62,419.20	5,644.04
कुल	**426,923.14**	**50,280.61**

स्रोत: *नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट*

उद्देश्यों के आधार पर योजना विशेष के लिए खासियतों को अधिसूचित करना संभव हो सकेगा। वित्त मंत्रालय मानता है कि इन सब छोटी बचत योजनाओं में पैसा लगाना ज्यादा सरल व सहज हो जाएगा।

कैसी कमियां होंगी दूर?

छोटी बचत योजनाओं में छोटों से और छोटों के लिए जमा करने को लेकर कई तरह की दिक्कतें हैं। इस बारे में स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि छोटी बचत योजनाओं में छोटे यानी अल्पव्यस्क पैसा जमा करा सकते हैं या नहीं। अब यहां दो बातें साफ की गयी हैं:

- बच्चों/अल्पवयस्कों की ओर से छोटी बचत योजनाओं में पैसा लगाने को लेकर प्रस्तावित कानून में स्पष्ट प्रावधान होगा। इससे बच्चों के बीच जमा की संस्कृति को विकसित करने में मदद मिलेगी।
- बच्चों की तरफ से अभिभावक पैसा जमा कर सकते हैं। प्रस्तावित कानून के तहत ऐसे अभिभावकों के अधिकार और जिम्मेदारियां स्पष्ट की जाएंगी।

मौजूदा कानून के तहत अल्पवयस्क के नाम खोले गए खातों में नामांकन को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। कानून में यह भी कहा गया है कि खाताधारक की अगर मृत्यु हो जाए और वहां नामांकन नहीं है, साथ ही रकम तय सीमा से ज्यादा है तो वह पैसा कानूनी उत्तराधिकारी को सौंपा जा सकता है। इसके लिए अभिभावक को उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र लेना होता है। अब ऐसे तमाम झंझटों को दूर करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। मसलन,

- अल्पवयस्कों के नाम खोले गए खातों में नामांकन का प्रावधान होगा
- यदि अल्पवयस्क की मृत्यु हो जाए और उसके नाम के खाते में नामांकन नहीं किया गया है तो वहां पर पूरी जमा रकम कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी।
- सबसे बड़ी बात यह है कि नामांकन अनिवार्य होगा, ताकि किसी भी तरह की आकस्मिक परिस्थिति से निबटा जा सके।

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड के लिए बदलाव

पीपीएफ से जुड़े मौजूदा कानून के तहत खाता खोले जाने के पांच साल पूरे होने के पहले बंद कराने की अनुमति नहीं है, जबकि दूसरे कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई जमाकर्ता वित्तीय स्थिति या स्वास्थ्य कारणों से पांच साल के पहले खाता बंद कराना चाहे तो यह उसके लिए मुमकिन नहीं होता है। मौजूदा व्यवस्था के तहत 15 साल की मियाद वाले पीपीएफ में सातवें साल में पैसा निकालने की अनुमति मिलती है, लेकिन वह चौथे साल के अंत में जमा रकम के 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता है। दूसरी ओर पांच कारोबारी साल के बाद खाता बंद कराने की सूरत में दंड देना होता है। अब नयी व्यवस्था में ऐसी परेशानियां दूर हो सकेंगी। पीपीएफ व दूसरी तमाम छोटी बचत योजनाओं में खाता बंद करना ज्यादा आसान हो जाएगा। फिलहाल, नयी समय सीमा क्या होंगी और उसके लिए क्या शर्तें पूरी करनी होगी, इसके लिए सरकार अधिसूचना जारी करेगी जिसके बाद ही जमाकर्ताओं को नयी सुविधाओं का फायदा मिल सकेगा।

नामांकन से जुड़े अधिकार

मौजूदा कानूनों के प्रावधान के तहत यदि जमाकर्ता की मृत्यु हो जाए और वहां पर नामांकन किया गया है तो बकाया रकम नामित व्यक्ति को अदा कर दी जाती है। अब परेशानी यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के मुताबिक, नामित व्यक्ति को कानूनी उत्तारधिकारी के तरफ

से बकाया प्राप्त करने की महज अनुमति दी गयी है। मतलब कानून के प्रावधान और सर्वोच्च अदालत के बीच विवाद की स्थिति। अब प्रस्तावित कानून में नामांकन के जुड़े अधिकार को साफ कर दिया है जिससे आगे किसी भी तरह से विवाद की स्थिति नहीं बने।

विक्षिप्तों, दिव्यांगों के खाते

एक बड़ी परेशानी तब होती है जब खातेदार दिव्यांग हो या फिर मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाए। मौजूदा कानूनों के तहत ऐसे खातों के परिचालन को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अब प्रस्तावित कानून के जरिए इन खामियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि जब प्रस्तावित कानून के तहत नियम बनेंगे तो वहां पर इस बात की स्पष्ट व्याख्या होगी कि विक्षिप्त या दिव्यांगों के खातों का परिचालन कौन कर सकता है, उसके लिए जरूरी शर्त क्या होगी।

विविध प्रावधान

मौजूदा कानून के तहत शिकायतों के निबटारे के लिए स्पष्ट इंतजाम तो नहीं ही है, साथ ही योजनाओं के लिए तकनीक का इस्तेमाल और ब्याज दर तय करने के आधार को लेकर साफ-साफ कुछ नहीं कहा गया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि प्रस्तावित कानून के तहत इन कमियों को दूर किया जाएगा और नियमों में स्पष्ट व्याख्या की जाएगी। यही नहीं शिकायतों के निबटारे के लिए लोकपाल की नियुक्ति करने का भी प्रावधान होगा। इससे छोटी बचत योजनाओं से जुड़े विवादों का समुचित और तेजी से निबटारा संभव हो सकेगा।

मौजूदा और नए जमाकर्ताओं/निवेशकों पर असर

कायदे-कानून में बदलाव की बात सामने आने के बाद किसी भी जमाकर्ता के मन में सबसे पहले यह सवाल आना स्वाभाविक है कि उनके हितों पर क्या असर पड़ेगा? क्या आयकर में मिलने वाली छूट खत्म हो जाएगी? अभी हर तीन महीने पर समान मियाद वाले सरकारी बांड के ब्याज में बदलाव के आधार पर छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में बदलाव किया जाता है, क्या यह व्यवस्था बदलेगी? वित्त मंत्रालय के मुताबिक इन सब में कोई बदलाव नहीं होने वाला। आयकर में राहत और ब्याज दर तय करने की मौजूदा व्यवस्था पहले की तरह कायम रहेगी और जमाकर्ताओं को जो भरोसा दिलाया गया है, वह बरकरार रहेगा।

यहां एक मुद्दा यह भी उठाया गया है कि पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी पीपीएफ की अब क्या कुर्की की जा सकेगी? दरअसल, इस आशंका के पीछे वजह पीपीएफ कानून का खत्म होना है। यह कहा जाने लगा कि जब कानून ही नहीं रहेगा तो उसके प्रावधानों के तहत मिलने वाली सुरक्षा भी नहीं रहेगी। इस समय अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर चल-अचल संपत्ति जब्त की जाती है तो उसमें पीपीएफ में जमा रकम को शामिल नहीं किया जाता। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने ट्वीट कर साफ किया कि नई या पुरानी पीपीएफ डिपॉजिट को जब्त किए जाने से सुरक्षा मिलती रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि पीपीएफ जमा को कुर्क नहीं किया जा सकता।

आम तौर पर छोटी बचत योजनाओं को लेकर यह आलोचना की जाती है कि यहां ब्याज दर काफी कम है। नतीजतन लोग इन योजनाओं के बजाए शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। ऐसे निवेशकों को लगता है कि वे रातोंरात काफी ज्यादा कमाई कर सकते हैं। लेकिन वे भूल जाते हैं कि शेयर बाजार में जोखिम बहुत ही ज्यादा है और फायदे का किसी तरह का पूर्वानुमान लगाना बेहद मुश्किल है। ज्यादातर लोग सुनी-सुनायी बातों पर भी निवेश करते हैं जिसमें हाथ जलने की खासी आशंका होती है। छोटी बचत योजनाओं में ऐसी कोई बात नहीं होती। यहां सब कुछ तय है, मूलधन की वापसी, तीन-तीन महीने पर ब्याज दर में होने वाले बदलाव और कुछ योजनाओं पर आयकर में राहत। वित्त मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि कानून में भले ही बदलाव हो जाए, पुराने कानून भले ही खत्म हो जाए, लेकिन जमाकर्ताओं के साथ ब्याज और आयकर में रियायत को लेकर किए गए वायदे में कोई बदलाव नहीं होगा। यहां यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि छोटी बचत योजनाओं पर बैंकों की बचत योजनाओं और मियादी जमा से कहीं ज्यादा ब्याज मिलता है।

अंत में यह याद रखना जरूरी है कि सरकार का मूल मंत्र है, 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस।' दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार नहीं, शासन ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी कोशिश में सरकार का जोर कानून के जाल को खत्म करने और नियमों को सरल व सहज बनाने पर है। छोटी बचत योजनाओं को लेकर ताजा पहल इसी प्रयास का हिस्सा है। इस प्रयास से बचत को बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही बेहद आसानी से जमा करने की भी सुविधा मिलेगी। सरकार का कहना है कि वह छोटे बचतकर्ताओं और खास तौर पर बालिकाओं के लिए की जाने वाली बचत और बुजुर्गों की ओर से की जाने वाली बचत से जुड़े हितों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देती है। उम्मीद है कि कानून में फेरबदल के बाद इस प्राथमिकता में भी कोई बदलाव नहीं होगा। ❑

तालिका 1: विभिन्न छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें

योजना	ब्याज दर (1 अक्टूबर-31 दिसंबर, 2017) (फीसदी में)	ब्याज दर (1 जनवरी-31 मार्च, 2018) (फीसदी में)
सेविंग्स डिपॉजिट	4	4
1 साल का टाइम डिपॉजिट	6.8	6.6
2 साल का टाइम डिपॉजिट	6.9	6.7
3 साल का टाइम डिपॉजिट	7.1	6.9
5 साल का टाइम डिपॉजिट	7.6	7.4
5 साल का रेकरिंग डिपॉजिट	7.1	6.9
5 साल का सीनियर सिटिसंस सेविंग्स योजना	8.3	8.3
5 साल का एनएससी	7.8	7.6
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड	7.8	7.6
किसान विकास पत्र	7.5	
(115 महीने में परिपक्व)	7.3	
(118 महीने में परिपक्व)		
सुकन्या समृद्धि योजना	8.3	8.1

MIT-SOG MIT School of Government
Kindling the flame of Democratic Leadership...

MAEER's
MIT SCHOOL OF GOVERNMENT | Estd.: Sept. 2005 | PUNE | INDIA

MIT-WPU

India's 1st ever LEADERSHIP PROGRAM for a CAREER in POLITICS

Founder & Initiator: Rahul V. Karad

One-year full time residential
Master's Program In Government
MPG- 14, 2018-2019

ADMISSIONS OPEN : BATCH -14 COMMENCES August 1, 2018

COURSE SYLLABUS:

- Political Marketing and Branding
- Political Economy
- Public Policy
- Global Politics
- Law, Public Administration & Governance
- Research Methods for Contemporary Political Issues
- Social Media handling

CAREER PROSPECTS

Along with Contesting Elections other Career Prospects are -

- Research / Policy Associate
- Political Analyst
- Political Strategist
- Political Consultant
- Election Managers
- Campaign Managers
- Social Media Managers
- Constituency Managers

ELIGIBILITY:
Graduate from any faculty is eligible to apply for the selection process of MPG-14.

Contact: 9850897039 / 91460 38942
admissions@mitsog.org
Apply online at www.mitsog.org
MIT Campus, Paud Road, Kothrud, Pune - 411 038

Supported by UNESCO Chair for Human Rights, Democracy, Peace & Tolerance, World Peace Centre (Alandi) Pune, India
In Academic Alliance with TISS Tata Institute of Social Sciences

MIT-CST
KINDLING THE FLAME OF ETHICAL ADMINISTRATION

MIT - CIVIL SERVICES TRAINING INSTITUTE | PUNE
Sr. No. 124, Paud Road, Kothrud, Pune 411 038

MIT CST is the best training institute for the aspirants appearing for the examinations of UPSC

Opportunity of compressive coaching to induct into Civil services for the post like District Magistrate (IAS), Police Superintendent (IPS), and Others

UPSC Batches starts from 15th July 2018

UPSC 1 Year Batch | **Prepare UPSC during graduation itself –UPSC Two Year Special Batch**

- Experienced Teaching faculty
- Conducive Study Environment and Infrastructure
- Free Guest Lecture of Bureaucrats
- Seminars & Mock Interview
- Mentoring by IAS Rank Holders
- Regular Test series
- Separate Batches for Optional Subjects
- 24 X 7 Reading Room
- Excellent infrastructure
- Comprehensive Library

Address:
MIT-CST
Sr. No. 124 ,Paud Road,
Kothrud Pune 411038
www.mitcst.com

Contact : 7774023698 / 7774023699

YH-778/2017

स्वर्ण मौद्रीकरण योजना

वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2018-19 के भाषण में कहा कि सरकार कीमती धातु को एक परिसंपत्ति श्रेणी के रूप में विकसित करने के लिए समावेशी स्वर्ण नीति बनाएगी। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना को भी नया रूप दिया जाएगा जिससे लोग बाधामुक्त तरीके से गोल्ड डिपाजिट अकाउंट खोल सके। सरकार देश में विनियमित गोल्ड एक्सचेंज की *उपभोक्ता अनुकूल और व्यापार कुशल प्रणाली* की स्थापना भी करेगी। गोल्ड एक्सचेंज सोने को अधिक पेशेवर और पारदर्शी रूप से प्रबंधित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण है। इससे स्वर्ण व्यापार में बिचौलियों की समाप्ति के अलावा इस उद्योग को अधिक परिपक्व और डिजिटल रूप से उन्नत बनाने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। इससे ग्रामीण भारत में किसी व्यापारी द्वारा सोना खरीदना आसान एवं व्यावहारिक बन जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र भारतीय स्वर्ण उपभोग का 65 प्रतिशत से भी अधिक कवर करता है। बिचौलियों ने बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकद लेनदेन को प्रोत्साहित किया जो अब इतिहास की बात बन गई है।

स्वर्ण मौद्रीकरण योजना केंद्रीय सरकार ने बजट 2015-16 में प्रस्तुत की थी। इस योजना का उद्देश्य भारतीय लोगों के घरों में रखे गए स्वर्ण भंडार को सुरक्षित करने के साथ-साथ उसे उपयोग में लाना था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य घरेलू मांग को कम करके देश के सोने के आयात को कम करना था। संयोग से भारत, चीन के बाद सोने का दूसरा बड़ा उपभोक्ता है।

स्वर्ण मौद्रीकरण योजना स्वर्ण जमाकर्ताओं को उनके धातु खातों में स्वर्ण जमा कर के ब्याज कमाने की सुविधा प्रदान करता है। जैसे ही धातु खाते में स्वर्ण जमा कराया जाता है वैसे ही उस पर ब्याज अर्जित होना शुरू हो जाता है।

स्वर्ण मौद्रीकरण योजना की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

सोने का आसान भंडारण

यह योजना सोने का भंडारण करने में न सिर्फ उसकी सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि योजना परिपक्व होने पर धारक को धन या भौतिक स्वर्ण के रूप में वापस देने की सुविधा देती है। परंपरागत रूप से, भारतीय लोग अपनी कीमती धातुओं को बैंकों के लॉकरों में रखते हैं और वे बैंकों को उनकी लॉकर सुविधाओं के लिए वार्षिक शुल्क का भुगतान करते हैं। इस स्वर्ण को शादी या परिवार के कार्यक्रमों में पहनने के लिए या उसे बेचने के लिए ही निकाला जाता है।

निष्क्रिय स्वर्ण का उपयोग

पुराने या बिना उपयोग वाले स्वर्ण को घर या बैंक लॉकर में बेकार रखा जाता है। इस प्रकार सोना बेकार पड़ा रहता है और इसका लाभकारी उपयोग नहीं हो पाता है। यहां तक कि इसको बेचने के बाद यह तत्काल धन प्रदान करता है। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना न सिर्फ ब्याज का धन अर्जित करेगी बल्कि परिपक्वता पर सोने को नकद में बदलने का भी विकल्प प्रदान करती है जो सोने की कीमत में बढ़ोतरी का लाभ प्रदान करती है।

जमा करने में लचीलापन

स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के अंतर्गत आभूषण, जवाहरात, सिक्कों या सोने की ईंट जैसे किसी भी रूप में सोने को जमा कराया जा सकता है। इस योजना में रत्नजड़ित सोने का जमा कराने की अनुमति नहीं है।

मात्रा में लचीलापन

स्वर्ण मौद्रीकरण योजना में किसी भी शुद्धता के न्यूनतम 30 ग्राम सोने को जमा कराया जा सकता है। इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

सुविधाजनक अवधियां

स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के अंतर्गत जमा अवधि की योजनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें 1 से 3 वर्ष की अल्पावधि भी शामिल है। समयावधि समाप्त होने से पहले निकासी करने पर केवल नाममात्र का शुल्क जुर्माने के रूप में लगाया जाता है।

आकर्षक ब्याज दर

अक्सर घरों और लॉकरों में अनुपयोगी पड़ी रहने वाली वस्तु जमा की अवधि के अनुसार 0.5 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत ब्याज अर्जित कर सकती है। अल्पावधि के लिए जमा की दरों को संबंधित बैंकों द्वारा तय किया जाता है जबकि मध्यम और दीर्घावधि जमा की ब्याज दरें केन्द्र सरकार द्वारा तय की जाती है। ❑

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

LIVE / ONLINE Classes also available

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन कोर्स 2019

- प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए

DELHI: 17 April | JAIPUR: 15 May

- प्रारंभिक परीक्षा के लिए
- मुख्य परीक्षा के लिए

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम के घटक

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- निबंध लेखन शैली की कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

PT 365 One Year Current Affairs for Prelims

English Medium | 22 Mar | हिन्दी माध्यम | 5 April

MAINS 365 English Medium | हिन्दी माध्यम

- One Year Current Affairs for Mains

ALL INDIA TEST SERIES

Get the Benefit of Innovative Assessment System from the leader in the Test Series Program

PRELIMS
- ✓ General Studies (हिन्दी माध्यम में भी)
- ✓ CSAT (हिन्दी माध्यम में भी)

MAINS
- ✓ General Studies (हिन्दी माध्यम में भी)
- ✓ Essay (हिन्दी माध्यम में भी)
- ✓ Philosophy ✓ Sociology
- ✓ Geography

PHILOSOPHY

हिन्दी माध्यम में भी उपलब्ध

by Anoop Kumar Singh

@ JAIPUR | PUNE

- Includes comprehensive and updated study material
- Answer Writing Program for Philosophy (QIP)

500+ Selections in CSE 2015

15 in top 20
70+ Selections in Top 100 in CSE 2016

TINA DABI
AIR-1

ANMOL SHER SINGH BEDI
AIR-2

SAUMYA PANDEY
AIR-4

ABHILASH MISHRA
AIR-5

/visionias.upsc /Vision_IAS /c/VisionIASdelhi
www.visionias.in

DELHI	JAIPUR	PUNE	HYDERABAD
8468022022	9001949244	8007500096	9000104133
9650617807	9799974032	020-40040015	9494374078

DELHI: 2nd Floor, Apsara Arcade, Near Metro Gate 6, 1/8 B, Pusa Road, Karol Bagh
635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar

YH-737/12/2017

बेहतरी का पर्याय बनेगी राष्ट्रीय स्वर्ण नीति

सतीश सिंह

स्वर्ण पर चर्चा राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसके योगदान को समझे बिना अधूरी है। आज स्वर्ण भुगतान संतुलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुल आयात में स्वर्ण आयात का हिस्सा 8.7 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2013 के दौरान राष्ट्रीय आय के लेखा-जोखा के दौरान कीमती वस्तुओं के वर्ग में, जिसमें स्वर्ण और दूसरी कीमती धातुयें शामिल थीं का जीडीपी में महज 2.5 प्रतिशत का योगदान था, जो देश में स्वर्ण की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के मुक़ाबले बहुत ही कम है। जीडीपी में इसके योगदान को बढ़ाने के लिये आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने की जरूरत है

वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने *राष्ट्रीय स्वर्ण नीति* बनाने की घोषणा की, जिसके तहत स्वर्ण को परिसंपत्ति का दर्जा दिया दिया जायेगा। वैसे, बजट में घोषित *राष्ट्रीय स्वर्ण नीति* नई संकल्पना नहीं है। स्वर्ण के लेन-देन को नियमित करने की प्रक्रिया एक लंबे समय से चल रही है। वर्ष 1992 में शुरू किये गये उदारीकरण की प्रक्रिया के तहत स्वर्ण पर एक व्यापक नीति बनाने के बारे में विचार किया गया था। उसके बाद वर्ष 2013 में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) द्वारा स्वर्ण आयात करने और स्वर्ण ऋण देने से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए रिजर्व बैंक ने एक समूह का गठन किया था।

वर्ष 2015 में शुरू किये गये *स्वर्ण मौद्रीकरण योजना* के ज्यादा लोकप्रिय नहीं होने के कारण इस बार के बजट में इसमें बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। योजना के आगाज के समय इसका मकसद था परिवारों और संस्थानों में बिना उपयोग के पड़े स्वर्ण को मुख्यधारा में लाना, ताकि स्वर्ण आयात, काले धन एवं तस्करी में कमी आये। इस योजना के माध्यम से सरकार स्वर्ण उपभोक्ताओं की आय भी बढ़ाना चाहती थी। इस योजना के अंतर्गत लोग घर में बिना उपयोग के पड़े स्वर्ण को निश्चित अवधि के लिए बैंकों में जमा करा सकते थे, जिस पर उन्हें एक निश्चित दर से ब्याज देने का प्रस्ताव था। बहरहाल, इस योजना के अपेक्षित परिणाम नहीं निकल सके। वित्त मंत्री इस योजना को नये कलेवर में फिर से लेकर आना चाहते हैं, जिसमें पुरानी खामियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। वित्त मंत्री यह भी चाहते हैं कि देश के स्वर्ण एक्सचेंजों को नियमित किया जाये तथा उन्हें उपभोक्ताओं एवं कारोबारियों के अनुकूल बनाया जाये।

राष्ट्रीय स्वर्ण नीति के तहत वृहद स्तर पर काम करने एवं सुधार लाने का प्रस्ताव है, ताकि स्वर्ण आयात एवं निर्यात में संतुलन बनाया जा सके। स्वर्ण कारोबारी एक लंबे समय से स्वर्ण पर लगने वाले आयात शुल्क को कम करने की मांग रहे हैं। वहीं, रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जेजीईपीसी) स्वर्ण आभूषण निर्यात में बढ़ोतरी करने के लिये प्रयासरत है। ये दोनों चीजें मौजूदा विसंगतियों को दूर किये बिना संभव नहीं है। देश में स्वर्ण कारोबार को नियंत्रित करने के लिए एक नियामक की जरूरत है, ताकि इससे जुड़े गैर-कानूनी तत्वों एवं मौजूद कमियों को दूर किया जा सके।

स्वर्ण के मामले में प्राचीन काल से ही भारत बड़े आयातक देशों में से एक रहा है। भारत में स्वर्ण का उत्पादन नहीं होता है, फिर भी, देश में संचय के माध्यम से स्वर्ण इकठ्ठा किया जा रहा है। इसके संचय को लेकर भारतीयों की दीवानगी सदियों पुरानी है। मुख्य रूप से आयात के माध्यम से भारत में स्वर्ण एकत्र किये जा हैं।

आरंभ से स्वर्ण भारत की सभ्यता एवं संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है। इसे सामाजिक रीति-रिवाजों, परंपराओं, नकदी का विकल्प, संपार्श्विक, मुद्रास्फीति से बचाव आदि के संदर्भ में अपरिहार्य माना जाता है। स्वर्ण आभूषण *स्त्री धन* के रूप में महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सुरक्षित बनाता है। *स्त्री धन* उसे कहते हैं, जिसे

लेखक भारतीय स्टेट बैंक के कॉरपोरेट केंद्र, मुंबई के आर्थिक अनुसंधान विभाग में मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं और आर्थिक एवं बैंकिंग विषयों पर आधारित पत्रिका *आर्थिक दर्पण* के संपादक हैं। इनके आलेख मुख्य रूप से आर्थिक व बैंकिंग विषयों पर अनेकानेक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। ईमेल: satish5249@gmail.com, oa singhsatish@sbi.co.in

सच कहा जाये तो देश में एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की जरूरत है, जिसकी मदद से लोग घर पर बिना उपयोग के पड़े भौतिक स्वर्ण का समीचीन तरीके से उपयोग कर सकें। इस आलोक में वर्ष 2015 में शुरू की गई स्वर्ण मौद्रीकरण योजना को प्रभावशाली तरीके से अमलीजामा पहनाना लाभकारी हो सकता है।

विवाह के समय दुल्हन को उसके माता-पिता उपहार के रूप में देते हैं। इस पीले धातु की गतिशीलता अद्भुत है। भारत में इसे कालाधन, तस्करी एवं अन्य काले कारनामों के लिये मुफीद माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका प्रभाव सीधे तौर पर विनिमय दर प्रबंधन, राजकोषीय नीति और समग्र वित्तीय स्थिरता आदि पर पड़ता है।

आजादी के समय से ही स्वर्ण नीति के केंद्र में पांच तत्वों को रखा गया है। पहला, स्वर्ण को दूसरी परिसंपत्ति में बदलना, दूसरा, स्वर्ण की आपूर्ति का नियमन, तीसरा, स्वर्ण तस्करी पर लगाम लगाना, चौथा, घरेलू स्तर पर भौतिक स्वर्ण की मांग को कम करना और पांचवां, घरेलू बाजार में स्वर्ण की कीमत को निचले स्तर पर बनाये रखना आदि। कालांतर में रिजर्व बैंक के अध्ययनों के आधार पर इसमें विनिमय दर प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता को भी जोड़ा गया। माना जा रहा है कि *राष्ट्रीय स्वर्ण नीति* के तहत इन बिन्दुओं की अनदेखी नहीं की जायेगी।

स्वर्ण को विदेशी मुद्रा का विकल्प भी माना जाता है। इसे वस्तु एवं वित्तीय परिसंपत्ति का मिश्रण भी कहा जाता है। उदारीकरण के इस दौर में स्वर्ण नीति *पूंजीगत खाता परिवर्तनीयता* (सीएसी) से जुड़ी है। सीएसी एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था है, जो विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों में स्थानीय वित्तीय परिसंपत्तियों के आदान-प्रदान को स्वतंत्र रूप से या देश में विनिमय दर निर्धारित करने की क्षमता पर केंद्रित है। आम बोलचाल की भाषा में पूर्ण सीएसी स्थानीय मुद्रा को राशि पर बिना किसी प्रतिबंध के विदेशी मुद्रा के लिए आदान-प्रदान करने की अनुमति देती है। यह ज्यादातर विदेशी या घरेलू वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों में स्वामित्व के परिवर्तन के लिए एक दिशा-निर्देश है।

तारापोर समिति की रिपोर्ट में सीएसी के लिये समग्र स्वर्ण नीति को लागू करना जरूरी बताया गया है। लिहाजा, यह रिपोर्ट स्वर्ण एवं स्वर्ण डेरीवेटिव से जुड़े एक व्यापक बाजार को विकसित करने की सिफ़ारिश करता है। समिति की रिपोर्ट में स्वर्ण को एक वित्तीय उत्पाद बनाने पर ज़ोर दिया गया है। समिति के मुताबिक बैंकों के माध्यम से स्वर्ण जमा व स्वर्ण संचय योजना एवं म्यूचुअल फंड्स के द्वारा *एक्सचेंज ट्रेडेड गोल्ड फंड्स* जैसे स्वर्ण से जुड़े वित्तीय उत्पादों को विकसित करने की जरूरत है। कहा जा रहा है कि वित्तीय सुधारों और सीएसी के बीच *राष्ट्रीय स्वर्ण नीति* समायोजन स्थापित करने का काम करेगा।

स्वर्ण पर चर्चा *राष्ट्रीय आय* या *सकल घरेलू उत्पाद* (जीडीपी) में इसके योगदान को समझे बिना अधूरी है। आज स्वर्ण भुगतान संतुलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुल आयात में स्वर्ण आयात का हिस्सा 8.7 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2013 के दौरान राष्ट्रीय आय के लेखा-जोखा के दौरान कीमती वस्तुओं के वर्ग में, जिसमें स्वर्ण और दूसरी कीमती धातुयें शामिल थीं का जीडीपी में महज 2.5 प्रतिशत का योगदान था, जो देश में स्वर्ण की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के मुक़ाबले बहुत ही कम है। जीडीपी में इसके योगदान को बढ़ाने के लिये आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने की जरूरत है।

संयुक्त राष्ट्र की *राष्ट्रीय लेखा प्रणाली* 1993 (यूएनएसएनए) के तहत जीडीपी के व्यय पक्ष में एक अलग वस्तु के रूप में कीमती चीजों को पेश किया गया है। चूंकि, भारत विभिन्न प्रयोजनों के लिए सोने का सबसे बड़ा आयातक और उपयोगकर्ता है, इसलिए अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण में मूल्यवान वस्तुओं का बड़ा हिस्सा है। हमारी स्वर्ण मांग में 75 प्रतिशत आभूषण शामिल है। शेष 23 प्रतिशत सिक्के और बुलियन के रूप में है, जबकि अन्य 2 प्रतिशत औद्योगिक लेनदेन के रूप में। बावजूद इसके, स्वर्ण को पूंजी निर्माण का हिस्सा नहीं माना जाता है। यूएनएसएनए 1993 के अंतर्गत स्वर्ण को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, मौद्रिक स्वर्ण, दूसरा, बहुमूल्य धातु के रूप में और तीसरा, औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु। पहली श्रेणी में केंद्रीय बैंक के पास स्वर्ण को वित्तीय उद्देश्यों की पूर्ति के रूप में रखा जाता है, जबकि अन्य दो श्रेणियों में इसे गैर-मौद्रिक लेनदेन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

यूएनएसएनए 1993 के तहत कीमती सामानों को सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) के तहत रखा जाता है, जिससे जीसीएफ का प्रतिशत बढ़ जाता है, लेकिन बचत और निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) कम हो जाता है। अस्तु, स्वर्ण खरीद को न तो भौतिक बचत माना जाता है और न ही यह माना जाता है कि इसका घरेलू स्तर पर खपत हुआ है, जिसका प्रभाव राष्ट्रीय आय की गणना और जीडीपी पर पड़ता है। केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2011 में जारी अपने वर्किंग पेपर में इस खामी को उजागर किया था।

इसी तर्ज पर *अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष* (आईएमएफ) के भुगतान संतुलन मैन्युअल *बीपीएम 02* में स्वर्ण को मौद्रिक और गैर-मौद्रिक वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन स्वर्ण आभूषण का वर्गीकरण गैर-मौद्रिक वर्ग में नहीं करके *उत्पाद आयात* के तहत किया गया है। स्वर्ण को उत्पाद के वर्ग में शामिल करने से इसका इस्तेमाल लोगों द्वारा किया जायेगा, लेकिन उसे पीएफसीई में नहीं शामिल किया जायेगा। इससे राष्ट्रीय आय की गणना और जीडीपी के आंकड़ों के त्रुटिपूर्ण रहने की आशंका बनी रहती है। लिहाजा, यूएनएसएनए 1993 की संकल्पना को भारतीय संदर्भ में समीचीन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भारत में स्वर्ण को लेकर रीति-रिवाज एवं प्राथमिकताएं अलग हैं। यहां स्वर्ण बुलियन के रूप में हो या आभूषण

सरकार ने बजट में राष्ट्रीय स्वर्ण नीति का प्रस्ताव किया है। उम्मीद है कि इस नीति की मदद से स्वर्ण से जुड़ी समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान निकाला जा सकेगा और स्वर्ण को म्यूचुअल फंड एवं पेंशन फंड की तरह बचत के विकल्प के रूप में विकसित किया जायेगा। बैंकों में स्वर्ण खाते खोलने से स्वर्ण के आयात में कमी आयेगी और लोगों को बेकार पड़े स्वर्ण आभूषणों से आय भी होगी।

के रूप में, दोनों स्थिति में भारतीय इसका संचय करते हैं।

स्वर्ण खरीद की राष्ट्रीय आय में गणना, जीडीपी में योगदान, भुगतान संतुलन एवं पूंजीगत खाते की परिवर्तनीयता के बीच तालमेल बनाने की जरूरत है, ताकि भारत में स्वर्ण की खरीद-फरोख्त को तार्किक बनाया जा सके। इसके आयात एवं निर्यात में संतुलन स्थापित करने से देश में विदेशी मुद्रा की बढ़ोतरी होगी, भुगतान संतुलन घाटे में कमी आयेगी और कारोबारी आयात शुल्क देने से बचेंगे। जरूरत इस बात की भी है कि राष्ट्रीय आय की गणना एवं जीडीपी में इसके वास्तविक योगदान को दर्शाया जाये।

सच कहा जाये तो देश में एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की जरूरत है, जिसकी मदद से लोग घर पर बिना उपयोग के पड़े भौतिक स्वर्ण का समीचीन तरीके से उपयोग कर सकें। इस आलोक में वर्ष 2015 में शुरू की गई *स्वर्ण मौद्रीकरण योजना* को प्रभावशाली तरीके से अमलीजामा पहनाना लाभकारी हो सकता है।

मौजूदा कमियों को दूर करने के लिये सरकार ने बजट में *राष्ट्रीय स्वर्ण नीति* का प्रस्ताव किया है। उम्मीद है कि इस नीति की मदद से स्वर्ण से जुड़ी समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान निकाला जा सकेगा और स्वर्ण को म्यूचुअल फंड एवं पेंशन फंड की तरह बचत के विकल्प के रूप में विकसित किया जायेगा। बैंकों में स्वर्ण खाते खोलने से स्वर्ण के आयात में कमी आयेगी और लोगों को बेकार पड़े स्वर्ण आभूषणों से आय भी होगी। प्रस्तावित नीति को अमलीजामा पहनाने से स्वर्ण तस्करी और स्वर्ण के जरिये कालेधन के सृजन पर भी लगाम लगेगी। ❑

सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए छात्रवृत्तियां

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए केंद्रीय बजट, 2018-19 में वर्ष 2017-18 की तुलना में बजट आवंटन में 1210 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017-18 में यह 6908.00 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 7750.00 करोड़ रुपये हो गया है। साथ ही योजनाओं के लिए बजट आवंटन में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में बजट आवंटन में 11.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त बजट आवंटन में ओबीसी के कल्याण के लिए वर्ष 2018-19 में 2017-18 की तुलना में 41.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अनुसूचित जाति के लिए उद्यम पूंजी निधि की तर्ज पर ही ओबीसी के लिए एक नई उद्यम पूंजी निधि योजना 200 करोड़ रुपये की आरंभिक कायिक निधि के साथ आरंभ की जानी है। वर्ष 2018-19 में इसके लिए 140 करोड़ रुपये निधि प्रदान की गई है। 13587 मैन्यूअल स्कैवेंजर्स (हाथ से मैला ढोने वाले) और उनके आश्रितों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 809 मैन्युअल स्कैवेंजर्स और उनके आश्रितों को बैंक कर्ज प्रदान किए गए हैं।

ओबीसी के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु, आय पात्रता को 44,500 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आय पात्रता को 2.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है। दिवा छात्रों के लिए वजीफे की राशि को 150 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये कर दिया गया है और आवासीय छात्रों के लिए इसे 350 रुपये से बढ़ाकर 525 रुपये कर दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए सर्वोच्च स्तरीय शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति राशि को 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। अनुसूचित जाति और ओबीसी छात्रों के लिए आय पात्रता को 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। स्थानीय छात्रों के लिए वजीफे की राशि को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये और बाहरी छात्रों के लिए 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। ओबीसी के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु, छात्रवृत्ति की दरों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया गया है।

कक्षा पहली से पांचवी, कक्षा छठी से आठवीं और कक्षा नौंवी से दसवीं के दिवा छात्रों की छात्रवृत्ति को 10 माह के लिए क्रमशः 25 रुपये, 40 रुपये और 50 रुपये की पूर्वोक्त दरों को संशोधित कर कक्षा पहली से दसवीं को 10 महीने के लिए 100 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

कक्षा तीसरी से आठवीं और कक्षा नौंवी से दसवीं के आवासीय छात्रों की पूर्वोक्त छात्रवृत्ति दरों को 10 माह के लिए क्रमशः 200 रुपये और 250 रुपये से संशोधित कर कक्षा तीसरी से दसवीं को 10 महीने के लिए 500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। योजना के तहत सभी छात्रों को तदर्थ अनुदान 500 रुपये प्रति वर्ष है। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के तहत, इस सहायता को बढ़ाकर 25,000 रुपये से बढ़ाकर 28,000/- रुपये प्रति छात्र कर दिया गया है। ❑

केंद्रीय बजट: व्यापार सुगमता के उपाय

सरकार देश भर में कारोबार सुगमता को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। वित्त व कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने संसद में 2018-19 का बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने *न्यूनतम सरकार-अधिकतम प्रशासन* (मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस) कहते हुए हमेशा सुशासन के महत्व पर ज़ोर दिया है। उनके इस नज़रिए ने सभी सरकारी एजेंसियों को नीतियों, नियमों व प्रणालियों में कई सुधार लाने को प्रेरित किया है। इस बदलाव से विगत तीन वर्षों में वर्ल्ड बैंक के *व्यापार सुगमता सूचकांक* में भारत का स्थान बेहतर हुआ है और अब भारत पहली बार शीर्ष 100 सूची में आ गया है और इसका स्थान 42वां है। कारोबार सुगमता को सभी राज्यों में और बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने 372 विशिष्ट कारोबार सुधार कार्यों की पहचान की है। सभी राज्यों ने इन सुधारों व बदलावों को एक दूसरे के साथ रचनात्मक प्रतियोगिता के भाव से मिशन मोड में लिया है। इस कार्यक्रम के तहत कार्य निष्पादन का मूल्यांकन प्रयोक्ता (यूज़र) की प्रतिक्रिया के आधार पर होगा। वाणिज्य विभाग सभी हितधारकों को लिंक करने के लिए एकल विंडो ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में *राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल* तैयार कर रहा है। सरकार केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों में ई ऑफिस व अन्य ई गवर्नेंस फलक शुरू करते हुए अपने कारोबार के निपटान की प्रक्रिया को भी बदल रही है। महा लेखानियंत्रक द्वारा सरकार के बजट, लेखा, व्यय व नकद प्रबंधन आदि कार्यों के लिए वेब आधारित सरकार एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (जीआइएफएमआइएस) का प्रबंधन किया जा रहा है।

केंद्रीय जन प्रबंध पोर्टल प्रबंधन संबंधी सभी सूचनाओं के लिए एकल प्वॉइंट एक्सेस प्रदान करता है। लगभग 3.5 लाख निविदाकार और वेंडर्स इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं। नवंबर 2017 में ही इस पोर्टल के ज़रिए 2 लाख चालीस हज़ार करोड़ के मूल्य के एक लाख से अधिक इलेट्रॉनिक बिड्स आमंत्रित किए गए। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पारदर्शी व प्रभावी तरीके से सही गुणवत्ता व प्रमात्रा में सही मूल्य पर उपलब्ध कराता है। इस प्लेटफॉर्म पर 780 खरीददार व पचास हज़ार विक्रेता हैं। तकरीबन 2 लाख लेनदेनों में 3000 करोड़ रुपये का लेनदेन कराने के अलावा, इससे आधार मूल्य पर 25 प्रतिशत से अधिक बचत होगी। सुगम एक्सेस के लिए अनुदान (ग्रांट्स) हेतु सभी विस्तृत मांग से संबंधित लिंक india.gov.in पर उपलब्ध होंगे। सरकार मशीन द्वारा पठनीय प्रारूप में प्रकट सूचना प्रदान करने की व्यवहार्यता पर भी विचार कर रही है। ❑

कन्याओं के लिए योजनाएं सही दिशा में: आर्थिक सर्वेक्षण

केंद्रीय मंत्री द्वारा 29 जनवरी, 2018 को संसद के पटल पर प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में एक ओर जेंडर एवं पुत्र मेटा प्राथमिकता पर विशेष जोर दिया गया है जबकि दूसरी ओर अन्य अर्थव्यवस्थाओं के सापेक्ष जेंडर परिणामों पर भारत के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है।

जेंडर समानता अंतर्निहित रूप से बहुआयामी मुद्दा है। तदनुसार, जेंडर के तीन विशिष्ट आयामों में एजेंसी, प्रवृत्तियां और परिणाम हैं। एजेंसी (प्रजनन पर महिलाओं का निर्णय लेने की क्षमता, स्वयं पर खर्च करना, उनके परिवार पर खर्च और उनकी गतिशीलता एवं स्वास्थ्य से संबंधित है), प्रवृत्तियों (महिलाओं/पत्नियों) के विरुद्ध हिंसा के बारे में और पुत्रों की आदर्श संख्या के सापेक्ष पुत्रियों की आदर्श संख्या से संबंधित है) और परिणाम (अंतिम बच्चे के लिंग अनुपात द्वारा जांची गई 'पुत्र प्राथमिकता' महिला रोजगार, गर्भनिरोध का विकल्प, शिक्षा स्तर, विवाह के समय आयु, पहले जन्म पर आयु और महिलाओं द्वारा अनुभव की गई शारीरिक या लैंगिक हिंसा) जिसका लक्ष्य समाज में महिलाओं की स्थिति, भूमिका और सशक्तीकरण को दर्शाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में यह नोट किया गया है कि जेंडर की चुनौती दीर्घकालीन है और शायद यह हजारों वर्ष पुरानी समस्या है इसलिए इसके समाधान के लिए सभी हितधारक सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं।

इस प्रकार इस सर्वेक्षण में यह सिफारिश की गई है कि भारत को सामाजिक प्राथमिकता का मुकाबला करना होगा, यहां तक कि एक पुत्र के लिए प्राथमिकता पूरी हो जाए, जो विकास में बाधक प्रतीत होता है। पुरूषों के पक्ष में मनमाने लिंग अनुपात से 'मिसिंग' महिलाओं की पहचान हो पाई। बेटे की चाहत में अनचाहे तौर पर लड़कियां पैदा होती रहती हैं, जिनकी संख्या औसतन 2 करोड़ 10 लाख हो जाती है।

सर्वेक्षण में यह विचार अभिव्यक्त किया गया है कि इन घृणित श्रेणियों को इतिहास बनाना समाज का उद्देश्य होना चाहिए। सर्वेक्षण में सरकार के 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' और 'सुकन्या योजना' का भी जिक्र किया गया है।

समृद्धि योजना में और अनिवार्य मातृत्व अवकाश नियम सही दिशा में सही कदम है। सर्वेक्षण में बताया गया है कि जैसे भारत व्यापार सुगमता से सूचकांकों में रैंक सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है उसी प्रकार जेंडर के क्षेत्र में भी प्रयास किया जाना चाहिए। ❑

युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास

देवाशीष उपाध्याय

सरकार बढ़ती जनसंख्या की रोजगार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अवसरों के साथ बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन का प्रयास कर रही है। देश की प्रगति और रोजगार सृजन में लघु और मध्यम उद्यम के योगदान को देखते हुए वित्त मंत्री ने एमएसएमई क्षेत्र को ऋण सहायता, पूंजी और ब्याज सब्सिडी के लिए 3,794 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 3 वर्ष तक कर्मचारी भविष्य निधि में नए कर्मचारियों के वेतन का 8.33 प्रतिशत अनुदान कर रही है

युवाओं को देश का मूल्यवान मानव संसाधन मानते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2018-19 के बजट में युवाओं में सक्षमता निर्माण, कौशल विकास, रोजगार सृजन, स्वरोजगार और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध भौतिक व प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप उद्योग स्थापना हेतु अधारभूत अवसंरचना के विकास एवं 70 लाख नयी नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा है। देश के तीव्र आर्थिक विकास में युवाओं की बहुमुखी प्रतिभा, ऊर्जा, और रचनात्मक क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार साक्षरता दर में वृद्धि के साथ ही गुणात्मक शिक्षा एवं कौशल उन्नयन के विकास पर बल दे रही है। युवाओं के समेकित विकास और समृद्धि तथा बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने हेतु सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही हैं।

गुणात्मक शिक्षा की दिशा में पहल

आजादी के बाद देश की साक्षरता दर में तीव्र वृद्धि हुई है। शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कक्षा पहली से आठवीं तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की है। शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मोदी सरकार ने बजट 2018-19 में शिक्षा के अधिकार के दायरे को बढ़ाते हुए टुकड़ों में बंटी स्कूली शिक्षा को एकत्रित करते हुए, नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा को व्यावहारिक बनाने की योजना बनाई है। बजट में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार स्कूलों में प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल देने जा रही है। स्कूलों में अब ब्लैकबोर्ड के स्थान पर डिजिटल बोर्ड होगा, जिससे छात्रों को देश-दुनिया और अन्य समस्त विषयों से संबंधित जानकारी ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगी। गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। बजट में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे तेरह लाख से अधिक अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है। अप्रशिक्षित शिक्षकों को 2019 तक प्रशिक्षित करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। सरकार ने जनजातीय बच्चों को अच्छी गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के लिए *एकलव्य स्कूल* खोलने का प्रस्ताव रखा है। 2022 तक 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी जनसंख्या और कम से कम 20 हजार आदिवासी लोगों वाले क्षेत्र में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर *एकलव्य विद्यालय* खोले जाएंगे।

उच्च शिक्षा हेतु बजटीय पहल

सरकार उच्च शिक्षा के तीव्र विकास एवं इसे रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में प्रयासरत है, जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त युवा वर्ग को रोजगार की तलाश में भटकना न पड़े।

2022 तक शिक्षा की आधारभूत सुविधाओं और प्रणालियों को पुनः जानदार बनाने के लिए जरूरी पहल की घोषणा वित्त मंत्री ने बजट में की है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य और शिक्षा सहित प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में अनुसंधान व प्रौद्योगिकी विकास तथा आधारभूत अवसंरचना विकास के लिए सरकार ने बजट में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश की व्यवस्था की है। इस पहल के वित्तपोषण के लिए *उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा)* को तैयार किया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का बजट

लेखक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, हाथरस में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। ईमेलः dewashishupadhy@gmail.com

29,556 करोड़ से बढ़ाकर 32,613 करोड़ कर दिया है। वित्त मंत्री ने रेलवे में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए बड़ोदरा में विशिष्ट रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। दो पूरी तरह से नए सुसज्जित स्कूलों की स्थापना तथा आईआईटी/एनआईटी में 18 एसपीए निकायों की स्थापना का भी प्रस्ताव है। सरकार ने प्रौद्योगिकी शिक्षा के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्ययन (पीएमआरएफ) आवास योजना आरंभ की है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ संस्थानों के 1000 उत्कृष्ट बीटेक छात्रों की पहचान कर अच्छी अध्येतावृत्ति के साथ आईआईटी/आईआईएमसी में पीएचडी की सुविधा मुहैया की जाएगी। दूरस्थ शिक्षा की प्रसार क्षमता एवं महत्ता को देखते हुए सरकार इसे व्यावसायिक और रोजगारोन्मुखी बनाने का प्रयास कर रही है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

केंद्र सरकार *कौशल भारत कुशल भारत* का लक्ष्य रख युवाओं को प्रौद्योगिकी रूप से प्रशिक्षित करने और रोजगार सक्षमता निर्माण एवं दक्षता विकास के लिए *प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना* का संचालन कर रही है। उद्यमिता मंत्रालय राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है। कौशल विकास योजना के अंतर्गत 34 विभिन्न कार्य क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बजट 2018-19 में सरकार ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रत्येक जिले में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव रखा है। अभी तक 306 *प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र* खोले जा चुके हैं। बजट में कुशल कामगारों के रोजगार और युवाओं के कौशल विकास के लिए 5,071 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 2020 तक 50 लाख युवाओं को बुनियादी प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति देने के लिए *राष्ट्रीय प्रशिक्षु योजना* आरंभ की जा रही है। इसमें युवाओं को कारोबार एवं बाजार संबंधी प्रशिक्षण देने के साथ स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाएंगे।

राष्ट्रीय रोजगार नीति

सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाकर आजीविका सृजन करने के लिए ग्रामीण आधारभूत सुविधा निर्माण हेतु अधिक धनराशि खर्च कर रही है। वर्ष 2018-19 में ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका और आधारभूत संसाधनों के विकास के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। देश में औद्योगिक प्रतिष्ठानों का संजाल बिछाने के लिए औद्योगिक विनियमावली को सकारात्मक तथा लचीला बनाने के साथ कर रियायत, कानूनी औपचारिकताएं व नियंत्रण को कम किया जा रहा है, जिससे वैश्विक निवेशकों को उद्यम स्थापना के लिए आकर्षित किया जा सके। वित्त मंत्री ने बजट 2018-19 में *राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम* के लिए 5,750 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए स्वयं सहायता समूहों को दी जाने वाली ऋण राशि को बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सरकार ने आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए सड़क, हवाई अड्डे, रेलवे, बंदरगाह के उन्नयन का प्रस्ताव रखा है। इन क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना है। भारत में पर्यटन स्थलों की प्रचुरता है, जहां बड़े पैमाने पर सैलानी आते हैं। पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं का विस्तार कर रोजगार के सृजन का प्रस्ताव इस बार के बजट में किया गया है।

2022 तक शिक्षा की आधारभूत सुविधाओं और प्रणालियों को पुनः जानदार बनाने के लिए जरूरी पहल की घोषणा वित्त मंत्री ने बजट में की है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य और शिक्षा सहित प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में अनुसंधान व प्रौद्योगिकी विकास तथा आधारभूत अवसंरचना विकास के लिए सरकार ने बजट में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश की व्यवस्था की है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

देश की 65-70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी की अर्थव्यवस्था कृषि और परंपरागत व्यावसायिक प्रणाली पर आधारित है। आधुनिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के परिणामस्वरूप परंपरागत व्यवसाय और कृषि क्षेत्र से दिन-प्रतिदिन मानव श्रम शक्ति का पलायन हो रहा है। आधुनिक मशीनों द्वारा मानवीय श्रम शक्ति को प्रतिस्थापित करने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रच्छन्न बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। रोजगार की तलाश में ग्रामीण युवाओं का पलायन शहरों की ओर हो रहा है। ऐसे में युवाओं को रोजगार प्राप्त करने वाला होने की बजाय रोजगार देने वाला बनाने के लिए मोदी सरकार स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्ट अप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रही है। सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का बजट 1,195 करोड़ से बढ़ाकर 1,800 करोड़ कर दिया है। शिक्षा और स्वास्थ जैसे सेवा क्षेत्र में रोजगार के व्यापक अवसर हैं। इन क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जा रही है। युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए युवा सक्षमता विकास योजना संचालित की गई है। आमजन मानस को सस्ती दर पर दवाइयां उपलब्ध कराने और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु जन औषधि केन्द्र खोले जा रहे हैं। देश में 3000 से अधिक जन औषधि केन्द्र खोले गये हैं। इसमें हजारों बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हुए हैं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम में रोजगार सृजन

सरकार बढ़ती जनसंख्या की रोजगार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अवसरों के साथ बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन का प्रयास कर रही है। देश की प्रगति और रोजगार सृजन में लघु और मध्यम उद्यम के योगदान को देखते हुए वित्त मंत्री ने एमएसएमई क्षेत्र को ऋण सहायता, पूंजी और ब्याज सब्सिडी के लिए 3,794 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 3 वर्ष तक कर्मचारी भविष्य निधि में नए कर्मचारियों के वेतन का 8.33 प्रतिशत अनुदान कर रही है। कपड़ा, चमड़ा तथा फुटवियर जैसे रोजगार देने वाले क्षेत्रों में सरकार 3 वर्ष तक नए कर्मचारियों की भविष्य निधि में 12 प्रतिशत का अंशदान कर रही है। इसके परिणाम स्वरुप औद्योगिक क्षेत्र में 70 लाख नई औपचारिक नौकरियां सृजित होने की

संभावना है। वस्तु और परिधान के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि के मकसद से 2018-19 के दौरान 7,148 करोड़ रुपये के पैकेज का प्रस्ताव किया गया है।

खादी और ग्रामोद्योग में रोजगार संवर्धन

युवाओं को ग्रामीण स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार बजट में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढावा दे रही है। बजट में खादी ग्रामोद्योग के विकास के लिए सरकार 1,215 करोड़ रुपये के प्रावधान किया है। इससे परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन एवं बाजार संवर्धन और विकास सहायता योजना पर बल दिया जायेगा। ग्रामीण स्तर पर स्वयं सहायता समूह एवं सहकारी समितियों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा स्वरोजगार हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण और आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहायता उपलब्ध कराने की योजना संचालित हो रही है। सरकार *स्किल इंडिया* और *डिजिटल इंडिया* योजना के अर्न्तगत युवाओं को आधुनिक व्यावसायिक और रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रयासरत है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर नवप्रर्वतन एवं उद्यमिता के संवर्धन के एस्पायर योजना के अन्तर्गत 80 आजीविका व्यवसाय इक्यूबेशन केन्द्र की स्थापना की योजना है। सरकार ने ग्राम एवं लघु उद्योग के विकास के लिए 5,849 करोड़ रुपये और उद्यमिता एवं कौशल विकास के लिए 340 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

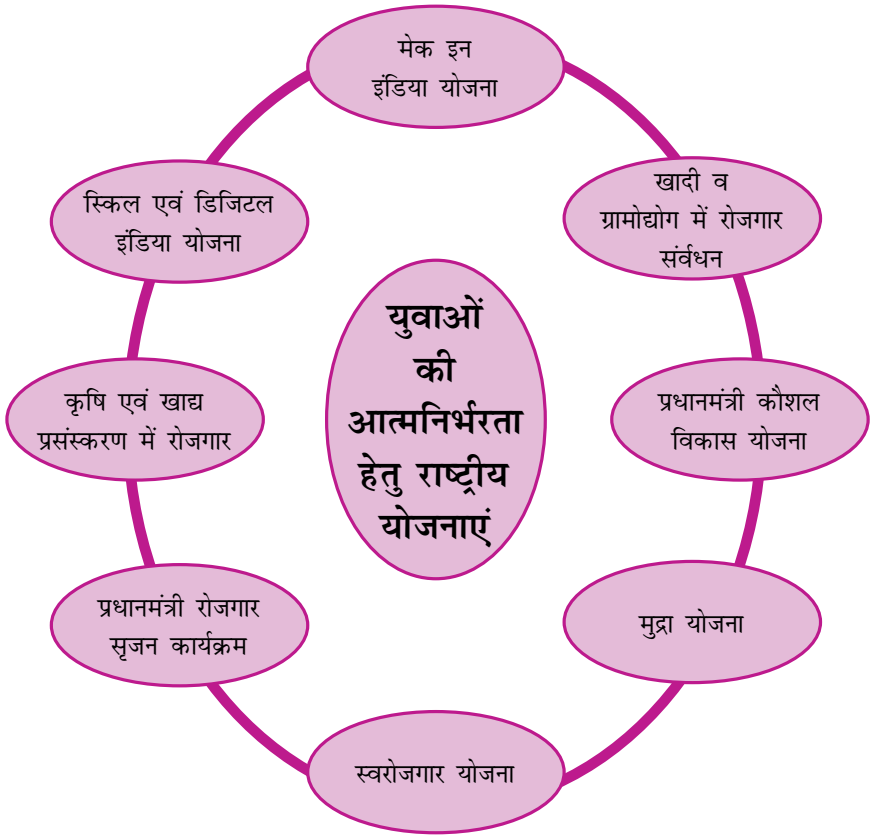

कृषि क्षेत्र में रोजगार

ग्रामीण स्तर पर कृषि का व्यावसायीकरण और औद्योगीकरण कर कृषि में मौजूद प्रच्छन्न बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। वित्त मंत्री ने बजट में कृषि क्षेत्र से युवाओं का पलायन रोकने के लिए फसल उत्पादन की लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक अर्थात् उत्पादन लागत से डेढ़ गुना अधिक मूल्य दिलाने की घोषणा की है। इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से डेढ़ गुना करने का निर्णय किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में अभी तक कुछ ही फसलें थीं। बजट 2018-19 में सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में ला दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सभी किसानों को नहीं मिल पाता है, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं है। बाजार में कृषि उत्पाद का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने की स्थिति में सरकार या तो कृषि उत्पाद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी अथवा किसी अन्य पुख्ता व्यवस्था के अंतर्गत कृषकों को फसल का उचित दाम दिलाएगी, जिससे किसानों को उपज की गारंटी मिल सकेगी।

कृषि आय बढ़ाने के लिए डेयरी, पशुपालन, मत्स्य व पोल्ट्री इत्यादि के विकास पर जोर दिया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का विस्तार मत्स्य एवं पशुपालन तक कर दिया गया है। शीघ्र नष्ट होने वाली फसल जैसे टमाटर, प्याज और आलू इत्यादि की कीमतों को अनिश्चितता से बचाने के लिए सरकार आपरेशन फ्लड की तर्ज पर 'आपरेशन ग्रीन' आरंभ करने जा रही है। 'आपरेशन ग्रीन' किसान उत्पादक संगठनों, कृषि संभार तंत्र, प्रसंस्करण ईकाइयों, व्यावसायिक प्रबंधन में सामंजस्य स्थापित करेगा। इसके लिए 500 करोड़ रुपये की निधि की स्थापना की घोषणा की गई है। किसानों को साहूकारों व सूदखोरों के चंगुल से बचाने के लिए सरकार ने कृषि ऋण में बढ़ोतरी कर 11 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। यह चालू वित्त वर्ष के मुकाबले एक लाख करोड़ रुपये अधिक है।

वर्तमान में कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी मुश्किल उत्पादकता बढ़ाने की बजाय फसल का समुचित मूल्य दिलाना है। वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि उत्पादों के विपणन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए 585 एपीएमसी को ई-नैम नेटवर्क से संयोजित किया जा रहा है। लघु एवं सीमांत किसान जो एपीएमसी या अन्य थोक बाजार तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाटों को 'ग्रामीण कृषि बाजार' के रूप में विकसित तथा उन्नत किया जाने का प्रस्ताव है। इससे किसानों को अपने उत्पाद राष्ट्रीय स्तर पर बेचने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। 22,000 ग्रामीण कृषि बाजार और 585 एपीएमसी में कृषि विपणन अवसंरचना के विकास और उन्नयन के लिए बजट में दो हजार करोड़ रुपये की स्थाई निधि के साथ एक *कृषि बाजार अवसंरचना कोष* की स्थापना का प्रस्ताव है। 22,000 ग्रामीण कृषि बाजार का विकास करने के लिए मनरेगा व अन्य योजनाओं का उपयोग किया जाएगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार

सरकार किसानों के आर्थिक समृद्धि और 2022 तक किसानों के आय दोगुना करने के लिए ग्रामीण स्तर पर वैकल्पिक रोजगार के अवसर सृजन करने के अतिरिक्त कृषि प्रसंस्करण के प्रोत्साहन व आधुनिकीकरण हेतु प्रयास कर रही है। कृषि प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन प्रौद्योगिकी द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कृषि उत्पादों को नष्ट होने से बचाने के साथ प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढावा देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना आरंभ की गई है। बजट 2018-19 में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तत्वाधान में संचालित प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के लिए 1,400 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सभी 42 मेगा फूड पार्कों में अत्याधुनिक परीक्षण सुविधा स्थापित करने की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है।

श्रमिकों के कल्याणार्थ योजना

सरकार ने बजट में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रमिकों के रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए 1,797 करोड़ रुपये और सामाजिक सुरक्षा के लिए 5,035 करोड़ रुपये का प्रबंध किया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु एलआईसी के माध्यम से आम आदमी बीमा योजना संचालित कर रहा है। बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए 55,000 करोड़ का प्रावधान किया है। अकुशल श्रमिकों को कौशल विकास और प्रशिक्षण देने के साथ-साथ रोजगार के अवसर मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए बजट में 1,652 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वर्तमान में कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी मुश्किल उत्पादकता बढ़ाने की बजाय फसल का समुचित मूल्य दिलाना है। वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि उत्पादों के विपणन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए 585 एपीएमसी को ई-नैम नेटवर्क से संयोजित किया जा रहा है। लघु एवं सीमांत किसान जो एपीएमसी या अन्य थोक बाजार तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाटों को 'ग्रामीण कृषि बाजार' के रूप में विकसित तथा उन्नत किया जाने का प्रस्ताव है

मेक इन इंडिया योजना

देश में रोजगार सृजन और उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने 'मेक इन इंडिया' योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और सेवा गतिविधियों के 25 क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। मेक इन इंडिया उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' को सर्वाधिक मान्यता देता है। मेक इन इंडिया पहल से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और व्यापारिक समुदाय में अद्भुत उत्साह पैदा हुआ है। वित्त मंत्री ने बजट 2018-19 में लघु एवं मध्यम उद्यमियों को बड़ी राहत देते हुए 250 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली कंपनियों के कारपोरेट टैक्स की दर 30 से घटाकर 25 प्रतिशत करने की घोषणा की है। कर छूट मिलने से लघु एवं मध्यम उद्यमों के पास निवेश के लिए अधिक धनराशि होगी, इससे युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा।

मुद्रा योजना

प्रधानमंत्री मोदी ने देश में रोजगार का सृजन करने, स्वरोजगार के अवसर को बढ़ावा देने और लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए आसान शर्तों पर त्वरित गति से ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा योजना शुरू की है। मुद्रा योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के प्रदान किया जाता है। बजट 2018-19 में मुद्रा योजना के अंतर्गत तीन लाख करोड़ रुपये ऋण देने का निर्णय लिया है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों एवं जरूरतों के आधार पर गांव-गांव, शहर-शहर में छोटे व लघु उद्यमों की स्थापना से देश की अर्थव्यवस्था के विकास के साथ-साथ बेरोजगारी दर में भी कमी आएगी। मुद्रा योजना का मुख्य लक्ष्य 'जिनके पास धन नहीं उसे धन उपलब्ध कराकर स्वावलंबी बनाना है'।

खेलकूद प्रोत्साहन योजना

देश में खेलकूद के क्षेत्र में करियर बनाने तथा युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में आधारभूत अवसंरचना का विकास करने तथा प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की तैनाती करने के साथ-साथ आधुनिक खेल उपकरणों से लैस करने का प्रयास किया गया है। खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के लिए 2017-18 के बजट में आवंटित 350 करोड़ की तुलना में वृद्धि करते हुए बजट 2018-19 में 520 करोड़ रुपये कर दिया है। सरकार इस योजना के अंतर्गत देश में खेलों के विकास का खाका तैयार कर रही है। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के बजट में 40 करोड़ रुपये की वृद्धि करते हुए 342 करोड़ रुपये कर दिया गया है। युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए खिलाड़ियों को दिए जाने वाले भत्ते में भी बढ़ोतरी कर दी गई है।

सरकार ने आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए सड़क, हवाई अड्डे, रेलवे, बंदरगाह के उन्नयन का प्रस्ताव रखा है। इन क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना है। भारत में पर्यटन स्थलों की प्रचुरता है, जहां बड़े पैमाने पर सैलानी आते हैं। पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं का विस्तार कर रोजगार के सृजन का प्रस्ताव इस बार के बजट में किया गया है।

देश के विकास एवं आर्थिक उन्नयन में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। युवाओं की सक्षमता का कुशल उपयोग कर देश को वैश्विक स्तर पर आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है। आजादी के बाद से ही मानव संसाधन विकास और सक्षमता निर्माण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मोदी सरकार युवाओं की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए युवाओं के सर्वांगीण (शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, सामाजिक एवं कौशल) विकास के लिए प्रयत्नशील है। वैश्विक सापेक्ष में देश की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार बजट 2018 में युवाओं के विकास और बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने हेतु अनेकों प्रस्ताव रखे हैं। जरूरत इन प्रस्तावों और योजनाओं का जमीनी स्तर पर ईमानदारीपूर्वक क्रियान्वयन और लागू करने की है। ❑

रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए नई पहल

वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार के नीति निर्माण का मुख्य उद्देश्य नौकरी के अवसरों का निर्माण तथा रोजगार के सृजन में सहायता करना रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि हाल ही में किए गए स्वतंत्र अध्ययन में इस वर्ष 70 लाख औपचारिक नौकरियों के सृजन की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि आने वाले तीन वर्षों के दौरान सरकार सभी क्षेत्रों में संलग्नक नए कर्मचारियों के 12 प्रतिशत वेतन का कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में योगदान करेगी। वित्त मंत्री ने स्थायी अवधि के रोजगार की सुविधा को सभी क्षेत्रों के लिए बढ़ाने की भी जानकारी दी। उन्होंने जोर दिया कि जल्द ही सरकार एमएसएमई की गैर-कार्यनिष्पादन परिसम्पत्तियों और दबावपूर्ण खातों की समस्या के प्रभावी समाधान के उपायों की घोषणा करेगी।

एमएसएमई पर कर के बोझ को कम करने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में 250 करोड़ रुपए से कम का उत्पादन करने वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत की घटी हुई दर के लाभ देने के उपायों की घोषणा भी की। वित्त मंत्री ने कहा, 'इससे समस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लाभ होगा जो कर विवरणी दायर करने वाली कंपनियों का 99 प्रतिशत हैं।' उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 99 प्रतिशत कंपनियों को घटे हुए कॉर्पोरेट कर का लाभ मिलने से उनकी निवेश किए जाने वाले अधिशेष में बढ़ोतरी होगी जिससे नई नौकरियों का सृजन होगा। वित्त मंत्री ने औपचारिक क्षेत्र में अधिक महिलाओं को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे परिवारों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा, 'महिलाओं के रोजगार के पहले तीन वर्षों के दौरान उनके कर्मचारी अंशदान को 12 प्रतिशत की मौजूदा दर से घटाकर 8 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 में नियोक्ता के अंशदान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।'

वित्त मंत्री ने यह घोषणा की कि प्रधानमंत्री कौशल केंद्र कार्यक्रम के तहत सरकार देश के प्रत्येक जिले में महत्वाकांक्षी आदर्श कौशल केंद्रों की स्थापना कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कॉर्पोरेट कंपनियों को ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) में शामिल होने तथा इसे जीएसटीएन से जोड़ने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा, 'बैंकों द्वारा त्वरित निर्णय लेने के लिए एमएसएमई को ऑनलाइन ऋण मंजूरी की सुविधा का पुनर्निर्माण किया जाएगा।'

वित्त मंत्री ने पुनर्वित्तीयन नीति और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों एनबीएफसी के बेहतर पुनर्वित्तीयन के लिए मुद्रा (एमयूडीआरए) द्वारा तय किए गए पात्रता मानदंड की समीक्षा का हवाला दिया। इस संबंध में, वर्ष 2018-19 के लिए मुद्रा के तहत ऋण देने हेतु 3 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव किया चूंकि पिछले सभी वर्षों में ऋण की राशि लक्ष्य की तुलना में अधिक रही है।

वित्त मंत्री ने वित्त मंत्रालय के तहत एक समूह का उल्लेख किया जो फिनटैक कंपनियों की वृद्धि के लिए सही वातावरण के निर्माण हेतु आवश्यक नीतिगत और संस्थागत उपायों की जांच करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि उद्यम पूंजी निधि तथा उनकी वृद्धि और देश में वैकल्पिक निवेश निधि के सफल संचालन के लिए वातावरण को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाएंगे। ❑

लेखकों से अनुरोध

- 'योजना' विकास संबंधी विषयों पर केंद्रित मासिक है। पत्रिका में हर माह आगामी अंक का केंद्रीय विषय प्रकाशित किया जाता है। लेखकों से अनुरोध है कि प्रकाशन हेतु केंद्रीय विषय के अनुसार ही रचनाएं भेजें।
- रचनाएं भेजते समय रचना की प्रति अपने पास अवश्य रखें। सामान्यतः रचनाएं वापस नहीं भेजी जातीं। रचना की वापसी के लिए यथाउचित मूल्य के टिकट और पता लिखा लिफाफा भेजें।
- ई-मेल से भेजी जाने वाली रचनाएं Microsoft Word में Krutidev 010 font में टाइप करके yojanahindi@gmail.com पर भेजी जा सकती है।
- संपादकीय पत्र व्यवहार का पता है: संपादक (योजना), प्रकाशन विभाग, कमरा नं. 648, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, फोन: 011-24365920

आर्थिक सर्वेक्षण क्षेत्र-वार प्रदर्शन

आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, भारत का सेवा क्षेत्र, भारत में जोड़े गए सकल मूल्य (जीवीए) में 55.2 प्रतिशत के अंश के साथ वर्ष 2017-18 में जीवीए विकास में लगभग 72.5 प्रतिशत का योगदान देते हुए भारत के आर्थिक विकास का अहम गति प्रदाता बना है जबकि वर्ष 2017-18 में संपूर्ण सेवा क्षेत्र के विकास की दर 8.3 प्रतिशत रहने की संभावना है। 2017-18 की पहली छमाही में सेवा क्षेत्र निर्यात में 16.2 प्रतिशत की वृद्धि थी। प्रमुख सेवा क्षेत्रवार प्रदर्शन और इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई नीतियां निम्नानुसार हैं:

पर्यटन

भारत का पर्यटन क्षेत्र वर्ष 2016 में विदेशी पर्यटन आगमन (एफटीए) में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करके 8.8 मिलियन और विदेशी विनिमय एफएफई में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि कर 22.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।

वर्ष 2017 के दौरान, एफटीए 15.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10.2 मिलियन था जबकि वर्ष 2016 की तुलना में 20.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ पर्यटन क्षेत्र में एफईई 27.7 बिलियन अमेरीकी डॉलर था।

वर्ष 2016 में घरेलू पर्यटक यात्राएं 12.7 प्रतिशत बढ़कर 1614 मिलियन थीं जबकि वर्ष 2015 में यह 1432 मिलियन थी। वर्ष 2016 में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक 5 शीर्ष गंतव्य राज्य थे।

आईटी-बीपीएम

नासकॉम के आंकड़ों के अनुसार, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी-व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन (आईटीबीपीएम) उद्योग वर्ष 2015-16 में 129.4 बिलियन अमेरीकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि से 139.9 बिलियन हो गया (ई-कॉमर्स और हार्डवेयर को छोड़कर)। उक्त अवधि के दौरान आईटी बीपीएम निर्यात 107.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 116.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

ई-कॉमर्स का बाजार वर्ष 2016-17 में 19.1 प्रतिशत की वृद्धि से अनुमानित 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

रियल स्टेट

भारतीय रियल स्टेट क्षेत्र ने वर्ष 2017 की पहली छमाही में 257 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के साथ सुधार के संकेत दर्शाए हैं, जो 2016 में कुल एफडीआई का दोगुना है।

आर एंड डी

पेशवर वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी कार्यकलाप जिसमें आर एंड डी भी शामिल है, 2014-15 और 2015-16 में क्रमशः 17.5 प्रतिशत और 41.1 प्रतिशत बढ़ा है। वैश्विक बाजार में लगभग 22 प्रतिशत हिस्सा रखने वाली भारत की आर एंड डी सेवा कंपनियों ने 12.7 प्रतिशत की वृद्धि की।

यद्यपि आर एंड डी पर भारत का सकल व्यय जीडीपी का एक प्रतिशत रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) 2017 में भारत ने वर्ष 2016 में 86वें स्थान से सुधार करते हुए 127 देशों में से 60वां स्थान प्राप्त किया है।

अंतरिक्ष

उपग्रह लॉन्चिंग के मामले में, मार्च 2017 तक भारत में पीएसएलवी ने 254 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए। उपग्रह लॉन्च सेवा के निर्यात से भारत की विदेशी विनिमय कमाई में 2014-15 में 149 करोड़ रुपये से बढ़कर 2015-16 और 2016-17 में 394 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

वैश्विक उपग्रह लॉन्च सेवा राजस्व में भारत का हिस्सा वर्ष 2014-15 में 0.3 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 1.1 प्रतिशत हो गया है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा उनके एलईओ उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए पीएसएलवी, जीएसएलवी और जीएसएलवी मार्क-III लॉन्च सेवा में अंतरिक्स के अधिक उपयोग की संभावना है। ❑

अडवांटेज असम: वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन

गुवाहाटी में 3-4 फरवरी, 2018 को अडवांटेज असम-वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका लक्ष्य असम द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे भौगोलिक-रणनीतिक लाभों को सबके सामने प्रस्तुत करना था। इस कार्यक्रम में इस राज्य द्वारा दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया में निर्यातोन्मुख विनिर्माण और सेवा के संबंध में वृद्धिमान अर्थव्यवस्थाओं को दिए जा रहे अवसरों को प्रदर्शित किया गया।

शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर केंद्र सरकार की 'एक्ट ईस्ट नीति' का मुख्य केंद्र है। 'एक्ट ईस्ट नीति' आसियान देशों के लोगों के आपसी संपर्क, व्यापार संबंधों और अन्य संबंधों को बढ़ाने की परिकल्पना करती है। उन्होंने जोर दिया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के संतुलित और त्वरित विकास से भारत की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा तथा केंद्र सरकार की योजनाएं लोगों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण बदलाव लाने के लिए बनाई गई हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों को किफायती मकान उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने एलईडी बल्ब बांटने के लिए उजाला योजना का भी जिक्र किया जिससे लोगों के बिजली के बिल में काफी बचत हो रही है। उन्होंने राष्ट्रीय बांस अभियान का भी उल्लेख किया जिसे उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना।

दो दिवसीय शिखर सम्मेलन असम सरकार द्वारा निवेश को बढ़ावा देने और सहायता करने के लिए की गई अब तक की सबसे बड़ी पहल है। अधिकारियों ने बताया कि सम्मेलन के दौरान 200 से ज्यादा एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए जिनकी निवेश राशि 100,000 करोड़ रुपए से अधिक है। असम से मुख्य मंत्री ने व्यावसायिक समुदाय से अनुरोध किया कि वे उनकी सरकार के भरोसेमंद, प्रतिबद्ध और ईमानदार भागीदार बनें। उन्होंने असम के सभी वर्गों के लोगों तथा बाहर के सभी हितधारकों का आभार भी व्यक्त किया, जिन्होंने अपनी तरह का वैश्विक निवेशक सम्मेलन 'अडवांटेज असम-इंडियाज एक्सप्रेसवे टू आसियान' को सफलतापूर्वक आयोजित करने में बिना शर्त अपना योगदान दिया। ❑

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2018-20
Reg.No. D.L. (s)-05/3231/2018-20 at RMS, Delhi
28 फरवरी, 2018 को प्रकाशित • 2-3 मार्च, 2018 को डाक द्वारा जारी

Licenced under U (DN)-55/2018-20
आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57

Just Released

प्रतियोगिता दर्पण

का अतिरिक्तांक

संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण

2018 Vol.1

परीक्षोपयोगी सीरीज-7

समसामयिक घटनाचक्र

(करेन्ट अफेयर्स)

राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, आर्थिक एवं वाणिज्यिक परिदृश्य, समसामयिक सामान्य ज्ञान एवं खेलकूद

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षाओं हेतु

अन्य विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी

Code No. 809
₹ 110.00

Code No. 819
₹ 99.00

प्रतियोगिता दर्पण | 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा-282 002 फोन : (0562) 4053333, 2530966; फैक्स : (0562) 4053330
• E-mail : care@pdgroup.in • Website : www.pdgroup.in
• नई दिल्ली 23251844/66 • हैदराबाद 24557283 • पटना 2303340 • कोलकाता 25551510 • लखनऊ 4109080 • हल्द्वानी मो. 07060421008 • नागपुर 6564222 • इन्दौर 9203908088

YH-644/10/2017

प्रकाशक व मुद्रक: डॉ. साधना राउत, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक: ऋतेश पाठक